खण्ड-396, अंक-3
सोमवार, 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1912
(18 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–79
प्रश्नोत्तर प्रहर में लगातार दो दिनों से पत्रकारों द्वारा प्रेस दीर्घा का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	80–81
जनपद चमोली में पशुओं की खुरपका बीमारी के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
उत्तर प्रदेश में बन विभाग सामाजिक वानिकी में 5 से 10 वर्षों तक काम करने वाले दैनिक कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद पौड़ी गढ़वाल में भयंकर आंधी-तूफान से क्षति ग्रस्त लोगों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम बहरैला डीह स्थित चक संख्या 201 को अवैध कब्जे से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद मऊ के विभूति नारायण इण्टर कालेज के अध्यापकों को अवशेष वेतन का भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83
जनपद आगरा में गुरु का ताल से कृषि समिति तक की बाईपास रोड को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद नैनीताल में काशीपुर में लगी इण्डिया ग्लाइकोल फैक्ट्री द्वारा निकलने वाले प्रदूषित पानी को कोसी नदी में गिरने से रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर समय से न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	85
प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उल्लेख सदन में न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	86–89
तिथियां	90–93

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन बाबर, श्री — फैजाबाद
अख्तर, श्री — गाजियाबाद
अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री — रामपुर
अमरमणि, श्री — महाराजगंज
अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
अशोक कुमार, श्री — बिजनौर
अशोक पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
इन्दल सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
उमानाथ, श्री — जौनपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — गाजीपुर
करन चन्द्र सिंह, श्री — नैनीताल
करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
कालीचरण, श्री — मिर्जापुर
काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री — इलाहाबाद
कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गोवर्धन सिंह, श्री — एटा
गौरी शंकर भइया, श्री — बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
चन्द्रविजय सिंह, श्री — मुरादाबाद
जगदीश लाल, श्री — महाराजगंज
जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महाराजगंज
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जयशंकर पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
ज्ञानेन्द स्वरूप, श्री — मथुरा
देव कुमार यादव, श्री — बांदा
धर्मपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, श्री — बुलन्दशहर
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
नियाज हसन, श्री — प्रतापगढ़
निरवेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
बंशीधर, श्री — रामपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बृजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
मदन गोविन्द राव, श्री — देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मास्टर कंवर पाल, श्री — सहारनपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
मो0 हयात, श्री — मुरादाबाद
युवराज सिंह, श्री — हमीरपुर
रणजीत सिंह, श्री — देहरादून
रमाकान्त, श्री — आजमगढ़
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री — बुलन्दशहर
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री — इटावा
राकेश कुमार पालीवाल, श्री — फिरोजाबाद
राजधारी, श्री — बलिया
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री — सीतापुर
राजेश्वर बंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
राम तेज, श्री — बहराइच
राम बचन धुसिया, श्री — बलिया
राम सरन सिंह, श्री — अलीगढ़
रिछपाल सिंह बंसल, श्री — मेरठ
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती — कानपुर
विक्रमादित्य, श्री — बलिया
विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री — आगरा
विनोद कुमार चौधरी, श्री — लखनऊ
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री — फतेहपुर
वीरेन्द कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री — हरिद्वार

शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	सुरेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
श्री प्रकाश उर्फ ज्ञानू, श्री	आजमगढ़	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
संगम लाल शुक्ला, श्री	प्रतापगढ़	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
समीउल्ला, श्री	गोण्डा		

हैदराबाद

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 18 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्नातक डिग्रियों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त करने की योजना

**1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातक डिग्रियों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों की अनुपयोगिता तथा समय और धन के अपव्यय को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त करने की शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा था कि "यदि नहीं, तो क्यों ?" माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । मान्यवर, यह जो तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 1986 में नई शिक्षानीति के अंतर्गत लागू किया गया था, वह माननीय राजीव गांधी के निर्देश पर हुआ था । इससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब बालकों और उनके अभिभावकों का जहां एक ओर बहुमूल्य समय नष्ट होता है वहीं दूसरी ओर उनका पैसा भी व्यर्थ में खर्च होता है । यह तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की राजीव गांधी की एक कपोल कल्पित योजना थी । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज इस बदलती हुई परिस्थिति में क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की योजना को समाप्त कर वही पुरानी दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाली योजना को लागू करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बजापेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है । यह तीन वर्षीय पाठ्यक्रम तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के दिशा निर्देश के अनुसार जारी किया गया था ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, अब तक जो हमारा दो वर्ष का पाठ्यक्रम था उसको अब तीन वर्ष के लिए कर दिया गया है इसमें कोई नया पाठ्यक्रम जोड़ा नहीं गया है । इस दृष्टि से माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या इसे फिर तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष करने पर विचार करेंगे ? या क्या कोई नया प्रास्पेक्टस बनाने का शिक्षा विभाग का विचार है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने अभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि यह जो परिवर्तन किया गया है वह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया गया है । उनका कहना था कि जो विश्वविद्यालय तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू नहीं करेंगे उनकी डिग्रीज को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन मान्यता नहीं देगा । इसलिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करना जरूरी हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी जिज्ञासा प्रकट की कि जो दो वर्षीय पाठ्यक्रम था उसी को अब तीन वर्ष के लिए कर दिया गया है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अलग-अलग विश्वविद्यालयों ने कोई ऐसा संगठित प्रयास किया कि उस तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम जोड़ा जाय ? या क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक पाठ्यक्रम निर्धारित करने का प्रश्न है वह विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ही निर्धारित होता है, वह शासन स्तर से नहीं होता । लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं वह हम विश्वविद्यालयों तक पहुंचा देंगे । और उनसे निवेदन करेंगे कि वे उन पर विचार करें ।

श्री पंचानन राय–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी कहा कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के स्तर से ही निर्धारित होता है, शासन स्तर से नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया गया वह शासन स्तर से किया गया या विश्वविद्यालयों के स्तर से । यदि शासन ने ही इस तरह का निर्देश दिया है तो फिर शासन से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी करने में क्या दिक्कत है कि तीन वर्ष के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाय ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा के सम्बन्ध में मैं एक बात यह निवेदन कर दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो दिशा निर्देश थे उसमें उसने कहा था कि कोई विद्यार्थी जब तक कि उसने सफलतापूर्वक तीन वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा न किया हो, प्रथम उपाधि के लिए पात्र नहीं होगा । इस उपाधि को बी0 ए0, बी0 काम0, बी0 एस-सी0 (सामान्य/आनर्स/विशेष) जैसी भी स्थिति हो, कहा जायेगा । इस संक्राणों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए कोई छात्र तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने तीन वर्ष की अवधि का प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा न किया हो । . . . . (व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा था । मैंने पूछा था कि तीन वर्ष का पाठ्यक्रम लागू किया जाय पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में । इसकी गाइड लाइन्स क्या उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार उनको दी गई थी या अलग-अलग विश्वविद्यालयों ने स्वयं फैसला करके अपने यहां इसे लागू किया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यदि ध्यानपूर्वक सुने होते तो शायद उन्हें इतनी अधिक उत्तेजना न होती । यह मैंने उनके एक बिन्दु का उत्तर दिया था । दूसरी बात मैंने कही थी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने यह फैसला अपने स्तर पर किया ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, यह मामला नौजवानों से संबंधित है । इसी नाते मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछली सरकार का पाप है । मैं उस समय विद्यार्थी था । . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये ।

श्री राम करन आर्य–

तीन वर्ष का कोर्स किया गया । भाई अनुग्रह नारायण तथा अन्य माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं । वे भी विश्वविद्यालय में नेता रहे हैं । ऐसा करके पाठ्यक्रम में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । बेरोजगारों को झुनझुना देने के लिए और बेरोजगारों की फौज बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो कृपया बैठ जायं ।

श्री राम करन आर्य–

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार झुनझुना देने से काम नहीं चलेगा । क्या वर्तमान सरकार इस तीन वर्षीय कोर्स को हटाकर जैसी कि हमारी पहले भी डिमान्ड थी, दो वर्ष का कोर्स करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट रूप से शुरू में निवेदन किया था, माननीय सदस्य ने सम्भवत: ध्यान से उत्तर सुना नहीं है । मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ''जी नहीं'' ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने दो वर्ष के कोर्स को तीन वर्ष का तो कर दिया किन्तु अभी पिछली 7 जून, 1990 को लखनऊ विश्वविद्यालय की एम0 ए0 प्रथम वर्ष (समाजशास्त्र) की परीक्षा जो कि सिलेबस से बाहर का प्रश्न पत्र था, इसलिए विद्यार्थियों ने वह परीक्षा नहीं दी, क्या माननीय मंत्री जी उसकी शीघ्र पुन: परीक्षा लेने के आदेश देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सर्वथा भिन्न है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

माननीय उपाध्यक्ष जी ने मंत्री जी को निर्देश दिया था ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि यह पुरानी सरकार का पाप है । क्या माननीय मंत्री जी उनके इस कथन को सत्य मान रहे हैं ? यदि वे इसे पाप नहीं पुण्य का काम मानते हैं, तो बता दें कि इसी वजह से 3 वर्ष का कोर्स कर दिया गया है ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न पुनरावृत्ति से भरा है । उसको सभी विश्व-विद्यालयों में देंगे ।

आयोग में अन्य पिछड़े हुए वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री फौजदार प्रसाद, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की ''अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ बहुत पिछड़े हुए वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए परिसीमन के समय उनके गहन क्षेत्रों को पृथक क्षेत्र के रूप में निर्मित करने'' की संस्तुति को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण की सुविधा आरक्षित जातियों के अन्तिम व्यक्ति तक एक निश्चित अवधि के अन्दर पहुंच जाय, सरकार क्या कर रही है ? इस संस्तुति को कब तक लागू कर दिया जायेगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

प्रश्नगत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, भाग एक (खण्ड 1 और 11) के अध्याय 13 के प्रस्तर 13.37.4 में की गई सिफारिश वास्तव में निम्नवत् है:--

> ''अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ बहुत पिछड़े हुए वर्गों को जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव-बौद्ध, तटीय क्षेत्रों में मछियारे, जम्मू काश्मीर में गूजर आदि को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन के समय उनके गहन क्षेत्रों को पृथक क्षेत्र के रूप में निर्मित किया जाए ।''

उक्त आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया था । पिछली केन्द्रीय सरकार द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट की जांच की जा रही थी । उनका मत था कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर मतैक्य नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए । वर्तमान केन्द्रीय सरकार, मंडल आयोग की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है । यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । निर्णय होने पर राज्य सरकार द्वारा भी समुचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मार्गदर्शन कब लागू हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी मैं प्रश्न संख्या को पुकार चुका हूं । आप माननीय मंत्री जी से मिल कर बात कर लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने दो बातें पूछी थी एक तो यह कि आरक्षण की जो व्यवस्था हमारे संविधान निर्मातओं ने की है वह यह है कि आरक्षण का लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो लेकिन अभी तक उसका लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने लिया है तो आरक्षण की सुविधा आरक्षित वर्ग के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच सके इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? इसका जबाब उत्तर में नहीं आया है । दूसरा यह कि मेरी जानकारी में है कि प्रधान मंत्री ने सारे मुख्य मंत्रियों से मंडल आयोग की सिफारिशों को किस तरह लागू किया जाय इस पर विचार मांगें हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में क्या विचार दिए हैं, क्या राय उन्होंने दी है कि किस तरह से उन सिफारिशों को लागू किया जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गयी है । हमारे मख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने एक वर्ष के अन्दर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी है । जो भावना तिवारी जी ने व्यक्त की है कि अन्तिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिलने की बात कही है तो आयोग ने छानबीन कर अपनी रिपोर्ट दी है और सरकार ने संकल्प किया है कि उस आयोग की रिपोर्ट को एक वर्ष के अन्दर लागू किया जायेगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री मलायम सिंह जी ने अपने बजट भाषण में मंडल आयोग की सिफारिशों के बारे में जो कहा है उससे यह जो जबाब दे रहे हैं भिन्न है यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार का जो निर्णय होगा उसके अनसार लाग करेंगे । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के बाद आज तक इनके मंत्रिमंडल ने मंडल आयोग की संस्तुतियों पर कभी विचार किया यदि विचार किया गया तो क्या राय बनी और क्या उसे केन्द्र सरकार को भेजा गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस संबंध में मैंने पहले ही निवेदन किया तिवारी जी से कि मंडल आयोग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं और उसको लागू करने की बात को हमारे चुनाव घोषणापत्र में ही दिया गया है उसके लिए अलग से राय भेजने की जरूरत नहीं है उसमें हमारी और केन्द्र सरकार की राय एक ही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से सवाल पूछा था कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने देश भर के सभी मख्य मंत्रियों से सरकार की राय मांगी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किस तरह से लागू किया जाय कि अंतिम व्यक्ति तक वह सुविधा पहुंच सके । तो इस बारे में हमारे प्रदेश की सरकार ने अपनी क्या राय भेजी है ? यदि भेजी है तो वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम चन्द्र बख्श और माननीय तिवारी जी की उत्सुकता यह है कि आपने मंत्रिमंडल की मीटिंग में मंडल आयोग की सिफारिशों पर विचार कर अपनी राय केन्द्र सरकार को भेजी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने और माननीय सदस्यों ने बजट भाषण पढ़ा और सुना होगा उसमें स्पष्ट कह दिया है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी ।

उसमें अलग से राय भेजने की हमको आवश्यकता नहीं है । केन्द्र सरकार और हम भी सिफारिशें एक वर्ष के अन्दर लागू करने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनता दल तथा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जैसा बजट में कहा है कि रिपोर्ट को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, तो मंत्री जी के जबाब से हम सहमत नहीं हैं कि हम एक साल के अन्दर इसको लागू कर देंगे, जबकि बजट में एक साल की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, इसलिए आप बैठ जायं ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशें एक वर्ष में लागू कर दी जायेंगी । सिफारिशों का हमने और मंत्री जी ने भी अध्ययन किया होगा तो आरक्षित जातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए क्या किया उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि कहा गया है कि हम 10 हजार रुपये कर्जे माफ कर देंगे, उस घोषणा की परिणति में वह चूं चूं का मुरब्बा हो गया है । मंडल आयोग की सिफारिशें यथावत आप स्वीकार कर लेंगे या कोई कमेटी बनाकर घालमेल करेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(व्यवधान) इसका उत्तर आ चुका है ।

(उत्तर मंत्री जी से नहीं दिलाया गया)

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, मंडल कमीशन ने अनेक प्रकार की सिफारिशें की हैं । कुछ पूर्णतः राज्य सरकार से सम्बन्ध रखती हैं । मंत्री जी ने अभी बताया था कि वह केन्द्र सरकार के विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने मंडल कमीशन के संबंध में क्या कार्यवाही किया और यह राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(मंत्री जी को उत्तर हेतु नहीं पुकारा गया)

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, आजादी के 40 वर्षों बाद भी गरीब और हरिजनों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है । जिसके लिए आरक्षण होना चाहिए उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है । जिनको आरक्षण मिला है उसके नीचे के गरीब को और हरिजन को सुविधा एवं आरक्षण हेतु नई सरकार क्या कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या प्रधान मंत्री ने समस्त मुख्य मंत्रियों को कोई पत्र इस सम्बन्ध में लिखा है ? और अगर लिखा है तो पत्र के जवाब में हमारे मुख्य मंत्री द्वारा संस्तुति की गई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसका भी उत्तर आ गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मण्डल आयोग की संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कहा कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, भारत के प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी कहा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, तो आप इन संस्तुतियां को कब तक लागू करेंगें ? कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एक वर्ष के अन्दर संस्तुतियों को लागू करने की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

एक वर्ष के अन्दर संस्तुतियों को लागू करने की बात मंत्री जी ने कही है, तो उक्त रिपोर्ट में राज्य सरकार से संबंधित जो आयोग के निर्देश हैं, उनको या माननीय मंत्री जी आने वाले समय में होने वाली नियुक्तियों के समय ध्यान में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब इन प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वर्ष 1978-79 में बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव

*1–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1978-79 में बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इन अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रदेश के 34 जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 24 जनपदों में वर्ष 1978-79 के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है । शेष 29 जनपदों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

40:1 के अनुपात में पद रिक्त न होने के कारण ।

40:1 के अनुपात में पद उपलब्ध होने पर ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के जनपद शाहजहांपुर में बहुत से विद्यालयों में बी0टी0सी0 अध्यापकों के स्थान खाली पड़े हैं, फिर भी उन पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न पूरे प्रदेश के संबंध में है .. .. "व्यवधान" पूरा उत्तर तो सुन लेते, उत्तर मैंने पढ़ा नहीं हुआ और आप लोग अनपरक प्रश्न करने लगे । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं अकेले किसी एक मण्डल के संबंध में नहीं, मैं तो इस तरह के सदस्य बनाने जा रहा हूं, जैसे ट्रेन्ड बी0टी0सी0 ट्रेनीशुदा अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई है । इस तरह की व्यवस्था मैं करने जा रहा हूं ।

श्री पंचानन राय–

मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यह सवाल पिछले सत्र का स्थगित प्रश्न है, प्राथमिकता के आधार पर आज दर्ज हुआ है । हमारी नियमावली में यह प्राविधान है कि यदि प्रश्न एक बार स्थगित होगा तो दुबारा उस संबंध में पूरी सूचना सदन में लेकर मंत्री जी आयेंगे । किन्तु आज भी वही स्थिति है । वैसा ही उत्तर आज भी आया है–कुछ ही जिलों के बारे में आया है । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह अधूरा उत्तर आने का कारण क्या है ? और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, आप देखें–प्रश्न में है–क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1978-79 में बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गई है ? मैंने इसके संबंध में कहा-यद्यपि यह नियुक्ति नहीं की गयी है, लेकिन जो व्यवस्था इस पूरे प्रदेश की कर रहे हैं .. ''व्यवधान'' स्पष्ट किसी–मंडल का जानना चाहते हैं, तो वह हमारे पास नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

यह सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके कौन अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही हुई ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को अपने उत्तर से सन्तुष्ट करें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अभी बरेली मण्डल को पूछा था . . . . (व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

जो इनके मूल उत्तर में है, उसी के बारे में जानना चाहता हूं कि जो शेष जनपदों से विभाग को सूचना अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, उसके बारे में वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? सूचना जो उनके विभाग वाले नहीं दे रहे हैं ? मान्यवर, यह प्रश्न पिछली बार स्थगित हुआ था और माननीय मंत्री जी इस बार इसका पूर्ण उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 जनवरी को यह प्रश्न पूछा गया था । परन्तु यह कामचलाऊ सरकार पूरे प्रदेश की जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है । आप किस गति से चल रहे हैं ? 29 जिलों की सूचना छह महीनों में इकट्ठा नहीं कर पाये हैं । सम्पूर्ण सूचना को कितने महीने में दे पायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा सूचना पर है । मैंने दूसरा निवेदन किया कि जो नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं, इस वर्ष प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संभवतः बेरोजगार बी0 टी0सी0 अध्यापकों की, उतनी कभी नहीं की गई होंगी ।

(मा0 सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मूल प्रश्न श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का था । इसलिए मैं इधर से अवसर दे रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मा0 शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्तियां निश्चित रूप से कब तक कर देंगे, पूरे प्रदेश में, यह बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । माननीय प्रमोद कुमार तिवारी और पंचानन राय का प्रश्न अभी पेंडिंग है । इन सबका उत्तर अभी मंत्री जी को देना है । जब तक यह उत्तर न आ जायं तब तक मैं आपको कैसे बुलवा दूं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, इतना शोर मच रहा है और क्या प्रश्न है, यह समझ नहीं आ रहा है ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उधर के लोगों को इतना शोर नहीं करना चाहिए । मान्यवर, आज तक फतेहपुर में बी0टी0सी0 किए हुए लोग बेकार पड़े हुए हैं, जिनमें से काफी तो ओवरएज हो गये हैं और 40-45 साल के हो गये हैं तो क्या जब नियुक्तियां की जाएंगी, तो इन पर विचार किया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न मिले जुले हैं, तो मंत्री जी पहले राय जी और प्रमोद कुमार जी के उत्तर दे दें और बाद में अचल सिंह जी के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश का प्रश्न मूल रूप से किया गया है और पूरे प्रदेश का उत्तर मैंने दिया है । मुश्किल यह है कि उत्तर पूरा होता नहीं है और माननीय सदस्य व्यवधान करने लगते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को सबकी रुचि को देखते हुए स्थगित करता हूं ।

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभाओं को तीन साल के अन्दर कच्ची सड़क द्वारा पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव

*1–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताऐंगे कि सरकार ने गांवों की उन्नति के लिए तीन साल के अन्दर हर गांव को कच्ची सड़क द्वारा पक्की सड़क से जोड़ने का कोई कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताऐंगे कि डा0 लोहिया और चौधरी चरण सिंह के नक्शे-कदम पर चलने का जो सरकार दावा करती है वह किसानों को, गांव के लोगों को, कितने साल में कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर पहुंचाएगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है गांव में मार्गों का होना बहुत आवश्यक है । अपने सीमित संसाधनों में हम पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मार्गों को सम्पर्क मार्गों से, जो 1500 आबादी वाले गांव हैं उनको जिला मार्गों से जोड़ दिया जाए । हमने उत्तर दिया है, योजना नहीं बनाई है, लेकिन प्रयास पूरा होगा कि अधिक से अधिक मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए ।

श्री भोला पाण्डेय–

इन्होंने कहा कि कोई योजना नहीं है । मैं गांवों के विकास की दुहाई देने वाली सरकार से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कोई योजना सरकार बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मार्गों के बारे में उल्लेख किया है। मैंने पहले भी कहा कि सम्पर्क मार्ग अधिक से अधिक बनाये जायेंगे । इसलिए 51 फीसदी पैसे का बजट में प्राविधान किया गया है । बजट पास होने के बाद इसमें योजना भी बनाई जायेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, क्या यह स्पष्ट रूप से बता .ेंगे कि कितने साल में कच्चे मार्ग पक्के मार्गों से सरकार जोड़ देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अभी कोई ऐसी योजना नहीं है । हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इन मार्गों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जाए ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जमाने में योजना हुई थी और यह रूपरेखा बनी थी कि 15 सौ आबादी वाले सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । यह सरकार उस पर काम कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि जो सड़कें चाहे वह एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत, चाहे आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत बनी हैं क्या उनको भी आप पक्का करने की योजना बना रहे हैं । आपने नारा दिया है, बजट चला गांव की ओर तो इस नारे को कार्यान्वित करने के लिए क्या इन सड़कों को भी आप पक्का करवायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुईद अहमद साहब का सुझाव अच्छा है । संशाधनों की परिधि में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जायगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे प्रत्येक गांव पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके । यदि हां, तो प्रत्येक गांव पक्की सड़कों से कब तक जुड़ जायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के मूल प्रश्न के उत्तर में यह दिया गया है कि ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है । लेकिन हमारी प्राथमिकताओं में गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना है । हम प्रयास करेंगे कि योजना बनाकर गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जाय ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिसकी घोषणायें सदा कागज पर हुआ करती थीं प्रदेश के प्रत्येक गांव को वर्ष 1990 तक सड़कों से जोड़ने का संकल्प लिया था । मान्यवर, वह संकल्प अब तक पूरा नहीं हुआ । अगर हुआ होता तो सारे गांव पक्की सड़कों से जुड़ गये होते । मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने जो 1990 तक गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात कही थी उसकी क्या स्थिति है । उसको माननीय मंत्री जी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बताने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित है । पूरे विभाग की मानीटरिंग करने के बाद ही इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अरुण कुमार सिंह ''मुन्ना''–

मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्य बाजपेयी जी ने ठीक ही प्रश्न किया था और शायद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसका पूरा उत्तर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, इस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मान्यवर, बजट भाषण में इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, वर्तमान सरकार उसके बारे में कहां तक आगे चलना चाहती है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी आयें, तो वह पिछली सरकार के विकास संबंधी कार्यों की सभी समीक्षाओं को प्रस्तुत करें ।

श्री राम चन्द्र बक्श वर्मा–

मान्यवर, जनसंख्या का आधार जनगणना वर्ष 1971 को आधार माना जायगा या वर्ष 1981 को आधार माना जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी तक जो आधार है, वह 1971 का है ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्रकाशकों एवं मुद्रकों को शासन द्वारा रियायती दर पर कागज उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही

*2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा अभी तक मान्यता प्राप्त प्रकाशकों और मुद्रकों को रियायती मूल्य पर कागज उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यता प्राप्त प्रकाशकों और मुद्रकों को रियायती मूल्य का कागज उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मसौली में निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत बने भवनों में 15 लाख रुपये की हेराफेरी की शिकायत

*3–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मसौली में 288 भवन निर्माण कराये जाने की गलत सूचना शासन को भेजकर 15 लाख रुपये का गोल माल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1988-89 में निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मसौली के लिए कुल 248 आवासों के निर्माण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था । तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी खण्ड मसौली द्वारा समस्त

248 आवासों के निर्मित हो जाने की सूचना दी गयी थी । स्थलीय सत्यापन करने से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त सूचना सही नहीं थी । वर्तमान में 186 आवास पूर्ण हुए हैं तथा शेष 62 आवासों के निर्माण का कार्य चल रहा है । तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा विकास खण्ड के आंकिक को स्थानान्तरित कर आरोप पत्र दिया जा चुका है । प्रकरण में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-विकास खण्ड मसौली द्वारा समस्त 248 आवासों के निर्मित हो जाने की सूचना दी गई थी। स्थलीय सत्यापन करने से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त सूचना सही नहीं थी। मान्यवर, उस विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध इतना बड़ा गम्भीर आरोप होने के बावजूद उसे केवल स्थानान्तरण कर दिया गया है । मान्यवर, एक विकास खण्ड अधिकारी ने गलत सूचना दी, यह कितनी सीरियस बात है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, अब माननीय मंत्री जी का स्वयं यह उत्तर आ रहा है कि खण्ड विकास अधिकारी ने गलत सूचना दी, तो उस बी0 डी0 ओ0 को क्या सजा दी गयी ? यदि उसे सजा नहीं दी गयी, तो क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, उसमें निर्बल वर्ग के आवासों के बनने की सूचना दी गयी थी, लेकिन उसमें कोई पैसे के दुरुपयोग की बात नहीं पाई गयी थी । उस खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है और सहायक विकास आयुक्त से उसकी जांच करवाई जा रही है । मान्यवर, मूल प्रश्न में उच्च स्तरीय जांच की बात कही गयी थी, तो मान्यवर, उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है । उसको आरोप-पत्र दिया जायगा और जब उसका कोई कसूर साबित हो जायगा, तो उसको सजा दी जायगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना गम्भीर मामले में शासन को गलत सूचना देना और ऐसी सूचना देना जिससे कि पूरे विकास के बारे में आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है तो यह तो अपराध हुआ, अब इसको माननीय मंत्री जी गम्भीर अपराध मानते हैं या नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बहुत गम्भीर मानता हूं और इसीलिए उच्चस्तरीय जांच हो रही है और जांच के परिणाम आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हीं के जनपद का यह मामला है क्या उस जगह का निरीक्षण माननीय मंत्री जी ने किया है और क्या विकास खण्ड अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई है ? मान्यवर, उसका स्थानान्तरण जो इन्होंने किया क्या इससे बड़ी सजा उसको नहीं दी जा सकती थी जो केवल स्थानान्तरण कर दिया गया ? मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के जनपद का मामला है केवल स्थानान्तरण करके जांच के आदेश दे दिए गये हैं लेकिन क्या न्यायिक जांच के आदेश देंगे ताकि तात्कालीन प्रभाव से उसको दंडित किया जा सके ?

(उत्तर नहीं आया)

जनपद सोनभद्र के रेणुकूट एवं ओबरा वन प्रभाग में बसे आदिवासी लोगों को बेदखल करके वृक्षारोपण का प्रस्ताव एवं भविष्य में वृक्षारोपण हेतु विवादित भूमि के सीमांकन के फलस्वरूप ग्राम पगड़ेवा, नगवा और कोंगा के आदिवासियों को बेदखल किए जाने का विवरण

*4–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग व ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत कितने एकड़ धारा 20 की ऐसी भूमि है जिस पर आदिवासी एवं गरीब व्यक्ति घर, खेत, कुंआ बनाकर वर्षों से आबाद हैं ? क्या भविष्य में उक्त भूमि से उनको बेदखल करके वृक्षारोपण करने की योजना है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त के संबंध में अर्द्धशासकीय पत्र सं0 6368/14-2-405/52/82 वन अनुभाग-2 दिनांक 24-6-88 को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में वृक्षारोपण किए जाने वाले विवादित भूमि का संयुक्त सीमांकन प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाय ? यदि हां तो ग्राम पगडेवा, नगवां और कोंगा में आदिवासी किसानों को बेदखल किए जाने के क्या कारण हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अस्लम खां)–

रेनूकूट वन प्रभाग में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अंतर्गत घोषित कुल आरक्षित वन क्षेत्र 39,723.96 हे0 है । धारा–20 में जो विज्ञापित क्षेत्र है उसमें 1788.61 हे0 आदिवासियों द्वारा व 660.94 हे0 गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमित है । अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जाना अर्द्धशासकीय पत्र सं0 5368/14-2-405(52)/82, दिनांक 24-6-88 के साथ प्राप्त संलग्नक के प्रस्तर–6 के उल्लिखित निर्देशों के अनुसार है । ग्राम नगवां, पगडेवा तथा कोंगा का क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित है । इस गांव के कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा वनभूमि पर अतिक्रमण को हटाया जाना शासकीय आदेशों के सर्वथा अनुरूप है ।

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत अभी तक भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कोई भी वन भूमि घोषित नहीं हुई है । अतएव आदिवासी एवं गरीब व्यक्तियों को बेदखल करके वृक्षारोपण किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को रोजगार न मिलने से उत्पन्न समस्या

*5–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद के हजारों बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों के परिवारों के सम्मुख भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो ऐसे सभी बेरोजगार अध्यापकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं । ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बेरोजगारों के बारे में जो दृष्टिकोण है उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या जब तक कोई भिक्षा पात्र लेकर उनके सामने बेरोजगार नहीं आयेगा तब तक उसको बेरोजगारी के कगार पर नहीं मानेगें ? जनपद फैजाबाद में किस सन् तक के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दिया है और जिनको रोजगार नहीं दे पाये हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, कुल बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या फैजाबाद में 866 है और उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 1975 के सामान्य वर्ग के 59 पिछड़ी जाति के 42 और

स्वयं सैनिक 2 की नियुक्ति की गयी है । वर्ष 1976 के अनुसूचित जाति के 24, विकलांग 2 और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक 3 कुल 132 की नियुक्ति की जा चुकी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि वर्ष 1975 के प्रशिक्षित कुल लोग अभी तक बेरोजगार हैं और 1976 से काफी संख्या में यह रोजगार नहीं दे पाये हैं । अभी माननीय मंत्री जी एक प्रश्न के उत्तर में कह रहे थे कि निकट भविष्य में वह इतनी नियुक्तियां करने जा रहे हैं कि वह एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 800 के करीब बेरोजगार हैं इनकी नियुक्तियां कब तक कर देंगे और इस समय कितने खाली पद हैं फैजाबाद में और इन खाली पदों पर नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं और चिन्तित हूं इस विषय से । मान्यवर, जहां तक नियुक्तियों का संबंध है अभी जो बजट यहां प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका मैंने अवलोकन किया है कि एकल अध्यापकीय विद्यालयों में 2 अध्यापकों का प्राविधान करेंगे । नये विद्यालयों के खुल जाने से एक बड़ी संख्या में उपलब्धि होगी शिक्षकों की उस समय इन 866 जो हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको बड़ी संख्या में नियुक्ति मिल सकेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा स्पष्ट सवाल है कि जो ये 866 हैं, आप कहते हैं कि बड़ी संख्या में इनकी नियुक्ति कराएंगे । आप कुछ संख्या बताएं कि इस बड़ी संख्या का मतलब 200, 400 या 600 क्या है । गोलमोल जवाब न दें और कब तक कर देंगे इस साल में, यह भी बतावें ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

रिक्तियों का आगरण कर रहे हैं, आगरण पूरा होने के बाद नियुक्ति कर देंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी को पूर्व सरकार की गलत नीतियों के चलते जो प्रशिक्षित बेरोजगारों की फौज मिली है और शिक्षक 1976 से अब तक बेकार पड़े हैं, क्या सरकार इन बी0टी0सी0 ट्रेन्ड अध्यापकों को रोजगार देने के लिये कोई योजना बना कर उनकी बेरोजगारी समाप्त करने का निर्णय लेगी । ताकि इन सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने बड़ा व्यापक प्रश्न कर दिया । यह केवल फैजाबाद से संबंधित मामला है । आपका प्रश्न बहुत व्यापक है जो पूरे प्रदेश से संबंधित है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह पब्लिक इन्टरेस्ट का सवाल है । केवल फैजाबाद के बारे में ही उत्तर दिला दें । इसका उत्तर आ जाने दें । यह हाउस सारे प्रदेश के अध्यापकों से जुड़ा हुआ है। यह लोक महत्व का सवाल है । शिक्षा मंत्री जी कोई योजना हो तो आ जाने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसी प्रकार का एक प्रश्न पहले भी स्वीकृत कर दिया है । सुरेन्द्र विक्रम जी ने भी यही प्रश्न पूछा था । मैं स्थगित कर चुका हूं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है । केवल फैजाबाद के संबंध में बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 तिवारी जी पूछ चुके हैं । यह प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तर आ चुका है । आप दोहरा रहे हैं .. (व्यवधान) .. कृपया सभी मा0 सदस्य बैठ जायें ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का प्रश्न यह था कि जो स्थान रिक्त हैं, उनके लिये मांग हो चुकी है तो वे क्यों नहीं भरे जा रहे हैं । इसका जवाब नहीं आया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मूल प्रश्न फैजाबाद के संबंध में था जिसके बारे में मैंने निवेदन किया कि शीघ्र ही भरे जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

इस सरकार से यह जानना चाह रहा हूं, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की दुहाई देते हैं, इनको सरकार के निकम्मेपन के कारण बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिल पाया है उनको रोजगार देंगे और क्या रिलेक्सेशन आयु में देने की कृपा करेंगे, आयु में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है, जवाब दिलवा दें । बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, आयु में रिलेक्सेशन देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वन मंत्री जी अगला प्रश्न है आपका, माननीय हनमन्त सिंह जी मौजूद हैं ।

(श्री मोहम्मद असलम खां के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वन मंत्री जी कृपया बैठें । माननीय लटूरी सिंह जी आ गये हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 6 ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी मैंने प्रश्न स्थगित कर दिया है इसी से संबंधित उसमें सबके प्रश्नों के उत्तर आ जायेंगे ।

डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, एटा की भूमि पर विद्यालय के पूर्व प्रबन्धक के परिवार का अनधिकृत कब्जा

*6–श्री लटूरी सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डी0 ए0 बी0 इण्टर कालेज अलीगंज, एटा की भूमि गाटा संख्या 1175 पांच एकड़ 71 डेसीमिल को पूर्व प्रबन्धक श्री गेंदालाल गुप्ता ने बिना विभागीय अनुमति के अपनी पत्नी श्रीमती राममूर्ती देवी गुप्ता एवं इसी विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री दिनेश चन्द्र गुप्त की पत्नी श्रीमती बीना कुमारी गुप्ता तथा एक व्यक्ति श्री अनिल कुमार गुप्ता के नाम अवैध रूप से किराया नामा की रजिस्ट्री की है ? क्या यह भी सही है कि इसी कालेज की भूमि गाटा संख्या 1250 छः सोलह एकड़ व गाटा संख्या 1265 की एक 52 एकड़ व गाटा संख्या 1283 की छः 41 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके उक्त पूर्व प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा अवैध किरायानामों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

भूमि सं0 1175 के केवल तीन एकड़ क्षेत्रफल का किराया नामा रजिस्ट्री कराया गया था ।

जांच के समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि संख्या 1250 पर ईंट पाथी जा रही थी । भूमि सं0 1283 पर अवैध कब्जा नहीं है तथा भूमि संख्या 1265 विद्यालय की नहीं है ।

जांच के उपरान्त समुचित कार्यवाही की जा चुकी है तथा विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है । किराये नामें को निरस्त कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, उत्तर के संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज में भट्ठा लगा हुआ है, भट्ठे में ईंट की पथाई हो रही है । मंत्री जी स्वत: कोई दूसरी इन्क्वायरी करा लें । क्योंकि मेरा देखा हुआ है, मेरे पड़ोस में भट्ठा लगा हुआ है । जो जवाब आ रहा है उसमें सिर्फ एक पर ईंट भट्ठा बताया है वहां पर कम से कम 20 एकड़ में ईंट पाथी जा रही है । तीन एकड़ का पट्टा आपने दर्शाया है और यहां पर एक जालसाजी का काम और हुआ है । पूर्व प्रबन्धक ने अपनी पत्नी के नाम पर जो पट्टा किया है वह मतलब अपने ससुर के नाम पर पुत्री का बना कर किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री लटूरी सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो जालसाजी हुई है उसमें विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, शिक्षा विभाग ने प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम (92) की धारा 16 घ की उपधारा (8) के अन्तर्गत प्रबन्धाधिकारी की नियुक्ति की गयी है । इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 2055/पन्द्रह-9-89-200(43)/87 दिनांक 1-7-89 के अनुसार इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम (92) की धारा 16 (घ) की उपधारा (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी है । तद्नुसार परगनाधिकारी अलीगंज ने प्राधिकृत नियंत्रक के पद पर कार्य भार ग्रहण कर लिया है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और जो सदस्यों ने सूचना बतायी उसमें भिन्नता है । भूमि स्थानान्तरण का मामला था उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? दूसरे आस्तियों के स्थानान्तरण पर रोक विधेयक पारित है 1974 से, गैर सरकारी विद्यालय की सम्पत्ति स्थानान्तरित नहीं की जा सकती, अगर की गयी तो प्राजिक्यूशन होगा, वह क्यों नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

शिक्षा मंत्री जी आप कृपया बैठ जायें और श्री पंचानन राय जी आप अपने प्रश्न को दुहरा दें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने दो सवाल किए हैं । विधान सभा के सदस्य बता रहे हैं कि यह सूचना गलत है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने इस मामले की जांच की और यदि यह जांच गलत है तो क्या किसी उच्च अधिकारी से इस मामले की जांच करायेंगे ? मैं यह भी बता दूं कि स्थानान्तरण पर रोक संबंधी विधेयक भी है तो क्या पूर्व प्रबंधक के खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, सूचना यह थी कि स्थानान्तरित नहीं किया गया, केवल किरायेनामे पर उठाया गया । लेकिन यदि इसके अतिरिक्त कोई सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध हो, तो वह हमें दे दें, उसमें हम निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे ।

*7–श्री रविदास मेहरोत्रा–

[दि0 5-3-90 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

*8–श्री कल्यान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोण्डा जनपद के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा करोड़ों रुपयों की वन सम्पदा की चोरी

*9–श्री हनुमन्त सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि माह दिसम्बर, 89 एवं जनवरी, 1990 में गोण्डा जिले में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा करोड़ों रुपये कीमत की लकड़ी का बनों से अवैध कटान कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जनपद गोण्डा स्थित उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के विभिन्न वन क्षेत्रों से माह दिसम्बर, 1989 एवं जनवरी, 1990 में स्थानीय ग्रामवासियों तथा असामायिक तत्वों द्वारा रुपये 86,952/- (रुपये छियासी हजार नौ सौ बावन मात्र) मूल्य के कुल 191 वृक्षों का अवैध कटान किया गया । इस अवैध कटान के पश्चात विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर रुपये 2,787/- (रुपये बासठ हजार सात सौ सत्तासी मात्र) की लकड़ी जब्त की गयी । इस प्रकरण में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की कोई मिलीभगत नहीं पाई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हनुमन्त सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि मेरा जो मूल प्रश्न था, उस पर इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया । मैंने कहा था कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ से करोड़ों रुपये की जंगल से लकड़ियां काटी गयीं, लेकिन वन मंत्री जी पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं कि नाजायज कटान नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वन मंत्री जी इस प्रश्न पर किसी उच्चस्तरीय जांच को कराने की कृपा करेंगे और अगर उन्होंने कोई जांच करवाई है, तो बता दें कि किस अधिकारी से जांच करवाई है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुये मैं बताना चाहूंगा कि शिकायत मेरे पास पहले भी आयी थी और मैं स्पष्ट कर दूं कि इसी क्रम में इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने तीन महीने पहले एक चिठ्ठी लिखी थी, उसके ऊपर श्री के0 एन0 सिंह, वन रक्षक से जांच कराई गयी, उस जांच के दौरान यह आदेश भी दिया गया था कि माननीय विधायक जी को भी साथ लेकर जांच कराई जाये, ताकि कोई बदनियती वाली बात न रहे और मामला स्पष्ट हो सके । इस जांच के बाद कोई ऐसा आधार सामने नहीं आया जिससे हम किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई प्रमाण हैं, तो वह दे दें । यह सरकार जांच कराने से नहीं डरती है, जो बेईमान हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जायगा ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी विधायक जी को साथ लेने की बात कह रहे हैं, तो मंत्री जी यह बता दें कि किस तारीख को जांच अधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में गये और उन्होंने मुझसे सम्पर्क करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, मैंने नाम का उल्लेख नहीं किया था । मुझको अप्रैल, 1990 में रिजवान जहीर की शिकायत मिली थी, जिस पर मैंने के0 एन0 सिंह से जांच कराई थी और जांच के समय माननीय शिकायतकर्ता उनके साथ थे तथा माननीय विधायक जी भी उनके साथ थे ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, रिजवान की बात कही जा रही है । मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि आपको साथ लेकर के जांच की गई । क्या आपको जांच अधिकारी ने साथ लिया था ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, जांच अधिकारी ने मुझे साथ नहीं लिया था और न ही मुझे इसकी सूचना दी थी । इस तरह से गलत सूचना देकर जांच अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को व इस सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जांच अधिकारी मुझे साथ ले गया था कि नहीं ? यदि नहीं, तो उस जांच अधिकारी के खिलाफ क्या कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, थोड़ा सा आपके सुनने में भी फर्क हो गया है । मान्यवर, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि यदि वह जाने के लिए तैयार हैं तो हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । आपको भी साथ लेकर जांच करा दी जायेगी ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर. माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 86 हजार रुपए का कटान हुआ है और लगभग 44 हजार रुपए जमा कराये गये हैं । किस-किस से वह रुपया जमा कराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि ग्रामवासियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा इस लकड़ी की चोरी की गई थी । जो लकड़ी बरामद हुई वह 62 हजार 787 रुपये की थी । इसकी एक प्रक्रिया होती है । सबसे पहले इसे कम्पाउन्ड कर दिया जाता है । कुछ मुकदमें कचहरी व कोर्ट में चले जाते हैं । इन दोनों की सूचनायें मेरे पास हैं । यदि आप कहेंगे तो डिटेल में बता दिया जायेगा ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बात कहीं कि जांच अधिकारी मुझे मौके पर ले गये । रिजवान की बात भी कही जा रही है । प्रश्न मेरा था । मुझे जांच अधिकारी साथ लेकर गये कि नहीं, इसकी माननीय मंत्री जी जांच करवा लें ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में अवैध कटान जारी है । उसमें अधिकांश कटान वनों का जो होता है, उसमें वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

आगरा मण्डल के सेवा निवृत्त अध्यापकों के अनुतोषिक निर्धारण के संबंध में शिकायत

*10–श्री कृष्ण कुमार नवमान–(अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को प्रदत्त आनुतोषिक की अधिकतम

सीमा क्रमशः 36000 रु0 तथा 50000 रु0 का परिपालन आगरा मण्डल में सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 1982 एवं 1985 में सेवा निवृत्त अध्यापकों के संबंध में भी किया गया है, जबकि आनुतोषिक की समानता 10 अगस्त, 1978 के शासनादेश सं0 2523/पन्द्रह-8-3070/77 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रदत्त आनुतोषिक की अधिकतम सीमा का परिपालन किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन विभाग में लकड़ी की बिक्री के संबंध में ट्री-ट्री योजना को पुनः लागू करने की मांग

*11–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लकड़ी के ठेकेदारों को प्राइवेट ट्री-ट्री द्वारा लकड़ी बेचने की प्रक्रिया को वर्ष 1986 से बन्द कर देने के क्या कारण थे ? क्या यह सत्य है कि इसी प्रक्रिया को बन्द कर देने से वन निगम को भारी घाटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट ट्री-ट्री की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो0 असलम खां–

निजी समझौते द्वारा लकड़ी के निस्तारण की प्रक्रिया तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार वर्ष 1986 से बन्द कर दी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रक्रिया को आरम्भ करने में कई प्रशासनिक कठिनाइयां हैं तथा शिकायतें आदि भी उत्पन्न होती हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1986 में माफिया गैंग व ठेकेदारों के दबाव के कारण तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने निजी समझौते के आधार पर लकड़ी देना बन्द कर दिया था । क्या उसी दबाव में माँजूदा मंत्री जी भी हैं ? मैं बरेली की बात कह सकता हूं कि वहां मुर्दा फूंकने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है । बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते हैं और उसके बाद लकड़ी को दबा देते हैं उसकी आपूर्ति नहीं करते हैं । इसलिए मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से मांग की है कि निजी समझौते के तहत जो नये ठेकेदार हैं जो 20 परसेन्ट ज्यादा पर लकड़ी देने के लिए तैयार हैं, उन्हें आप क्यों नहीं देते ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो निजी मकान बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, उसमें 3 घनमीटर अभी भी देते हैं । अगर ट्री ट्री के द्वारा लकड़ी दी जाती है तो उससे भ्रष्टाचार व्यापक हो जाता है, सरकार को नुकसान है, पैसा कम आता है । उसके साथ-साथ यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि मंत्रियों के यहां अधिकारियों के यहां आकर निजी लकड़ी 100 घनमीटर 200 घनमीटर लेने के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर देते हैं । इसको बन्द करने के लिए निर्णय लिया गया है । उचित निर्णय है । इसको शुरू करने में प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, जनता के दिल में सन्देह रहता है कि किसी को लकड़ी मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है, उसको सही बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है । जहां तक 3 घनमीटर तक की प्रक्रिया है, उसको आरम्भ किए हैं और उसके अंतर्गत जिन लोगों के लिए जरूरत है उनको लकड़ी देने के लिए तैयार हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें घाटा हो रहा है, तो निगम को वर्ष 1985 और वर्ष 1987 में कितना फायदा या नुकसान हुआ, यानी इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले और इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद कितना फायदा या नुकसान हुआ ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, वैसे यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने प्रश्न को पुनः दोहरा दें, माननीय दिनेश जौहरी जी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, वर्ष 1986 में मिन्नी प्रक्रिया संहिता लागू कर दी गई । मैं जानना चाहता हूं कि उसके एक वर्ष पूर्व और बाद में कितना घाटा या फायदा हुआ है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना मंगवानी पड़ेगी क्योंकि घाटे और मुनाफे की बात आ गयी । निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त करके यह प्रक्रिया जो माननीय सदस्य ने कही है अभी कमेटी के द्वारा उसके आवंटन की नीति चल रही है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, अब अगला प्रश्न ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के प्रोन्नति प्राप्त कतिपय वेतनमानों का द्वितीय वेतन आयोग में विचार न किया जाना

*12–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0 4601/15-2-28/4/78, दिनांक 27-7-1979 के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद में द्वितीय वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षण के पूर्व के वेतनमान रुपया 325–575 में, दस पदों का सृजन किया गया था और इन पदों पर प्रोन्नतियां भी की गई थीं परन्तु प्रोन्नत कर्मचारियों को द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान जुलाई, 1979 से अभी तक नहीं स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या जो लोग इस बीच में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस संबंध में शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी नहीं । शासनादेश सं0 2944/15-2-90-28(4)/78, दिनांक 12 जून, 1990 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो दिनांक 1-7-1979 को अथवा 1 जुलाई, 1979 तथा 29 सितम्बर, 1981 के मध्य राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, नियमानुसार वेतन पुनरीक्षण का लाभ अनुमन्य होगा ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे कर्मचारी अभी भी हैं जो नये सृजित पदों पर कार्य कर रहे थे और उन्हें अवकाश प्राप्त हो गया है लेकिन फिर भी अभी पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

यदि इस तरह की कोई जानकारी माननीय सदस्य की हो तो अलग से दे देंगे, हम दिखवा लेंगे ।

प्रदेशीय महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु मुफ्त रेल यात्रा एवं किट दिये जाने की मांग

*13–श्री अमर नाथ यादव–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को पूर्ण रेल किराया और किट का व्यय दिए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां । किट एवं रेल भाड़ा दोहरी यात्रा अनुरक्षण शुल्क सहित भाड़ा दिये जाने का मामला विचाराधीन है ।

व्यय की विधायी स्वीकृति के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनका दोहरा रेल भाड़ा और आरक्षण शुल्क कब से विचाराधीन है और इसे कब से स्वीकृत किया जायेगा ? क्या विचाराधीन है तब से यह लागू किया जायेगा या फिर विधायी स्वीकृति के बाद ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

इसके लिए बजट में प्राविधान कर लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के खिलाड़ियों से जो कि नेशनल स्तर पर खेलने के लिये जाते हैं, चाहे वे जूनियर खिलाड़ी हों या सीनियर, यह निर्णय लिया गया है कि रेल भाड़ा, किट और खर्चा जो भी प्रदेश की टीम के लिये सेलेक्ट होगा, उसके लिये यह खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी । इसके निर्णय लेने में थोड़ा विलम्ब जरूर हो गया है क्योंकि यह मामला विचाराधीन था लेकिन अब यह निर्णय हो चुका है यह मेरा निश्चय है ।

श्री अमरनाथ यादव–

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खिलाड़ियों के साथ कोच व अटेन्डेन्ट आदि जाते हैं क्या उनके खर्चे के बारे में भी कोई मामला विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जो सुविधा टीम को उपलब्ध होगी वही सुविधा कोच व मैनेजर को भी दी जायेगी ।

मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में नवीन पदों के सृजन पर रोक से उत्पन्न समस्या

*14–श्री दशरथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में पद सृजन पर रोक लगा दी गयी है और जिन विद्यालयों को शासन के प्रतिबंध के पूर्व ही नवीन वर्ग खोलने की अनुमति दी जा चुकी है उनकी भी नियुक्ति बन्द है ? यदि हां, तो नवीन वर्गों के छात्रों के शिक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

जी हां, यदि नवीन वर्ग खोलने पर प्रतिबन्ध के पूर्व पद सृजित नहीं हुए थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 दशरथ सिंह की अनुपस्थिति के कारण स्थगित ।

26 वां वृत सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनियमित नियुक्ति पर की गयी कार्यवाही

*15–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ने समूह "ग" तथा "घ" के रिक्त पदों पर लगी पाबंदी के बावजूद दो चपरासियों एवं एक सन्देशवाहक की नियुक्ति जुलाई, 89 में की है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

अनियमित नियुक्ति के संबंध में एवं अन्य अनियमितताओं सहित प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच की जा रही है । जांचोपरान्त ही यह पता लग सकेगा कि अनियमित नियुक्ति क्यों की गई । [illegible] कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं । अब जांच का प्रश्न उठाने के पहले जब स्वीकार कर ही लिया है कि अनियमित नियुक्तियां हुई हैं तो उसके संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया और इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जो इस संबंध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, वह किस दिनांक को प्राप्त हुआ और कब तक इस पर कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह नियुक्तियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये की गयी थीं जिनके बारे में मा0 सदस्य ने पूछा है । इसमें 6 रिक्तियां थीं उनमें से तीन की नियुक्तियां नियमानुसार की गयी हैं जिसमें से दो की चपरासी के पद पर और एक की सन्देशवाहक के पद पर । सन्देशवाहक का भी वेतनमान चपरासी के ही समतुल्य है किन्तु केवल डिजिग्नेशन में अन्तर है । इस संबंध में जांच हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ और जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके प्रति कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब उन्होंने जांच के आदेश दे दिये हैं तो अब क्या पूछना रह गया है ? अभी मा0 मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी कमी रह गयी होगी तो वे उसे देख लेंगे ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप हमें प्रश्न तो कर लेने दें । यहां सदन में सच्चाई को छिपाया जा रहा है क्योंकि यह पद शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिये था जिस पर एक व्यक्ति ने साले की नियुक्ति कर ली है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ये नियुक्तियां जुलाई 1989 में की गयी हैं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, अगला प्रश्न मेरा है । समय कम है । अतः इसके मूल उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ताकि मैं प्रश्न पूछ सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय व्यक्तियों पर आबकारी राजस्व का बकाया

*16–श्री पंचानन राय–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन व्यक्तियों पर 31 मार्च, 90 को आबकारी राजस्व का कितना-कितना धन बकाया है इनमें से कितने व्यक्तियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है ? न्यायालय में सरकार द्वारा पैरवी की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आजमगढ़ जिले के 25 अनुज्ञापनों से संबंधित 78 व्यक्तियों पर दिनांक 31 मार्च, 1990 को आबकारी राजस्व का कुल 9,34,293.62 रु0 बकाया है । (जिसकी सूची संलग्न है) इनमें से 6 अनुज्ञापनों से संबंधित 20 व्यक्तियों द्वारा 4,15,641.00 रु0 की वसूली के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं । न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी जनपद के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से शासकीय अधिवक्ता के द्वारा की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना परोर, जैतीपुर व जलालाबाद के उपखण्डों में आये काले हिरनों के अवैध शिकार से उत्पन्न स्थिति पर कार्यवाही

*17–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना परोर, थाना जैतीपुर व थाना जलालाबाद के ग्राम उपखण्ड मलरिया, फरीदापुर, टावर व गोजेपुर बरुआ पेहना तथा मकरटोला में आये काले हिरन सन् 82 तक लगभग 1 हजार थे उनमें केवल सौ के करीब शेष रह गए हैं ? यदि हां, तो इन काले हिरणों के संरक्षण हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

यह कहना संभव नहीं है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना परोरा, थाना जैतीपुर व थाना जलालाबाद के ग्राम मलरिया, फरीदापुर टावर व गोजेपुर, बरुआ पेहना व मकरटोला क्षेत्रों में काले हिरन वर्ष 1982 तक लगभग एक हजार थे क्योंकि इनकी कभी गणना नहीं की गई और न ही किसी अन्य श्रोत से इतनी बड़ी संख्या में उपरोक्त क्षेत्र में काले हिरन पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई । इस क्षेत्र में वर्तमान में अवश्य ही लगभग 60 काले हिरन होने की जानकारी है जो लगभग 5 से 7 के झुण्डों में विचरण करते हैं । उक्त क्षेत्र में यद्यपि वन्य जीव परिरक्षण संगठन का कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है परन्तु स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है ।

जनपद बाराबंकी के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के पेंशन राहत का भुगतान

*18–श्री शिवकरन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को 1-1-86 से पेंशन में बढ़ी हुई राहत का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ? उक्त राहत का उन्हें कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

पेंशन का सरलीकरण तथा उदारीकरण का कार्य पूर्ण न होने के कारण अभी तक पुरानी दर पर 1-1-86 से बढ़ी हुई राहत का भुगतान किया जा रहा है ।

पेंशन के सरलीकरण एवं उदारीकरण का कार्य अभियान चलाकर लेखाधिकारी के स्तर पर पूर्ण कराया जा रहा है । उक्त कार्य के पूर्ण होने पर पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर अनुमन्य नवीन दर पर राहत का भुगतान शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश लेखाधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

†छापा नहीं गया ।

जनपद नैनीताल के बेसिक शिक्षकों के पेंशन की विसंगति को दूर करने का अनुरोध

*19–श्री राजकिशोर सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् जिला नैनीताल के जिन शिक्षकों ने वर्ष 1973-74 में विकल्प नं0–2 के फार्म भरे थे उनको सेवा निवृत्त होने पर पेंशन की धनराशि साठ रुपया व महंगाई मिलाकर कुल 195 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है जबकि विकल्प नं0–1 फार्म भरने वाले बेसिक शिक्षा परिषद् जिला नैनीताल के सेवा निवृत्त शिक्षकों को मूल वेतन का आधा आँर रही है ? यदि हां, तो उक्त विसंगति का कारण क्या है ? क्या शासन विकल्प नं0–2 फार्म भरने वाले शिक्षकों को भी विकल्प नं0–1 फार्म भरने वाले शिक्षकों के समान पेंशन देने की व्यवस्था करेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

उक्त विसंगति का कारण पेंशन संबंधी विकल्प पत्र है । जिसने जो विकल्प पत्र भरा है, उसे उसी के अनुसार पेंशन दी जा रही है ।

विकल्प परिवर्तन अनुमन्य नहीं है ।

सामाजिक वानिकी के विस्तार एवं विकास की कार्यवाही

*20–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी के विस्तार एवं विकास हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश में वर्ष 1979-80 में आरम्भ की गयी थी । उस समय यह योजना प्रदेश के केवल 42 जनपदों में ही कार्यान्वित की जा रही थी परन्तु वर्तमान में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के समस्त जनपद इस योजना से आच्छादित हैं । वर्ष 1989-90 में इस योजना में लगभग रुपया 43.58 करोड़ व्यय किया गया था जबकि वर्ष 1990-91 हेतु रुपया 49.00 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है । सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत जन सहयोग पर विशेष बल दिया गया है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकेन्द्रित नर्सरी योजना वर्ष 1989-90 से आरम्भ की गई है और इसके अंतर्गत लगभग 7 करोड़ पौध उगायी गयी है । नर्सरी आपरेटर प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न सम्वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित किया गया है । ग्राम समाज की भूमि पर सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण जिन्हें तीन वर्ष से अधिक हो गया है उसे संबंधित ग्राम समाजों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है ।

ग्राम विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा ट्यूब पाइप खरीद में गड़बड़ी

1–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा एन0 पी0–2 के ट्यूब पाइप खरीदने के लिए शासनादेश हैं, परन्तु वर्ष 1986-87 व 87-88 में ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश के विरुद्ध एन0 पी0–3 के ट्यूब पाइप खरीदे गए हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

जी हां । ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद में एन0 पी0–2 के ट्यूब पाइप खरीदने के लिए आदेश दिनांक 11-12-87 को अभिकरण कार्यालय में प्राप्त हुआ था । इसके बाद दिसम्बर, 87 में 31 पुलियों के ट्यूब पाइप एन0 पी0–3 के क्रय किए गए ।

प्रश्नगत मामले में तत्कालीन परियोजना निदेशक का स्पष्टीकरण जिलाधिकारी द्वारा मांगा गया है । प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मूढ़ा पाण्डे में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा घटिया किस्म के ह्यूम पाइप की खरीद की शिकायत

2–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1986-87 व 87-88 में खण्ड विकास क्षेत्र मूढ़ा पाण्डे जनपद मुरादाबाद को एल0 पी0–2 व एल0 पी0–3 के ह्यूम पाइप [illegible] हैं कि कुछ पाइपों को [illegible] विभागीय इंजीनियर द्वारा एल0 पी0–2 ह्यूम पाइप रिजेक्ट किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस संबंध में विभागीय दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती [illegible]–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1986-87 व 87-88 में एल0 पी0–2 का कोई भुगतान नहीं किया गया । दिनांक 31 मार्च, 1988 तक एल0 पी0–3 के ह्यूम पाइप दिये गये जिनका उपयोग सिंचाई कूप निर्माण हेतु किया गया :

वर्ष 1986-87

1–नाजरपुर से अक्का डिलारी ।
2–सिरसा इनायतपुर मार्ग ।
3–एन0 एच0–24 से सहरिया मार्ग ।
4–अक्का पाण्डे से विकनपुर ।
5–रौनिया खंर मार्ग से हौरापुर ।
6–हसनगंज मार्ग पर ।
7–बूजपुर, सलेमपुर मार्ग पर ।

वर्ष 1987-88

1–मनीसपुर एवं बभ्फपुर गतौरा मार्ग पर ।
2–रोंडा से झोंडा ।
3–नाजरपुर बीरपुर मार्ग ।
4–सहरिया मार्ग पर ।
5–गनश घाट सिंघाली मार्ग ।
6–नाजरपुर बीरपुर बरियार मार्ग ।
7–रोंडा से झोंडा मार्ग ।
8–मुहर्रम रोड पर ।
9–विभिन्न मार्ग पर ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ प्राणि उद्यान का प्रान्तीयकरण किये जाने की मांग

3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्राणि उद्यान लखनऊ के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक लखनऊ प्राणि उद्यान लखनऊ का प्रान्तीयकरण कर देगी ?

श्री मोहम्मद [illegible] खां–

शासन स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार लखनऊ प्राणि उद्यान का प्रान्तीयकरण नहीं किया जाना है ।

श्री कमलापति चौधरी सी-78 सेक्टर-बी अलीगंज लखनऊ का निदेशक प्राणि उद्यान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

4–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री कमलापति चौधरी सी–78 सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ का दिनांक 28-8-89 का निदेशक, प्राणि उद्यान लखनऊ के पक्षपात व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाने हेतु कोई शिकायती पत्र पांच संलग्नों सहित रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निदेशक, प्राणि उद्यान के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुए हैं और सरकार ने निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी नहीं श्री कमलापति चौधरी सी-78 सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ का दिनांक 28-8-89 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभियंता (ल0सि0) बाराबंकी के कार्यालय के मृत चौकीदार श्री रामनाथ मिश्र के आश्रित को नौकरी में लिए जाने का अनुरोध

5–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता (ल0 सिं0) बाराबंकी के कार्यालय में कार्यरत चौकीदार रामनाथ मिश्रा की मृत्यु 3-12-79 को सेवाकाल के दौरान हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनके किसी आश्रित को सेवा में लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता कार्यालय लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, के यहां से पत्र संख्या 36461 स्थ0-7/88 दिनांक 23 जून, 88 अधिशासी अभियन्ता (ल0 सिं0) लखनऊ को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

स्व0 श्री रामनाथ मिश्रा चौकीदार सहायक अभियन्ता (ल0 सिं0), बाराबंकी की मृत्यु सेवा-काल के दौरान दिनांक 3-12-79 को नहीं वरन् दिनांक 3-12-69 को हुयी थी ।

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली दिनांक 7-10-74 को जारी हुयी है जो दिनांक 21-12-73 से प्रभावी है । अतः यह नियमावली स्व0 श्री रामनाथ मिश्रा के आश्रितों के लिये लागू नहीं होती है ।

जी हां ।

श्री महेश प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व0 श्री रामनाथ मिश्रा दिनांक 1-7-66 से विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर तथा दिनांक 30-11-79 से बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर जनपद गोण्डा में कार्यरत है । चूंकि श्री मिश्रा की मृत्यु दिनांक 3-12-69 को हुयी थी अतः इनके आश्रित की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी द्वारा मुद्रण कार्य में की गयी धांधली

6–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा वर्ष 88-89 व 89-90 में जनपद गोण्डा के कुछ ऐसे प्रेसों से छपाई करवाना दिखाया है जो प्रेस अस्तित्व में ही नहीं है ? क्या उक्त छपाई का कार्य काफी ऊंची दरों पर कराया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी नहीं ।

वर्ष 88-89 में मेसर्स गोण्डा मुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी समिति लिमिटेड, गोण्डा से छपाई करायी गई । वर्ष 89-90 में किसी भी फर्म से छपाई नहीं करायी गई ।

जी नहीं ।

यह कार्य टेण्डर आमंत्रित करके न्यूनतम प्राप्त दर पर कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा पी0 वी0 सी0 पाइप खरीद में की गयी घोटाले के विरुद्ध शिकायत

7–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा नि:शुल्क बोरिंग योजना में पी0वी0सी0 पाईप के क्रय में विभागीय स्वीकृत दर से अधिक दर पर क्रय कर लगभग सात लाख रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मामले में अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, इलाहाबाद से जांच करायी जा रही है ।

स्व0 रामचेत मिश्रा, सहायक अध्यापक, जनता इण्टर कालेज अहरौला, आजमगढ़ के पुत्र को नौकरी में लिए जाने की मांग विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

8–श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचेत मिश्रा, सहायक इन्टर कालेज, अहरौला जिला-आजमगढ़ जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 31-12-87 को हो गयी थी, के आश्रित पुत्र श्री दिनेश कुमार मिश्र को उक्त विद्यालय में शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त करने हेतु प्रश्नकर्ता श्री यदुनाथ सिंह का पत्र मा0 शिक्षा मंत्री जी को दिनांक 21-3-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

उक्त विद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग का कोई पद रिक्त न होने के कारण अभी तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

9–श्री गेन्दन लाल गंगवार–

[मा0 सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के सम्पर्क मार्गों को पक्का बनाये जाने विषयक डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा का अनुरोध

10–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या लोक नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-3-90 का पत्र जो बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन के सम्पर्क मार्ग हुसैनपुर कलां से रायपुर कोलावल व बरछा से सढ़ा सम्पर्क मार्ग तथा सुदिनपुर धौरही होते हुए मऊ टिटिहरा तक पक्का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो तीनों सम्पर्क मार्गों का प्राक्कलन क्या है ? उक्त मार्गों के लिए कब तक धन आवंटन करके कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

(1) हुसेनपुर कला से रायपुर कोलावल मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने हेतु 40,00 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(2) बरछा से सढ़ा सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने हेतु 49.31 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(3) सुदिनपुर मऊ टिटिहरा की खड़ंजा स्तर तक बनवाने हेतु 26.61 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है ।

कार्य जिला सेक्टर के हैं जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद एटा के काली नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

11–श्री लटूरी सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैथरा से लालपुर जहमीनाबाद मार्ग जनपद एटा व कुरावली से देवीनगर मार्ग बन चुके हैं किन्तु काली नदी का पुल न बनने से उक्त मार्ग पर आवागमन सम्भव नहीं हो सका है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

इस पुल का निर्माण डाकग्रस्त परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति एवं वित्त पोषण पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा में राप्ती नदी के कोडरी घाट पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

12–श्री हनुमन्त सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में राप्ती नदी पर कोडरीघाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति विगत वर्षों में प्रदान कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया ? यदि नहीं, तो पुल निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण के लिये प्रतिरूप अध्ययन सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की से कराया जा रहा है । उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुल का स्थल, लम्बाई व सुरक्षात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तथा तदनुसार कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित किया जायेगा । उक्त आगणन के स्वीकृति के बाद ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा ।

13–श्री गेन्दन लाल गंगवार–

[मा0 सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

14–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[2रे गुरु में अता0प्र0सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी में सागर एजूकेशनल सोसाइटी नामक संस्था द्वारा की जाने वाली आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत

15–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-2-90 का पत्र जो जनपद बाराबंकी में सागर एजूकेशन सोसाइटी नामक संस्था द्वारा की जा रही गम्भीर आर्थिक

अनियमितताओं के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

आगरा विश्वविद्यालय में वर्ष 1982 से 85 की अवधि में उठायी गयी आडिट आपत्तियों के संबंध में श्री हरद्वार दूबे विधायक का अनुरोध

16–श्री हरद्वार दूबे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय का सन् 1982, 83 84 व 85 की अवधि में आय व्यय का कोई आडिट हुआ है ? क्या उस आडिट पर आडिटर ने कोई आपत्ति की है ? यदि हां, तो आडिट की रिपोर्ट क्या है तथा उसका निस्तारण किस प्रकार हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी हां ।

आडिट रिपोर्ट की प्रमुख आपत्तियां निम्नवत् हैं :–

(1) कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में अमान्य भुगतान किया गया ।

(2) विभिन्न एसोसियेशनों को अंशदान के रूप में अमान्य भुगतान किया गया ।

(3) अस्थायी अग्रिम असमायोजित रहे ।

(4) रोकड़ बही अपूर्ण थी तथा उसमें बैंक समाधान विवरण नहीं बनाये गये थे ।

(5) कर्मचारियों को अतिकाल भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान किया गया ।

(6) दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर अनियमित भुगतान किया गया ।

(7) अनुमोदित पदों पर नियुक्ति कर अनियमित व्यय किया गया ।

(8) संस्थागत छात्रों से परीक्षा शुल्क की कम वसूली से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति होना ।

(9) हास्टल वार्डन अधीक्षक आदि को सवारी भत्ते एवं आनरेरियम के रूप में अनियमित भुगतान किया जाना ।

(10) जलपान, मनोरंजन, अल्पाहार आदि पर अमान्य व्यय किया जाना ।

(11) कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि लेजर अपूर्ण थे आदि ।

आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय को समय-समय पर शासन द्वारा लिखा गया है तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा भी इस संबंध में विश्वविद्यालय से आवश्यकतानुसार पत्राचार किया जाता रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय आपत्तियों का निराकरण करा लिया गया है तथा अवशेष आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के माध्यमिक विद्यालयों में साधिकार नियन्त्रक के स्थान पर प्रबंध समिति को लाने की मांग

17–श्री अमर नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कितने माध्यमिक विद्यालयों में साधिकार नियंत्रक नियुक्त किए गये हैं और कब से ? क्या सरकार साधिकार नियंत्रक के स्थान पर प्रबंध समिति को लाने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

शासन द्वारा नियुक्त साधिकार नियंत्रकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

विद्यालय	नियुक्ति तिथि
1–सकलडीहा इण्टर कालेज	18-5-74
2–भारतीय इण्टर कालेज, परसीपुर	8-6-77
3–महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज	26-3-73
4–जगतपुर इण्टर कालेज	7-1-76
5–डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज	8-9-70
6–नेशनल इण्टर कालेज सैयदरजा	13-12-82
7–सी0 एम0 एंग्लो बंगाली इण्टर कालेज	21-12-83
8–किसान इण्टर कालेज, बरहनी	2-3-84

अनियमितताएं दूर करवाने का प्रयास किया जा रहा है । अनियमितताओं का निराकरण हो जाने तथा प्रबंध समिति का गठन हो जाने पर ही साधिकार नियंत्रकों को हटाना संभव हो सकेगा ।

26वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा भविष्य में होने वाली रिक्तियों की सूचना मा0 विधायकों को दिये जाने विषयक आदेश हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर से अनुरोध

18–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता ने जिलाधिकारी, मिर्जापुर को शासनादेश सं0 696/कार्मिक-2/79, दिनांक 6-6-79 के अनुपालन हेतु अपने पत्रांक 3756 (1) 45ई0वी-26/88, दिनांक 5-10-88 द्वारा यह सूचित किया था कि भविष्य में होने वाली रिक्तियों की सूचना सभी विधायकों को अवगत कराने हेतु उपलब्ध करायी जांय ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में अन्य कथित अनियमितताओं सहित प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है । जाचोपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि शासनादेश दिनांक 6-6-79 का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सका ।

प्रदेश के अल्पसंख्यक घोषित महाविद्यालयों के विवरण विषयक श्री नकली सिंह विधायक का अनुरोध

19–श्री नकली सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ डिग्री कालेज अल्पसंख्यक कालेज घोषित किए गये हैं ? यदि हां, तो उनकी कुल संख्या व नाम पते क्या हैं ? उक्त महाविद्यालय किस नियम व अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक घोषित किए गये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

जी हां ।

निम्नलिखित तीन महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक कालेज घोषित किया गया है :–

(1) एडीकल्चरल इन्स्टीच्यूट नैनी, इलाहाबाद ।

(2) हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।

(3) क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर ।

एग्रीकल्चरल इन्स्टीच्यूट, नैनी तथा हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तथा क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर को शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है ।

ग्राम प्रधान कछबन्ध, जनपद जौनपुर के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग संबंधी शिकायत

20–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप ग्राम प्रधान कछबंध, पो0 पोखरा, जिला जौनपुर के जिलाधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 14-2-90 जो ग्राम प्रधान कछबन्ध के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रु0 46,200 के सरकारी धन का गलत व फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करने के संबंध में शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मामले की जांच कराकर ग्राम प्रधान कछबन्ध के दोषी ग्राम प्रधान को दण्डित (निलम्बित) करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सखदा मिश्रा–

उप प्रधान आदि का ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक रहित प्राप्त हुआ है जिसमें 46,200/- के सरकारी धन के दरुपयोग की शिकायत की गयी है ।

जांचोपरान्त प्रधान के विरुद्ध तद्संबंधी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः उन्हें दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी ग्राम-कलोंदा के स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला भवन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के विरुद्ध शिकायत

21–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कलोंदा विकास खण्ड दादरी जनपद गाजियाबाद में भवनहीन प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्मित होना था ? यदि हां, तो उपरोक्त प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्मित न करके ग्राम रूपवास विकास खण्ड दादरी में कलोन्दा से स्थानान्तरित कर भवन बनाये जाने का क्या औचित्य है जबकि वहां पर भवन पहले से मौजूद है ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

जी हां ।

ग्राम प्रधान कलोंदा द्वारा भवनहीन विद्यालय के निर्माण में रुचि न लेने के कारण ग्राम रूपवास में जहां का विद्यालय भी भवनहीन था, में भवन का निर्माण कराया गया ।

खाद्यान्न निरीक्षण विभाग के लिपिक का सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना एवं तत्पश्चात् वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायत

22–श्री राम चन्द्र दरख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में 30-1-89 को लिपिक पद वेतनमान 430–640 में त्यागपत्र देने वाले एवं सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी लिपिक की दिनांक 1-5-89 से सीधे वरि0 आशुलिपिक वेतनमान 515-865 में नियुक्ति की गयी है ? क्या यह सही है कि चार माह पश्चात ही उन्हीं को निगम के आशुलिपिक वेतनमान 515–685 को लांघते हुए एवं सम्पर्की उपेक्षा निर्धारित किये बिना वैयक्तिक सहायक वेतनमान 620–1100 में पदोन्नति कर दी गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

राज्य सेतु निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण विषयक नीति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र बख्श सिंह का पत्र

23–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेतु निगम में कितने वर्ष के पश्चात गैर तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करने की नीति है ? निगम में एक ही अनुभाग में एवं सेतु निगम निर्माण इकाई कार्यालयों में कितने कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण अन्यत्र अनुभाग एवं अन्य स्थान पर न करने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राज्य सेतु निगम में गैर तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु किसी निश्चित समयावधि की निर्धारित नीति नहीं है ।

सेतु निगम के एक अनुभाग में एवं सेतु निर्माण इकाईयों में गैर तकनीकी वर्ग के लगभग 203 कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । गैर-तकनीकी वर्ग में प्रथम एवं द्विबतीय श्रेणी के पद सामान्य रूप से निगम के मुख्यालय पर होने के कारण उनका अन्यत्र स्थानान्तरण सम्भव नहीं है । तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को अपने कार्य में पर्याप्त अनुभव के कारण उनकी उपयुक्तता को देखते हुए निगम के हित में, महिला कर्मचारियों की व्यवहारिक कठिनाईयों, कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा उनकी पत्नियों का उसी स्टेशन पर सेवारत होने, चिकित्सीय कारणों तथा घरेलू परिस्थितियोंवश स्थानान्तरण नहीं किया गया है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण केवल आवश्यकता अथवा प्रशासनिक आधार पर ही किए जाते हैं ।

जिला आवास अधिकारी, मुरादाबाद के बल एवं अचल सम्पत्ति के जांच की मांग

24–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 के0 मेहरोत्रा, खण्ड विकास अधिकारी, जो गत एक वर्ष से जिला आवास अधिकारी, मुरादाबाद के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें जनपद मुरादाबाद में 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपद में उनकी तैनाती के दौरान अर्जित सम्पत्ति के बारे में जांच करायेगी ? क्या सरकार श्री मेहरोत्रा की उक्त जनपद में तैनाती की अवधि को देखते हुए उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एक जनपद में तैनाती हेतु निर्धारित अधिकतम 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात से वह ग्रामीण आवास परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

श्री मेहरोत्रा द्वारा जनपद मुरादाबाद में तैनाती की अवधि में अर्जित की गयी सम्पत्ति के मामले की जांच की जा रही है ।

श्री मेहरोत्रा को जनपद मुरादाबाद से स्थानान्तरण करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मुरादाबाद द्वारा ग्राम रनियाठेर ब्लाक मूढ़ा पाण्डे का प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण कार्य रोके जाने के विरुद्ध शिकायत

25–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुरादाबाद द्वारा ग्राम रनियाठेर ब्लाक मूढ़ा पाण्डे का प्राइमरी स्कूल भवन जो भूमि खसरा संख्या 416 पर बनाया जा रहा था और जिस पर भू-स्थल तक कार्य भी किया जा चुका है का निर्माण कार्य 5-1-90 से रूका पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और बिना किसी आदेश के निर्माण कार्य रोकने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? यह निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुरेखा मिश्रा–

जी हां ।

भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण निर्माण कार्य दिनांक 5-1-90 को रोक दिया गया था । अब इस विवय में जिलाधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय होकर पुनः कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए जा चुके हैं । यह कार्य जून, 1990 तक पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं । इस मामले में अधिकारी दोषी होते नहीं पाए गए ।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक मूढ़ा पाण्डे ग्राम रनियाठेर स्थित प्राइमरी पाठशाला भवन के अवैध निर्माण सम्बन्धी भुगतान की शिकायत

26–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुरादाबाद द्वारा ग्राम रनियाठेर ब्लाक मूढ़ा पाण्डे जनपद मुरादाबाद के प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण गत वर्ष प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या 416 पर न कराकर एक अन्य ग्राम हीरापुर में खसरा संख्या–20 पर बिना किसी वर्क आर्डर और प्रस्ताव के कराना शुरू कर दिया था जो ग्रामवासियों की शिकायत पर अवैध घोषित किया गया परन्तु निर्माण को अवैध घोषित करने और जिला अधिकारी को सूचित करने की तिथि के बाद में वर्क आर्डर करके अवैध निर्माण कार्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुरेदा मिश्रा–

प्रश्नगत भुगतान के लिए श्री सी0 सी0 जैन सहायक अभियन्ता दोषी पाए गए जिनको सचेत करते हुए उक्त भुगतान की गई धनराशि की वसूली हेतु आदेश पारित कर दिए गए हैं ।

आजमगढ़ जनपद के छः ग्रामों के किसानों के भूमि मार्ग बनाने में अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने संबंधी श्री पंचानन राय का पत्र

27–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग के निर्माण में जिन छः ग्रामों के किसानों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था उनमें से किनको 31 मार्च, 1990 तक भुगतान कर दिया गया है ? यदि भुगतान नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद आजमगढ़/मऊ में स्थित जौयनपुर-मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के जिन 6 ग्रामों के किसानों की अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था, उनमें से 31 मार्च, 1990 तक 17 कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है । इनकी ग्रामवार व काश्तवार सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 90 पर)

शेष कृषकों को, "रिपेमेन्ट आर्डर आन बुक" कोषाधिकारी के यहां से उपलब्ध न हो पाने एवं काश्तकार स्थल से संबंधित विवाद न्यायालय में लम्बित होने के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है । शेष कृषकों को उनके प्रतिकर का भुगतान उक्त कार्यवाही के पश्चात कर दिया जायेगा ।

करने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य को सम्प्रेक्षण आख्या प्रेषित किये जाने संबंधी कार्यवाही

28–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 90 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–52 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रेक्षण आख्या संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य को अनुपालन हेतु कब भेजी गई और 31 मार्च, 90 तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

[illegible] को भेजी गयी । [illegible] से अपने पत्र दिनांक [illegible] उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को अनुपालन आख्या भेज दी थी जिसका सत्यापन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर से कराने के उपरान्त सिंह निदेशक (उ0 शि0) इनाम कालेज के प्रबन्धक/प्राचार्य को पुनरेष अंकित आपत्तियों पर पुनः परिपालन आख्या भेजने हेतु दिनांक 2-6-90 को लिखा गया है ।

29–श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

[दि0 15-6-90 को अता0 प्र0 सं0 57 द्वारा उत्तरित]

30–श्री सुरेश यादव–

[1ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 71 के अन्तर्गत सूचीबद्ध]

सेवा निवृत्त चपरासी श्री मुन्नर यादव के समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने की शिकायत

31–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–90 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित विद्यालय के सेवानिवृत्त चपरासी श्री मुन्नर यादव की वास्तविक जन्म तिथि क्या है ? उक्त वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार उसकी प्रथम भर्ती के समय क्या आयु थी व उसे कब सेवा निवृत्त होना चाहिये था और वर्तमान प्रधानाचार्य द्वारा कब सेवानिवृत्त किया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री मुन्नर यादव की जन्म तिथि 6-7-26 है ।

प्रथम नियुक्ति की तिथि 4-7-70 को श्री मुन्नर यादव की आयु 43 वर्ष 11 माह 29 दिन थी तथा उन्हें 6-7-86 को सेवानिवृत्त होना चाहिए था । उसी तिथि को उन्हें सेवा निवृत्त किया गया ।

श्री श्याम देव चपरासी के जन्म तिथि के बारे में विद्यालय प्रबन्धक समिति का निर्णय

32–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–36 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज के व्यवस्थापक के कथित पत्रांक/पत्र संख्या-511, दिनांक 10-9-79 की प्रतिलिपि को सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय की प्रबन्धक समिति ने अपने प्रस्ताव दिनांक [illegible] में श्री श्याम देव चपरासी की जन्म तिथि के बारे में कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो यह निर्णय क्या था ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

[illegible] सदन के पटल पर रख दिया गया है ।†

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

† छापा नहीं गया ।

33–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कुशीनगर जनपद के जनता इण्टर कालेज अहिरौला के सहायक अध्यापक श्री रामचेत मिश्र के पेंशन/ ग्रेच्युटी के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

34–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री रामचेत मिश्र सहायक अध्यापक जनता इण्टर कालेज, अहिरौला, जिला आजमगढ़ के पेंशन/ग्रेच्यूटी का भुगतान लगभग चार साल बीत जाने के बाद भी न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या मंत्री श्री श्री मिश्र की पेंशन/ग्रेच्युटी का तुरन्त भुगतान किये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

31-5-90 तक की पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है । ग्रेच्युटी इन्हें देय नहीं है ।

जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर के शासी निकाय द्वारा मार्ग की स्वीकृति की जानकारी

35–श्री लालता प्रसाद यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–93 के उत्तर के संदर्भ में कृपा ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधूरे कार्य को पूरा करा लिया गया है ? संदर्भित सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान करके उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी नहीं ।

वर्णित अधूरे कार्य अभी पूर्ण नहीं हैं । उनके पूर्ण होने के पश्चात् एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत मार्ग (गौरा सम्पर्क मार्ग) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक में मा0 सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्मित कराया जाना सम्भव है ।

श्री एम0 एल0 मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, जनपद इटावा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

36–श्री बृजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0एल0 मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता जब जनपद इटावा में तैनात थे तो इनके विरुद्ध शिकायतों पर विजेलेन्स जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या विजिलेन्स की जांच प्राप्त हो चुकी है ? क्या मंत्री जी उक्त जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

सतर्कता की जांच रिपोर्ट एक गोपनीय अभिलेख होने के कारण जनहित में इसे सदन के पटल पर रखा जाना उचित नहीं है ।

37–श्री सुखराम यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री आर0 आर0 चौधरी अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व पदोन्नति सम्बन्धी शिकायत की जांच

38–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि श्री आर0 आर0 चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर मात्र 5 वर्ष की सेवा में तीन वर्ष की कैरेक्टर रोल में प्रतिकूल प्रविष्ट के उपरान्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यही मानदण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के अन्य अधिकारियों की पदोन्नति में अपनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । लोक निर्माण विभाग में सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री रघुराज राम की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति लगभग सात वर्ष की सेवा के उपरान्त की गयी थी तथा प्रोन्नति के समय उनकी चरित्र पंजिका में केवल एक सुझावात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–श्री महावीर सिंह राणा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सर्वश्री एस0 एस0 तिवारी, ए0 क्यू0 खान, सी0 पी0 अग्रवाल, एम0 एल0 मित्तल, एस0 के0 गुप्ता, ओ0 पी0 त्रिपाठी, आर0 आर0 चौधरी, वीर भद्र सिंह आदि के चल एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी

40–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियंता ने पत्रांक 2154ई0ए0/197ई0पी0-25/88 दिनांक 30-4-88 द्वारा सर्वश्री एस0 एस0 तिवारी, ए0 क्यू0 खान, सी0 पी0 अग्रवाल, एम0 एल0 मित्तल, एस0 के0 गुप्ता, ओ0 पी0 त्रिपाठी, आर0 आर0 चौधरी, वीर भद्र सिंह आदि अभियंताओं की चल अचल संपत्ति का विवरण मांगा था ? यदि हां, तो उक्त अभियंताओं की चल/अचल सम्पत्तियां क्या-क्या हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

तथापि प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्रों के अनुसार उनके सम्पत्ति विवरण संलग्न हैं ।†

विद्या वर्ग वर्धनी संस्कृत पाठशाला के सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेंशन तथा अन्य बकाये धन के भुगतान संबंधी जानकारी

41–श्री चन्द्रभान मौर्य तथा श्री रामरति बिन्द–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्या वर्ग वर्धनी संस्कृत पाठशाला बभनान बस्ती से वर्ष 1985 के आरम्भ से अब तक कितने प्रधानाध्यापक/अध्यापक सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उनमें से आज तक किसी भी अध्यापक की न तो पेंशन निर्धारित की गयी है न ही अन्य किसी देयों का ही भुगतान हुआ है ? क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए पेंशन का निर्धारण एवं अन्य देयों का भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

† छापा नहीं गया ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1985 के आरम्भ से केवल श्री शिरोमणि पाठक (स0अ0) भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानाध्यापक प्रश्न में उल्लिखित पाठशाला से सेवानिवृत्त हुये । विद्यालय के संस्थाधिकारियों से पेंशन के कागजात प्राप्त न होने के कारण पेंशन निर्धारित नहीं हो सकी । एरियर एवं बोनस के भुगतान हेतु आदेश दिये जा चुके हैं । पेंशन संबंधी कागजात सक्षम अधिकारी को प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जाचोपरान्त विलम्ब हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के ए0डी0ओ0 (एम0आई0) के विरुद्ध श्री शिवबक्श जेतली के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

42–डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

[illegible] के संबंध में क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित ए0डी0ओ0 (एम0 आई0) के विरुद्ध दिए गये आरोप पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

संबंधित ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र पर जांच की कार्यवाही अन्तिम चरण में है और आशा की जाती है कि यह बहुत शीघ्र पूरी हो जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज के ब्लाक प्रमुख श्री माता बक्श सिंह द्वारा ब्लाक कर्मियों के विरुद्ध लिखित अपराध सूचना

43–डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड अमानीगंज जनपद फैजाबाद के प्रमुख श्री माता बक्श सिंह द्वारा लिखाये अपराध सूचना 39 ए/90 धारा 3/7 ईसी एक्ट के अन्तर्गत संबंधित ब्लाक कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद के ब्लाक प्रमुख श्री माता बक्श सिंह, द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9-2-90 को दर्ज करायी गयी थी जिसमें पुलिस ने तफसील करने के बाद उक्त धारा के अन्तर्गत कोई जुर्म सिद्ध नहीं पाया । पुलिस ने ब्लाक के कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध स्टाक रजिस्टर में अंकन करने में लापरवाही करने के लिये कार्यवाही करने की सलाह दी है । तद्नुसार अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद से मामले की विभागीय जांच करायी गयी । जांच के उपरान्त स्टाक रजिस्टर के रखरखाव में लापरवाही बरतने का दोषी पाने के फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को कठोर चेतावनी दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षा के वर्ष 1984 के प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की शिकायत

44–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संचालित हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट (संस्थागत/व्यक्तिगत) परीक्षा 1984 के जनपद चमोली के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/केन्द्राध्यक्ष को भेजे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक उक्त प्रमाण-पत्र भेजे जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में रोड पिचिंग के कार्य में अनियमितता एवं उसकी जांच की मांग

45–श्री भोला पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड देवरिया में भागलपुर पुल के एप्रोच पर भागलपुर की तरफ बोल्डर पिचिंग की पूर्व दर रु0 2.12 प्रति वर्ग मीटर आयी, किन्तु उसकी दर रु0 2.38 प्रति वर्ग मीटर स्वीकृत की गयी तथा बलिया के तरफ पूर्व दर रु0 2.25 प्रति वर्ग मीटर आयी थी किन्तु उसकी दर रु0 2.45 प्रति वर्ग मीटर स्वीकृत की गयी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनाये गये लकड़ी के पान्टून पुल में अनियमितता की शिकायत एवं जांच की मांग

46–श्री भोला पाण्डेय–

क्या लोक नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के श्री जे0 बी0 अग्रवाल अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड द्वारा पान्टून पुल भागलपुर-खैराट-बनकटा शिव घाट आदि के लिए लगभग 11 लाख रुपये की साखू लकड़ी की स्लीपर की आपूर्ति ली गयी है ? यदि हां, तो इसका क्रय नियमानुकूल वन निगम से न लेकर ठेकेदार से किये जाने का क्या कारण है ? क्या आपूर्ति साखू की जगह जामुन की लकड़ी के स्लीपर की हुयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वन निगम से आपूर्ति नहीं हो सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योति भूषण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड देवरिया को पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के संबंध में

47–श्री भोला पाण्डेय–

क्या लोक नि0 मंत्री को ज्ञात है कि श्री ज्योति भूषण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड देवरिया की सम्पूर्ण सेवा काल में अकार्यकारी खण्ड (भवन खण्ड) पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती नहीं हुयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इनको अकार्यकारी (भवन) पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । श्री ज्योति भूषण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता सम्पूर्ण सेवाकाल में एक वर्ष छः माह भवन खण्ड में व एक वर्ष तीन माह अकार्यकारी पद पर कार्यरत रहे हैं, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत नहीं रहे ।

श्री अग्रवाल का स्थानान्तरण विचाराधीन है ।

श्री ज्योति भूषण अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर अनियमितता की जांच

46—श्री [illegible] पाण्डेय—

[illegible] मंत्री बताने की [illegible] कि श्री ज्योति भूषण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता [illegible] के विरुद्ध [illegible] जांच लंबित है ? क्या [illegible] ? यदि [illegible] ? क्या [illegible] ? क्या उन्हें वर्तमान [illegible] से इनका स्थानान्तरण कर जांच कार्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[illegible]—

श्री ज्योति भूषण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग [illegible] कोई [illegible] जांच लंबित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[illegible] के कर्वी सम्भाग के दो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध फर्जी भुगतान की जांच

47—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कर्वी सम्भाग में दो सहायक अभियन्ताओं के फर्जी मस्टर रोलों को दिखाते हुए सरकारी धन के अपहरण के बाबत चल रही कार्यवाही के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-1-90 का पत्र उनको, मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, सा0नि0वि0, झांसी एवं प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? तो इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अभियन्ताओं को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र ने जांच की है । जांच रिपोर्ट प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के परीक्षणाधीन है । परीक्षण के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षायें चलाये जाने की मांग

50—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में सन् 1980 के बाद कितने माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान विषय की मान्यता दी गयी है ? क्या इन सभी माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में ? क्या शेष माध्यमिक विद्यालयों में जिन्हें विज्ञान की मान्यता दी गयी है, विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

17. विद्यालयों को दी गयी ।

जी नहीं ।

किसी भी विद्यालय में नियुक्ति नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद सृजित हो जाने पर ही नियुक्तियां की जा सकेंगी ।

[illegible]

लखनऊ रिंग रोड को चालू करने की मांग

51—श्री कमल लाल गुप्ता—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रिंग रोड चालू होने में कितनी देरी है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत लखनऊ रिंग रोड पर सीतापुर मार्ग फैजाबाद मार्ग के बीच में एक स्थान पर [illegible] के स्वगनादेश होने, भूमि का कब्जा न मिलने तथा कानपुर मार्ग व हरदोई मार्ग के बीच दो [illegible] के निर्माणाधीन होने एवं हरदोई मार्ग और सीतापुर राष्ट्रीय मार्ग के बीच के [illegible] न होने के कारण उक्त योजना अभी अपूर्ण है। उक्त कारणों को देखते हुए अभी इसमें [illegible] समय लगना संभावित है।

[illegible] के वन विहीन चकिया जंगल में स्थित पहाड़ियों की खुदाई हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति की जानकारी

52–श्री राज किशोर सिंह–

क्या वन मंत्री प्रश्नकर्ता को सम्बोधित अपने पत्रांक 733/वी0 आई0 पी0/वन/89 दिनांक 1/3 [illegible] 1990 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत चकिया के जंगल में स्थित वनस्पति विहीन पहाड़ियों से पत्थर खनन के संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय (भारत) सरकार को आवश्यक रिपोर्ट स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी नहीं।

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत, गैरवानिकी प्रयोजन हेतु, हस्तान्तरित की जाने वाली अथवा लीज पर दी जाने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य गैरवन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक है। गैरवन भूमि उपलब्ध न होने की दशा में दुगने अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना याचक विभाग के व्यय से बनाई जाती है। चूंकि उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम, जिन्होंने प्रश्नगत वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया था, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनका प्रस्ताव भारत सरकार को संस्तुत न किया जा सका।

जनपद गोण्डा के अप्रशिक्षित, सहायक उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

53–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा के अधीन कार्यरत सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर कार्यरत उन अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है जो यू0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा जिनकी सेवायें निरन्तर तीन वर्षों की हो चुकी हैं किन्तु जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान रु0 365–550 की दर से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उन्हें उक्त प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्त करने तथा प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

शून्य।

प्रश्न नहीं उठता।

काशी विद्यापीठ वाराणसी के साधारण सभा की बैठक में वार्षिक लेखा-जोखा रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने की शिकायत

54–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात दिनांक 13 जनवरी, 1989 को काशी विद्यापीठ वाराणसी की साधारण सभा की बैठक आहूत की गयी थी, जिसके समक्ष वार्षिक रिपोर्ट, विगत वर्षों का लेखा और वार्षिक लेखा की सम्परीक्षा रिपोर्ट नहीं रखे गये जिसके परिणाम स्वरूप विगत वर्षों के लेखों की जानकारी नहीं हो पायी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त के संबंध में विस्तृत जांच कराकर आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

काशी विद्यापीठ वाराणसी की साधारण सभा की दिनांक 13 जनवरी, 1989 की प्रस्तावित बैठक कतिपय अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी थी। उक्त बैठक पुनः 13 मई, 1989 को आयोजित की गयी जिसमें वार्षिक रिपोर्ट, विगत वर्षों का लेखा, वार्षिक लेखों की स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये जिसकी साधारण सभा द्वारा पुष्टि भी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतननाथ इण्टर कालेज रसिन (बांदा) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री होती लाल की सेवा समाप्ति विषयक जानकारी

55–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-3-90 का संलग्न पत्र श्री होती लाल, नि0 रसिन ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ रतननाथ इण्टर कालेज रसिन (बांदा) में चतुर्थ श्रेणी में पुनः सेवा में लेने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति को सेवा में कब तक लिया जायेगा? यदि नहीं, तो सेवा में लेने में क्या कठिनाई है और बिना कारण के सेवा से निकालने के क्या कारण हैं?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

जी हां।

श्री होतीलाल को पुनः सेवा में लेना सम्भव नहीं है।

श्री होती लाल की सेवायें चोरी एवं अनुशासनहीनता के गम्भीर आरोपों के कारण विधिवत समाप्त की गयी थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की थी।

गाजियाबाद जनपद में दो अतिरिक्त राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

56–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगर की आबादी में वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार दो-दो बालक और बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज स्थापित कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

नहीं।

क्योंकि शीघ्र राजकीय इण्टर कालेज खोलने की योजना नहीं है।

57–श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री मुख्य लाल–

[पहले मंगल में अता0 प्र0 सं0 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी स्थित 'भरोसा सम्पर्क मार्ग' को खड़ंजाकृत करने की मांग

58–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के 2 हरे सोम के अता0 प्र0 सं0-80 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत 3 वर्षों से अर्धनिर्मित "भरोसा सम्पर्क मार्ग" को अविलम्ब खड़ंजा लगाकर पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी में प्रश्नगत "भरोसा सम्पर्क मार्ग" का कुछ भाग सूखा राहत योजना के अन्तर्गत हुआ था। शेष कार्य ग्राम सभा सरोसा-भरोसा की सीमा में होता है। ग्राम सभा यदि चाहे तो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि से शेष निर्माण कराने पर विचार कर सकती है। ग्राम सभा द्वारा इसे पूर्ण कराने हेतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जनपद लखनऊ के काकोरी विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम सरोसा भरोसा को जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की जांच

59–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के ग्राम सभा सरोसा भरोसा में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि का 1/2 भाग भी खड़ंजा तथा अन्य कार्यों में व्यय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक की ग्राम सभा सरोसा-भरोसा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल 1,11,646-00 रु0 की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अंतर्गत खसरवारा से चोपाई मार्ग में खड़ंजा बिछाये जाने एवं पक्का करने की मांग

60–श्री गया प्रसाद वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव ब्लाक असोहा के अंतर्गत खसरवारा से चोपाई मार्ग विगत 5 वर्षों से अर्धनिर्मित तथा जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण मार्ग में खड़ेजा न बिछाने के क्या कारण हैं ? उक्त मार्ग को खड़ेजा डालकर कब तक पक्का किया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

ग्राम खसरवारा जनपद लखनऊ में आता है । प्रश्नगत मार्ग ग्राम मकदूमपुर-मजरा दरेहटा से चोपाई तक मिट्टी का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था । उस समय परियोजना में खड़ंजा लगाने का कोई प्राविधान नहीं था । अब वर्ष 1989-90 में जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग से 7.75 किमी पर खड़ेजा लगाने हेतु रु0 13.65 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

अधीक्षण अभियंता 57वां वृत, 28/4वां वृत, 16वां वृत से स्क्रीनिंग मैटीरियल खरीद की न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की जानकारी

61–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण सामग्री की दरें अधी0 अभि0, 57वां वृत्त, 28/4वां वृत्त, 16वां वृत्त द्वारा वर्ष 85-86, 86-87 व 87-88 में स्क्रीनिंग मैटीरियल, 6 एम एम (डाउन) 10 एम एम, 12-5 एम एम, 20 एम एम, 25 एम एम, 20-40 एम एम, 50 एम एम हल्द्वानी तथा झांसी ग्रिट की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें क्या निर्धारित थीं ? क्या प्रत्येक वृत्त की स्वीकृत दरों में अन्तर है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियमानुसार अधीक्षण अभियंताओं के द्वारा अधीनस्थ मार्गों के लिए कि0 मी0 वार दरें निर्धारित की गई हैं । चार वृत्तों के सभी मार्गों के लिए कि0 मी0 वार तीन वर्षों के लिए निर्धारित दरें देना व्यवहारिक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के उझारी कस्बे में स्थित मुस्लिम अरबिक जूनियर हाईस्कूल को प्रदत्त अनुदान की जानकारी

62–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के उझारी कस्बे में मुस्लिम अरबिक जूनियर हाई स्कूल के पास न अपनी इमारत है और न खेल का मैदान ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह स्कूल मान्यता प्राप्त है तथा प्रति वर्ष उसे अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कूल को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित विद्यालय के पास अपना भवन है किन्तु खेल का मैदान पर्याप्त नहीं है विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त है तथा इसे प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है । अब तक इस विद्यालय को रु0 8,37,725.00 का अनुदान दिया जा चुका है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में संविलियन लिपिकों एवं वर्ष 1979 में निगम में नियुक्त सहायकों की आपसी ज्येष्ठता एवं पदोन्नति की जानकारी

63–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेतु निगम में सा0 नि0 विभाग के संविलियन लिपिकों एवं निगम में 1979 में नियुक्त कार्यालय सहायकों की आपसी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि दिनांक 31-3-81 के पश्चात् संविलियत कितने लिपिकों को उच्च वेतनमानों में नियुक्ति एवं पदोन्नति दी गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग की सेवा से त्यागपत्र देकर/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर सेतु निगम में नियुक्ति का विकल्प दिया है, कि सेतु निगम में नियुक्ति के पश्चात इस मामले पर विचार करना उचित होगा । तदनुसार इस प्रकार के समस्त व्यक्तियों की सेतु निगम में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात इस मामले पर कार्यवाही की जायगी ।

दिनांक 31-3-81 के पश्चात संविलियत 8 लिपिकों को उच्च वेतनमानों में नियुक्ति एवं पदोन्नति दी गयी है ।

जनपद मथुरा के आर0 सी0 ए0 गर्ल्स डिग्री कालेज में कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोले जाने की मांग

64–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के आर0 सी0 ए0 गर्ल्स डिग्री कालेज को हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक मान्यता प्रदान किए जाने विषयक कोई पत्र प्रश्नकर्ता तथा विषयक मुस्तमन्द अली खां को द्वारा दिनांक 15-3-90 या उसके आसपास दिया गया था ? यदि हां, तो मान्यता प्रदान किए जाने के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड ने यह संस्तुति की है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों उपकरणों, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकों की सम्यक व्यावस्था हो जाने के उपरान्त ही स्नातकोत्तर स्तर की क्लियरेन्स प्रदान करने पर विचार करना उचित होगा । अतः किसी भी कालेज को स्नातकोत्तर स्तर की क्लियरेन्स नहीं प्रदान की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तहसील-बदलापुर में घनश्यामपुर जोखापुर (राजेन्द्रपुर) मार्ग को डामरयुक्त करने की मांग

65–श्री लालता प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील-बदलापुर में घनश्यामपुर जोखापुर (गजेन्द्रपुर) मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण द्वारा वर्ष 1989 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सड़क की हालत जीर्ण-शीर्ण है ? सरकार द्वारा उक्त सड़क को कब तक पिच/डामरयुक्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग जिला सेक्टर का कार्य है जिसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता एवं जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति की संस्तुति पर निर्भर है ।

जनपद बाराबंकी के नेशनल हायर सेकेन्ड्री स्कूल के कतिपय कर्मचारियों के बकाये के भुगतान संबंधी जानकारी

66–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रुदौली, बाराबंकी के कर्मचारी श्री इन्द्र देव यादव तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने दिनांक 5-4-90 को मा0 शिक्षा मंत्री को इस आशय का पत्र भेजा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ।

फरवरी, 90 से वेतन का नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पीलीभीत जिला मुख्यालय पर एक अतिरिक्त कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

67–श्री रियाज अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिला मुख्यालय पर मात्र एक ही कन्या इण्टर कालेज है ? यदि हां, तो क्या शासन छात्राओं हेतु एक अतिरिक्त कन्या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

हां ।

नहीं ।

क्योंकि सीधे इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद पीलीभीत के पाटा कलां, अमरिया (बाद में न्यौरियां) स्थित हाईस्कूल के उच्चीकरण की मांग

68–श्री रियाज अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जनपद के पाटा कलां, अमरिया (बाद में न्यौरियां) में खोले गये हाईस्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान भवन में अतिरिक्त कक्षों की अनुपलब्धता तथा भूमि के अभाव में प्रश्नगत विद्यालय का उच्चीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकांश सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति न किए जाने की जानकारी

69–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में स0 अ0 से अधि0 अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिसम्बर, 1986 में की गयी थी जिसमें अवर अभियन्ता से पदोन्नत लगभग 70 सहायक अभियन्ताओं को वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? इन सहायक अभियन्ताओं को कब तक अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । वर्ष 1986 में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियां नवम्बर, 1985 में सम्पन्न हुए चयन के आधार पर की गयी थी । यह चयन सत्यमय प्रभावी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर किया गया था, जिसमें नियमानुसार सभी पात्र अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था तथा चयन में सम्मिलित होने से किसी भी पात्र अधिकारी को वंचित नहीं रखा गया था ।

वर्तमान ज्येष्ठता सूची में इन सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त की गई ज्येष्ठता पर निर्भर है ।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड देरापुर परिसर में मंदिर निर्माण पर रोक की जानकारी

70–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी0 डी0 ओ0 देरापुर जिला कानपुर देहात को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 7-11-89 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि देरापुर विकास खण्ड के परिसर में मंदिर का निर्माण न करें ? यदि हां, तो इस संबंध में बी0 डी0 ओ0 द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

दिनांक 7 नवम्बर, 1989 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही बी0 डी0 ओ0 द्वारा मन्दिर के जीर्णोद्वार के कार्य को उसी समय रुकवाने का निर्णय लिया तथा काम को उसी स्थिति पर रोक दिया गया ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इटावा के रोलर के दुरुपयोग की आशंका एवं उसके जांच की मांग

71–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इटावा का रोलर दिनांक 27-11-88 से दिनांक 22-12-88 एवं दिनांक 1-4-89 से दिनांक 20-6-89 तक अन्य विभागों में कहां चला है ? अन्य विभागों से रोलर के किराए की कितनी धनराशि वसूल कर शासकीय कोष में किस तारीख को जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, इटावा का रोलर दिनांक 27-11-88 से दिनांक 22-12-88 तक किसी अन्य विभाग में नहीं चला बल्कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में उपलब्ध रहा । दिनांक 1-4-89 से दिनांक 26-6-89 तक एन0 टी0 सी0 सी0 दिबियापुर में कार्यरत रहा । इस अवधि में कुल 28 दिन रोलर ने काम किया शेष दिन यांत्रिक खराबी के कारण अप्रयुक्त रहा ।

इस अवधि के 8 दिन का किराया मु0 रु0 2880.00 दिनांक 1-6-89 को प्रखण्डीय कार्यालय में जमा हो गया है । शेष किराया वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बहराइच में कुंडासर से बौड़ी मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

72–श्री मयंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कुंडासर से बौड़ी मार्ग के निर्माण हेतु कितना धन व्यय हो चुका है और कितना धन व्यय होना प्रस्तावित था ? अभी भी वह मार्ग किन कारणों से अर्द्धनिर्मित पड़ा हुआ है ? वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कुंडासर से बौड़ी की दूरी 16 कि0 मी0 है जिसमें प्रथम 5 कि0 मी0 पर जिला योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तक निर्माण हेतु 16.06 लाख रु0 की स्वीकृति दी गयी थी और यह कार्य पूर्ण हो चुका है । इसके आगे तीन कि0 मी0 पर रोलिंग स्तर तक निर्माण हेतु 7.50 लाख रु0 की स्वीकृति दी गई थी और यह कार्य भी पूर्ण हो चुका है ।

मार्ग के शेष भाग का निर्माण भी जिला सेक्टर का कार्य है । और इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा में स्थित ग्राम सभा सिंगार घाट के ग्राम प्रधान श्री श्रीकान्त द्वारा सामाजिक वानिकी के धन के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायत

73–श्री रमापति शास्त्री–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकान्त ग्राम प्रधान सभा सिंगारघाट, विकास क्षेत्र बभनजोत, जनपद गोण्डा द्वारा सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अगस्त, 1988 में लिए गये रुपये 2500 से कोई वृक्ष नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो इसके लिए ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग से अथवा डी0 आर0 डी0 ए0 गोण्डा द्वारा श्री श्रीकान्त ग्राम प्रधान को वृक्षारोपण हेतु कोई धनराशि नहीं दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुख्यालय सीतापुर में बी0 काम0 कक्षा सहित राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

74–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिला मुख्यालय पर बी0 काम0 कक्षा सहित राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रश्नकर्ता को अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या–849 वि0/89, दिनांक 24 जनवरी, 90 में सूचित किया है ? यदि हां, तो महाविद्यालय खोलने का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां । किन्तु बी0 काम0 महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी में एक अतिरिक्त मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग

75–श्री अमरनाथ यादव–

खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वाराणसी में खेलकूद के समुचित विकास हेतु अतिरिक्त खेल के मैदान मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या टाउन हाल व शिवपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी नहीं, वाराणसी में मिनी स्टेडियम बनाने की कोई योजना नहीं है । शासन की योजना के अनुरूप वाराणसी जनपद में एक स्टेडियम उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा विकास क्षेत्र शाहगंज व करंजाकलां के गांवों के विकास कार्यों की जानकारी एवं उनको दिशा निर्देश दिया जाना

76–डाक्टर सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, जौनपुर ने 15 फरवरी, 1990 को विकास क्षेत्र शाहगंज व करंजा कलां के गांवों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ? कितने विकास कार्य नये करने एवं कितने अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया ? ये कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

कोई औपचारिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी । जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश निम्न प्रकार है :–

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरावां के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के आदेश दिए गए थे, जिन्हें पूर्ण करा दिया गया है ।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां में विद्युत कनेक्शन देने हेतु निर्देश दिये गये थे, किन्तु अनुबन्ध तथा बी0 एल0 फार्म अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जौनपुर को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं दिया जा सका है ।

(3) करन्जा कलां विकास खण्ड के अंतर्गत जमुहाई से भकुरा मार्ग पर हो रहे सोलिंग के कार्य में मानक के अनुसार ईंटों का प्रयोग करने के आदेश दिए गए थे, जिसे पूर्ण करा दिया गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद में स्थित विकास खण्ड राजेपुर ग्राम अमृतपुर में निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्र निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

77–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमृतपुर, विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के लिए स्वीकृत सामुदायिक विकास केन्द्र निर्मित होते ही ध्वस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां । ग्राम अमृतपुर विकास खण्ड खजेपुर में निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्र का बीम व स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया था ।

उक्त के सम्बन्ध में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित नवर अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर अंतर्गत ग्राम अफजलपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध अनियमितता का आरोप एवं उसकी जांच

78–डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम अफजलपुर के पूर्व प्रधान के विरुद्ध गबन के गम्भीर आरोपों की जांच संबंधित परगनाधिकारी द्वारा वर्ष 1989 में करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या हैं और कौन अधिकारी उनकी जांच कर रहा है ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

धन व्यपहरण अनियमित कार्य एवं पद के दुरुपयोग के आरोप हैं । नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा जांच की गयी ।

अनियमित पट्टा के द्वारा नजराना स्वयं प्राप्त कर लेना, निर्माण कार्य के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि के अनुरूप कार्य न होना तथा मुख्य 4,666,05 पैसा कैशबुक का बैलेन्स नव निर्वाचित प्रधान को चार्ज में न देना । इसके अतिरिक्त रूपपत्र 7 की रसीदों के प्रतियों में मूल प्रतियां सादी पाई गईं जिसकी द्वितीय प्रति गायब थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम भुवना बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाए गए गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराए जाने का अनुरोध

79–श्री पंचानन राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुवना बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सदस्यों एवं नागरिकों के कौन-कौन से शिकायती पत्र जुलाई, 88 से मार्च, 89 तक जिला अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? पत्र में वर्णित शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जुलाई, 88 से मार्च, 89 तक ग्राम पंचायत सदस्यों का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक 28 अगस्त, 89 को प्राप्त हुआ था । मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को इस अवधि में कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने खण्ड विकासी अधिकारी अजमतगढ़, आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया कि पंचायत राज नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उप प्रधान पद का चुनाव स्थल वही होगा, जो प्रधान पद के चुनाव के समय था ।

अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना जिला देवरिया के अध्यापक श्री शहीद को दिनांक 26-4-85 से 17-5-85 तक वेतन दिए जाने की शिकायत

80–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–35 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त अनियमित ढंग से किए गए वेतन भुगतान के लिए दोषी उत्तरदायी व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध शासन/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अनियमित रूप से भुगतान की गई वेतन की धनराशि दोषी प्रबन्ध तन्त्र से राजकीय कोष में जमा करा ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

81–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत में आदमखोर बाघ द्वारा किए गए हिंसक वारदातों की शिकायत

82–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदमखोर बाघ ने रानीखेत तहसील, जनपद अल्मोड़ा में 1988/1989/1990 मार्च तक किस-किस के पशुओं तथा कितने व्यक्तियों को मारा ? इस संबंध में पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में आदमखोर बाघ द्वारा वर्ष 1988 में 27 व्यक्तियों के 32 मवेशी, वर्ष 1989 में 5 व्यक्तियों के 7 मवेशी मारे गए व वर्ष 1990 में मार्च तक किसी व्यक्ति का कोई मवेशी मारे जाने की सूचना नहीं है । जिन व्यक्तियों के पशु मारे गये उनका विवरण संलग्न है । आदमखोर बाघ द्वारा वर्ष 1988 में दो व्यक्ति, वर्ष 1989 में तीन व्यक्ति तथा वर्ष 1990 मार्च तक दो व्यक्ति मारे गये ।

रानीखेत तहसील के अंतर्गत आदमखोर बाघ द्वारा मारे गये मवेशियों के एवज में मवेशी स्वामियों को कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि उक्त क्षेत्र में कोई वन्य जीव बिहार अथवा राष्ट्रीय पार्क नहीं है । शासनादेश के अनुसार, केवल पार्क/पशु विहार के 5 कि0मी0 की सीमा के अन्दर मारे गये पशुओं के लिए ही मुआवजा देय है । आदमखोर बाघ द्वारा वर्ष 1988 में मारे गए दो व्यक्तियों के आश्रितों को कुल रुपया 15,000 का भुगतान मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है और शेष पांच मृत व्यक्तियों के संबंध में, नियमानुसार, मृत्यु प्रमाण-पत्र व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत न किए जाने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

(देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ 9 पर)

जनपद आगरा में बरौली अहीर से ब्यामों, बमरौली कटारा होकर भाला शवला तक जाने वाली अधूरी सड़क को पूरा कराने की मांग

83–श्री विजय सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बमरौली अहीर से ब्यामों, बमरौली कटारा होकर भाला शवला तक जाने वाली सड़क कब एवं किस योजना में स्वीकृत हुई थी ? उस पर कितना कार्य पूरा हो गया है, कितना कार्य शेष रह गया है अभी तक उसे पूरा न होने के क्या कारण हैं ? शेष कार्य कब तक पूरा होगा और इस सड़क पर कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत 10 कि0मी0 लम्बा मार्ग वर्ष 1982 से 1987 के मध्य जिला सेक्टर अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में विभिन्न स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ है ।

प्रश्नगत मार्ग पर मिट्टी का कार्य 9.900 कि0मी0 लम्बाई में तथा सोलिंग का कार्य 9,700 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण है । लेपन का कार्य मार्ग की मात्र 4.25 कि0मी0 लम्बाई में, आगरा-फतेहाबाद मार्ग से नगला सबला तक, स्वीकृत है जो वास्तविक 4,100 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण है । मार्ग की 100 मीटर लम्बाई में मिट्टी तथा 300 मीटर लम्बाई में सोलिंग का अवशेष कार्य न्यायालय के स्थगनादेशों के कारण नहीं कराया जा सका है ।

उक्त अवशेष स्वीकृत कार्य को पूरा कराया जाना न्यायालय के स्थगनदेशों के निरस्त होने पर निर्भर है । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रश्नगत मार्ग के लिए 18.65 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसके विरुद्ध 19.88 लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

इण्टर कालेज यूसुफपुर गाजीपुर के प्रवक्ता डा0 एम0 ए0 अंसारी को कारागार में बन्दी के अवधि का भुगतान किये जाने के विरुद्ध शिकायत

84–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रासन राय पुत्र श्री रमाशंकर राय निवासी टीकापुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर प्रवक्ता डा0 एम0 ए0 अंसारी इण्टर कालेज यूसुफपुर गाजीपुर को जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ने चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत कर के दिनांक 23-7-84 से 6-9-84 तक का वेतन भुगतान किया है ? यदि हां. तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त अवधि में उक्त प्रवक्ता जिला कारागार गाज़ीपुर में थाना भांवरकोल के अपराध सं0 92/84 दिनांक 14-7-84 धारा 307 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत हवालाती बन्दी के रूप में बन्द थे ? यदि हां, तो उक्त अवधि में उन्हें चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करके वेतन भुगतान करने का क्या औचित्य था ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

वेतन का भुगतान किया गया है । अवकाश की स्वीकृति आदि के संबंध में जांच करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं ।

हां ।

जांच के उपरान्त ही सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी ।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम रईसपुर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

85–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र ग्राम रईसपुर, गाजियाबाद में कन्या राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कालेज खोला जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 पास बुकों में अद्यावधिक प्रविष्टियां करने की मांग

86–श्री राम पाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शासनादेश संख्या जी-4-2450/दस-503-77, दिनांक 12-12-77 के अनुसार स0 नि0 सचिव शाखा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पास बुकों में वर्ष 1977 से आज तक के प्रत्येक माह की प्रविष्टियां अंकित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों? यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया है? इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शासनादेश संख्या जी-4-ए0 जी-57/दस-84-510-84, दिनांक 26-12-84 के अनसार प्रत्येक कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पास बुकों एवं जी0पी0एफ0 लेजर (परिशिष्ट–ए) में ब्याज सहित प्रत्येक माह की प्रविष्टियां कब तक पूरी करवा दी जायेंगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शाखा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुकें अद्यावधिक की जा चुकी हैं । सिवाय उन कर्मचारियों के जिनकी पासबुकें दूसरी शाखाओं से हस्तांतरित होकर इस शाखा में अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्येक माह की ब्याज की प्रविष्टियां पूरी करने की कार्यवाही पहले से चल रही है जिसे शीघ्र ही पूरा करा लिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में सा0 नि0 विभाग के निर्माण इकाई द्वारा सड़कों के निर्माण में किए गये गड़बड़ी की शिकायत

87–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधानीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 अकबरपुर जिला फैजाबाद में मार्च 1989 में हुये भुगतानों एवं सड़कों के घटिया निर्माणों के संबंध में प्रश्नकर्ता एवं सदस्य विधान सभा श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा प्रेषित कुल कितने शिकायती पत्र सरकार को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा0 प्रश्नकर्ता विधायक के 14 तथा मा0 श्री अकबर हुसैन बाबर के 6 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा गठित दो अधिशासी अभियन्ताओं की समिति द्वारा कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड–2 फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री एच0 बी0 शामदेवी के विरुद्ध शिकायत

88–श्री देव कुमार यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि भूगर्भ जल विभाग खण्ड-2 फैजाबाद में कार्यरत, श्री एच0 बी0 शामदेवी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 9-2-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में लिखी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम मिश्रा–

जी हां ।

शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है । जांच की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है । उसे शीघ्र पूर्ण करा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ नगर की बाईपास योजना की स्वीकृति की मांग

90–श्री गजराज सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद के हापुड़ नगर की बाईपास योजना कब स्वीकार हुई तथा उसके कार्यान्वयन में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बाई पास बनने तक नगरपालिका सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत 11.18 कि0 मी0 लम्बे हापुड़ बाईपास के निर्माण हेतु मात्र भूमि अध्याप्ति का कार्य परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 1990 में स्वीकृत किया गया है अतः उसके कार्यान्वयन में विलम्ब का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत मार्ग पर डिवाईडर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के आदेशों के विरुद्ध बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए ही कतिपय सहायक अध्यापिकाओं द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करना

91–श्री महावेर सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के पत्रांक बेसिक/1-79/नियुक्ति सा/1985-86 दिनांक 10-1-86 से सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति आदेश इस शर्त के साथ जारी किए गये थे कि अभ्यर्थिनी अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चार्ज रिपोर्ट के साथ जमा करें ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन सहायक अध्यापिकाओं ने सी0 एम0 ओ0 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के पश्चात ज्वाइन किया था तथा किन-किन को ज्वाइनिंग के समय प्रमाण पत्र प्राप्त किए गये बगैर ज्वाइन करा दिया गया तथा इसका क्या आधार था ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी ग आगे पृष्ठ 92-93 पर)

लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के किमी0-76 में किए गये मिट्टी कार्य में की गयी अनियमितता की शिकायत

92–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि रा0 मा0–56 के अंतर्गत लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के कि0मी0–76 में एच0 एम0 पी0 की साइड पर 1985 में मस्टर रोल से मिट्टी आदि की सतह बराबर करने का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का भुगतान किसको किया गया ? क्या यह सही है कि 2 महीने पश्चात् उसी साइड पर 5 से0मी0 से 1 मीटर तक गहरे गड्ढे दिखाकर बाहर से मिट्टी की ढुलाई दिखाकर फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दुबारा पेमेंट किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

यह कार्य कार्य-स्थल के आस-पास उपलब्ध मिट्टी से मस्टर रोल द्वारा कराया गया तथा मस्टर रोल से श्रमिकों को रुपया 17,384,58 का भुगतान किया गया ।

शेष कार्य, जहां आस-पास मिट्टी उपलब्ध नहीं थी, ढुलाई की मिट्टी का अनुबन्ध बनाकर इसे कराया गया, अतः फर्जी अनुबन्ध/भुगतान का कोई प्रश्न नहीं है ।

उक्त कार्य में कोई अनियमितता नहीं हुई, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियंता, 16वां वृत्त, कानपुर द्वारा वर्ष 1982 में कतिपय कर्मचारियों का निलम्बन

93–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियंता, 16वां वृत्त, कानपुर द्वारा वर्ष 1981-82 में किन-किन अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ? क्या इन कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–24/38/76-कार्मिक-1, दिनांक 13 अगस्त, 1976 के प्रारूप में निलम्बन आदेश एवं आरोप पत्र प्राप्त कराए गए थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कर्वी तहसील में सरदार बल्लभ भाई पटेल माध्यमिक विद्यालय रैपुरा में नियुक्त संस्कृत के अध्यापक के वेतन का भुगतान

94–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी में सरदार बल्लभ भाई पटेल पूर्व माध्यमिक विद्यालय रैपुरा में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत अध्यापक की नियुक्ति 7-5-87 को की गई है तथा इसका अनुमोदन भी विभाग द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में देय अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

सही मांग पत्र नियमानुसार प्राप्त न होने के कारण अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है ।

शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के राजपत्रित अधिकारियों की नोशनल ज्येष्ठता निर्धारण में गड़बड़ी की शिकायत

95–श्री विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नोशनल ज्येष्ठता सूची अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनक्रम के शिक्षण तथा निरीक्षण (पुरुष सम्वर्ग) के अधिकारियों की मिश्रित नोशनल ज्येष्ठता सूची वर्ष 1972-73 से 1988-89 तक में ज्येष्ठता क्रम संख्या 1947 को प्रोन्नति से वंचित करते हुए ज्येष्ठता क्रम संख्या 1948, 1958 तथा 1959 के अध्यापकों को प्रोन्नति दिये जाने का क्या कारण है ।?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

शिक्षा निदेशालय द्वारा मिश्रित ज्येष्ठता सूची वर्ष 72-73 से 88-89 तक बनाई गई है इसमें विभिन्न सम्वर्ग के (एल0 टी0 प्रवक्ता आदि) अध्यापक शामिल हैं और इनकी प्रोन्नति निर्धारित कोटे के अंतर्गत अपने सम्वर्ग की ज्येष्ठता पर निर्भर करती है ।

इस ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1947 पर अंकित अध्यापक एल0 टी0 ग्रेड के हैं तथा 1948 1958, 1959 प्रवक्ता सम्वर्ग के हैं । तद्नुसार प्रोन्नति भी उपरोक्त नियमानुसार सम्वर्गों के कोटे के आधार पर की गई है, वैसे एल0 टी0 ग्रेड में सूची के 1865 क्रमांक तक प्रोन्नति दी जा चुकी है ।

जनपद बरेली के राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कालेज मीरगंज में स्नातकोत्तर कक्षायें खोले जाने की मांग

96–श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद के राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कालेज मीरगंज में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने के लिए कालेज की प्रबन्ध समिति ने समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् 1987 में प्रार्थना पत्र शासन को दिया था ? क्या उक्त प्रार्थना पत्र पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में इस प्रकरण पर विचार किया गया । स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकार नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील में सिधागर-घाट-पिण्डारी मार्ग में अधिगृहीत जमीन के लिए मुआवजे की मांग

97–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील में सिधागर-घाट-पिण्डारी मार्ग में जिन लोगों की जमीन अधिगृहीत की गयी उसमें अधिकांश लोगों को मुआवजा दे दिया गया परन्तु श्री भूखनराम पुत्र श्री तुलसी राम, दुसाध (हरिजन) की जमीन ग्राम रेंगा परगना जहूराबाद तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का भूखण्ड संख्या 274 भी अधिगृहीत हुआ जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त भूखन राम के भूखण्ड का मुआवजा कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील में सिधागर घाट पिण्डारी मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम रेंगा के श्री भूखनराम पुत्र श्री तुलसीराम दुसाध (हरिजन) का भूखण्ड संख्या 274 अधिगृहीत नहीं हुआ था अतः इसका मुआवजा नहीं दिया गया है । चूंकि भूखण्ड संख्या 274 श्री भूखनराम पुत्र श्री तुलसीराम का न होकर श्री भूखन पुत्र श्री तुलसी का है अतः श्री भूखनराम को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील का कोलाघाट व खुदागंज ब्लाक में मुण्डी घाट पर पुलों के निर्माण की मांग

98–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील का कोला घाट व खुदागंज ब्लाक में मुण्डी घाट पर पुलों के न होने से लगभग दो लाख व्यक्ति प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या वहां पुल बनवाये जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के कोला घाट व खुदागंज ब्लाक में मुण्डी घाट पर पुल नहीं है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल प्रश्नगत पुलों के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में स्थित विशुनपुरा प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण संबंधी मांग

99–श्री सुबास–

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन नहीं हैं किन-किन पाठशालाओं के भवन का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या दोहरी घाट ब्लाक के विशुनपुरा ग्राम का प्राइमरी पाठशाला भवन अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भवन कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

वांछित विवरण निम्नवत् है :–

1–प्रा0 पा0 खरफोरा–अप्रारम्भ
2–प्रा0 पा0 मटौली–अप्रारम्भ
3–प्रा0 पा0 पतजीवा–अप्रारम्भ
4–प्रा0 पा0 योगीवीरपुर–अधूरा
5–प्रा0 पा0 बिशुनपुरा-अधूरा
6–प्रा0 पा0 घोसी–निर्माण कार्य प्रगति पर
7–प्रा0 पा0 बीबीपुर–निर्माण कार्य प्रगति पर
8–प्रा0 पा0 चिउटीडाड़–निर्माण कार्य प्रगति पर
9–प्रा0 पा0 हरधौली–निर्माण कार्य प्रगति पर
10–प्रा0 पा0 कुडहनी–निर्माण कार्य प्रगति पर
11–प्रा0 पा0 मटौली वैश्य–निर्माण कार्य प्रगति पर
12–प्रा0 पा0 रामगढ़–निर्माण कार्य प्रगति पर
13–प्रा0 पा0 खनिगह–निर्माण कार्य प्रगति पर
14–प्रा0 पा0 सिवरही–शिलान्यस हो चुका है
15–प्रा0 पा0 कन्या बड़ागांव–शिलान्यास हो चुका है
16–प्रा0 पा0 कन्या टड़ियांव–शिलान्यस हो चुका है
17–प्रा0 पा0 पीड़उथ सिंहपुर–शिलान्यास हो चुका है
18–प्रा0 पा0 सिपाह–शिलान्यास हो युका है

जी हां । भवन निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण उक्त भवन अधूरा है । निर्माण कार्य वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

जनपद अलीगढ़ के वर्ष 1987 में सेवा निवृत्त हुए प्रधानाचार्यों के सामूहिक बीमा एवं ग्रेच्यूटी आदि के भुगतान की मांग

100–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 1987 में इण्टर कालेजों के कौन-कौन प्रधानाचार्य रिटायर हुए थे ? उक्त प्रधानाचार्यों में से कितने प्रधानाचार्य हैं जिनको सामूहिक बीमा तथा ग्रेच्युटी आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ? उन्हें उनका भुगतान कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जनपद अलीगढ़ के वर्ष 1987 में इण्टर कालेज के निम्न प्रधानाचार्य रिटायर हुए थे :–

श्री पुरुषोत्तम दास
श्री गजाधर प्रसाद वशिष्ठ
श्री सोहन लाल शर्मा
श्री हरिश चन्द्र जैन
श्री नंम सिंह चौहान

केवल एक प्रधानाचार्य की ग्रेच्युटी का भुगतान शेष है, जो यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

मोना चन्द्रावती बाल शिक्षा निकेतन लखनऊ का ज्ञापन एवं उन पर कृत कार्यवाही

101–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बताऐंगे कि मोना चन्द्रावती बाल शिक्षा निकेतन, लखनऊ की अध्यापिकाओं का ज्ञापन 18 जनवरी, 90 को उनको प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

मान्यता प्राप्त विद्यालय न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

102–श्री सुबास–

[3रें सोम के लिए स्थगित]

श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत

103–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, जनपद आजमगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पूर्वान्चल शिक्षक संघ के मंत्री का कोई शिकायती पत्र वर्ष 1989 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्न प्रकार है :–

(1) महाविद्यालय के प्राचार्य श्री कुबेर मिश्र की अनियमित नियुक्ति ।

(2) डा0 देवी प्रसाद सिंह प्रवक्ता प्राचीन इतिहास की नियुक्ति में अनियमितता ।

(3) बी0 एड0 विभाग के प्रवक्ता, श्री गिरिजेश कुमार सिंह को सवैतनिक अवकाश के साथ एम0 एड0 करने की अनुमति सत्र 84-85 में दिया जाना ।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सत्र 78-79 में प्राप्त कैन्टीन अनुदान का दुरुपयोग किया जाना ।

(5) वर्ष 1974-75 में प्राप्त अध्यापक आवास अनुदान से अध्यापक आवास न बनाया जाना ।

(6) छात्र परिषद् शुल्क, उपकरण कोष क्रीड़ा कोष का दुरुपयोग किया जाना ।

(7) बी0 एड0 सम्बद्धता हेतु दिखायी गई नकद परिसम्पत्ति का फर्जी होना ।

(8) छात्र शुल्क से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत का नियमित रूप से जमा न किया जाना ।

(9) छात्रावास, अध्यापक आवास एवं कुछ दुकानों से प्राप्त किराये का रख-रखाव न किया जाना ।

(10) कालेज में कोई वित्त समिति का न होना ।

(11) डा0 अबरार हुसैन खां तथा डा0 अजीत सिंह प्रवक्ता के वेतन से अवैधानिक रूप से कटौती किया जाना ।

(12) प्राचार्य का महाविद्यालय में न जाना लेकिन भुगतान किया जाना ।

(13) सत्र 87-88 में तीन माह तथा 88-89 में लगभग डेढ़ माह कालेज को प्राचार्य द्वारा बिना किसी कारण के बन्द किया जाना ।

(14) प्रबन्ध समिति की वर्ष 1980 के बाद से कोई बैठक का न होना ।

(15) छात्र संघ का शुल्क लिया जाना लेकिन छात्र संघ का गठन न किया जाना ।

शिकायती बिन्दुओं की जांच क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर तथा सहायक उप शिक्षा निदेशक (अर्थ) द्वारा करायी गयी ।

जांच में कतिपय अनियमितताओं पायी गयी जिनके सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की गई :–

निदेशालय के पत्र दिनांक 4-1-90 के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय के निर्देश दिये गये कि प्राचार्य डा0 कुबेर मिश्र को अनुपस्थित अवधि का वेतन न दिया जाय ।

श्री गिरिजेश कुमार सिंह प्रवक्ता बी0 एड0 के सम्बन्ध में प्रबन्ध/प्राचार्य को यह निर्देश दिये गये कि जिस अवधि में श्री गिरिजेश कुमार सिंह ने संस्थागत छात्र के रूप में एम0 एड0 किया है उस अवधि का वह देय अवकाश लें और उनको उक्त अवधि में भुगतान की गई धनराशि की वसूली कर वेतन संदाय खाते में जमा की जाय ।

लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, बाराबंकी द्वारा लिपिक पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति के जांच की मांग

104–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, बाराबंकी द्वारा लिपिक पद पर बिना कोई वैधानिक औपचारिकता पूरी किए नियुक्ति की गई है ? क्या उक्त मामले की जांच रिपोर्ट दि0 26 मई, 89 तथा दि0 28 दिसम्बर, 89 में परस्पर विरोधी तथ्य आये हैं ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या हैं तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रश्नगत नियुक्ति में अनियमितता की गई है ।

शिक्षा निदेशक को मामले के तथ्यों की जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ब्लाक बेहरदर के अंतर्गत ग्राम सभा गौरीदायमपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग

105–श्री राम बचन–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई, तहसील संडीला, ब्लाक बेहदर के ग्राम सभा गौरी दायमपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया ? स्वीकृत धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि शासन से प्राप्त धन का आधा भी खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्राम सभा के प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच टेक्निकल आडिट से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद हरदोई तहसील सण्डीला के विकास खण्ड बेहदर के ग्राम सभा गौरी दायमपुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 78,831.71 रु0 उपलब्ध करायी गयी जिसमें से 10,051.00 रु0 को निर्बल वर्ग आवास पर निर्माण हेतु सम्बन्धित खाते में अन्तरित किया गया । शेष रु0 68,780.71 रु0 में से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया गया :–

(क) ग्राम मंडिलहा में आर्च पुलिया 3 दर की, का निर्माण–1 नं0

(ख) ग्राम के मलियारों में मिट्टी का कार्य 1720 फुट

(ग) कूप मरम्मत–2 नं0

ग्राम प्रधान द्वारा उपरोक्त क, ख एवं ग मदों पर क्रमशः रुपया 30,000, रुपया 18,000 एवं रुपया 4,100 व्यय किया गया दिखाया गया है परन्तु जांच किए जाने पर उक्त कार्यों में लगभग रुपया 20.000 कब व्यय होने तथा क्रमांक–क पर कराए गए कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 28-8-89 में स्वीकृत होना नहीं पाया गया । जी नहीं । क्योंकि प्रकरण में कार्यों की वित्तीय पहलू पर अधिक बल दिया गया है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रधान द्वारा कार्य नहीं करायी गया है । अतः उक्त सेल से जांच कराना सम्भव नहीं है । संबंधित प्रधान को उक्त अनियमितता हेतु दोषी पाये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

जनपद महाराजगंज के नौतनवां स्थित सा0 नि0 वि0 के भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

106–श्री अमरमणि त्रिपाठी तथा श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौतनवां जनपद महाराजगंज में सा0 नि0 वि0 का गैंग हाल्ट एवं रतनपुर ग्राम जनपद महराजगंज सा0 नि0 वि0 की 6 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को कब तक समाप्त कर विभाग अपने कब्जे में ले लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नौतनवां जनपद महराजगंज में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गैंग हाल्ट (हट) के नाम पर कोई भी भूमि अध्यापित नहीं की गयी । ग्राम रतनपुर जनपद महराजगंज में सड़क एवं रोहिन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु क्रमशः 1.27 एवं 3.49 एकड़ भूमि अर्थात कुल 4.76 एकड़ भूमि अध्यापित की गयी जो विभाग के कब्जे में है । ग्राम रतनपुर जनपद महराजगंज में विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देशराज सिंह एवं अन्य सदस्य गण ग्राम सभा मऊ गौरीगंज द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित खड़न्जा मार्ग में की गयी धांधली की शिकायत

107–श्री रमापति शास्त्री–

क्या ग्राम विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित देशराज सिंह एवं अन्य सदस्यगण ग्राम सभा मऊ गौरीगंज का दिनांक 8-1-89 का राजि0 प्रार्थना-पत्र जिसमें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खड़न्जा निर्माण में धांधली की शिकायत की गयी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी नहीं ।

जांच कराये जाने पर श्री देशराज सिंह तथा कथित शिकायतकर्ता ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को 8-1-89 को नहीं भेजा है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम प्रधान राधीपुर ब्लाक गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की शिकायत

108–श्री रमापति शास्त्री–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी व पंचायत राज अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रामधनी उप प्रधान, समस्त सदस्य ग्राम सभा एवं अन्य नागरिक ग्राम राधीपुर ब्लाक गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26-12-89 को ए0 डी0 एम0 (ई) को प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधान राधीपुर ब्लाक गौरीगंज के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की शिकायत है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

जांच कराने पर शिकायती पत्र में इंगित शिकायतें निराधार पायी गयीं तथा संबंधित अभिलेख देखने से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मऊ के मधुबन से भैरवपुर मार्ग के निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग

109–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में मधुबन से भैरवपुर मार्ग की स्वीकृति कब दी गयी थी ? इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कितना शेष है ? यह मार्ग पूरी तरह से कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद मऊ में मधुबन से भैरवपुर मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 4.5 कि0मी0 है, में से 4.00 कि0मी0 लम्बाई में खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक निर्मित किये जाने की स्वीकृति माह अगस्त, 1987 में दी गयी थी । इस पर निर्माण कार्य दिसम्बर, 1987 में प्रारम्भ हुआ तथा 3.00 कि0मी0 की लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष 1.00 कि0मी0 लम्बाई में लेपन का कार्य पूर्ण किया जाना जिला योजना में प्राप्त होने वाले धनावंटन तथा अवशेष 0.50 कि0मी0 भाग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मऊ स्थित सूरजपुर से परसिया जैराम गिरि तक बने बन्धे को पक्की सड़क में परिवर्तित कराने की मांग

110–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में स्थित सूरजपुर से परसिया जैरामगिरि तक बने बन्धे को पक्की सड़क में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले सम्पूर्ण कच्चे मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग

111–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कौन-कौन से मार्ग कच्चे हैं ? इसकी अलग-अलग लम्बाई क्या है ? इस पर कब तक सोलिंग और पिच कराये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कच्चे मार्ग लम्बाई सहित निम्नवत् है :–

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)
1–सिकड़ी कोल से सिसवा मार्ग	5.00 कि0मी0
2–सिकड़ी कोल सिसवा का शेष भाग ।	3.00 कि0मी0
3–सिकड़ी कोल कुसंडा मार्ग ।	1.50 कि0मी0
4–सिकड़ी कोल कुसंडा मार्ग का शेष भाग ।	1.50 कि0मी0
5–असना चकउथ से अहमदपुर असना ।	1.00 कि0मी0
6–बहरामपुर इन्दरा वाया पलिया मार्ग ।	1.30 कि0मी0
7–दरगाह असना मार्ग	6.00 कि0मी0
8–दोहरीघाट मधुबन से परसुरामपुर मार्ग ।	1.00 कि0मी0
9–अमिला दरगाह से पतजीवा मार्ग ।	1.80 कि0मी0
10–असना चकउथ से बनियापार सैय्यद ताहिर मार्ग ।	0.90 कि0मी0
11–नहर की पटरी से बदनपुरा मार्ग ।	1.20 कि0मी0
12–मटुरी हृदय पट्टी मार्ग ।	2.50 कि0मी0
13–मधुबन सूरजपुर पाती ।	3.00 कि0मी0
14–मधुबन बेल्थरा मार्ग से चांदपुर चौधरीपुर मार्ग ।	1.25 कि0मी0

उपरोक्त मार्गों में से क्रमांक–1 व 3 पर वर्णित मार्गों के क्रमशः 0.900 कि0मी0 व 1.00 कि0मी0 भाग पर खड़ंजा का कार्य कराया जा चुका है । उक्त समस्त मार्गों पर सोलिंग एवं पिच कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता द्वारा किए गये अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में से कतिपय का स्थानान्तरण निरस्त किए जाने की जानकारी

112–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87 में प्रमुख अभियन्ता ला0नि0वि0 के पत्र सं0 639/सी0 जेड ई जी/5-सी जेड-6/86 दिनांक 7-8-86 द्वारा सात अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया गया था ? क्या यह सही है कि अनावश्यक प्रतीत होने के फलस्वरूप कुछ अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण शासन द्वारा वर्ष 87-88 में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उनका नाम व उनकी संख्या क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं को निरस्त हुए स्थानान्तरण अवधि का वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या गलत आख्या देने वाले व वेतन आदि का भुगतान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, किन्तु आदेश दिनांक 31-7-86 को निर्गत किये गये थे न कि 7-8-86 को ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद में एस्ट्रोटर्फ खेल के मैदान बनाये जाने की मांग

113–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद में हाकी के तमाम उत्कृष्ट एवं प्रसिद्ध खिलाड़ी हुये हैं तथा वर्तमान में भी तमाम उदीयमान खिलाड़ी हैं ? यदि हां, तो इसको ध्यान में रखते हुये मंत्री जी क्या इलाहाबाद में इसी बजट वर्ष में एक एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि इस बजट वर्ष में रामपुर तथा वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण पूर्ण कराया जाना है तथा वर्तमान सृजित अवस्थापना का पूर्ण उपयोग करना उपयुक्त समझा गया है ।

जनपद बस्ती में पक्का बाजार के पास स्थित पुराने पुल के बगल नये पुल बनाये जाने की मांग

114–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में महुली रोड से बनकटी के पास जो सड़क निकलकर नौरंगिया में महुली खलीलाबाद सड़क में मिली है, पर पक्का बाजार के पास स्थित पुल बहुत ही कमजोर, पुराना व जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ? यदि हां, तो लोगों के निरापद आवागमन हेतु क्या उक्त सड़क पर एक नया पुल बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत पुल जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बस्ती के ग्राम बजहा में विकास खण्ड बनकटी द्वारा निर्मित बजहा से पक्का बाजार तक के सम्पर्क मार्ग को खड़न्जाकृत करने की मांग

115–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बस्ती के ग्राम बजहा में विकास खण्ड बनकटी द्वारा निर्मित, बजहा से पक्का बाजार तक के सम्पर्क मार्ग पर अभी तक खड़न्जा नहीं लगाया गया है जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम एवं सम्पर्क मार्ग पर कब तक खड़न्जा लगवा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

स्थानीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के अभाव में खड़न्जा लगाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

लखनऊ स्थित प्रिंस आफ वेल्स चिड़ियाघर का नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखने की मांग

116–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित प्रिन्स आफ वेल्स चिड़ियाघर का नाम बदलकर देश के किसी क्रान्तिकारी या किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

लखनऊ स्थित प्रिन्स आफ वेल्स चिड़ियाघर एक ट्रस्ट के स्वामित्व में है । उसका नाम बदलने का वर्तमान में, कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला सठियांव, जिला देवरिया के कतिपय अध्यापकों का शोषण एवं उस पर कृत कार्यवाही

117–श्री हरवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला सठियांव, जिला देवरिया में कार्यरत 5 अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-2-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

उक्त विद्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है । अतः प्रश्नगत पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को प्रेषित कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा सठियांव का प्रस्ताव एवं उस पर कृत कार्यवाही

118–श्री हरवंश सहाय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सठियांव, पोस्ट-बैकुन्ठपुर, जिला देवरिया के ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति सहित श्री शारदानन्द अंचल, विधायक का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 12-12-89 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को भेजा गया है ।

जनपद झांसी के बमोर ब्लाक के गरौठा, गुरुसहाय मार्ग के ग्राम कौरोखर को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग को पूरा कराये जाने की मांग

119–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले के बमौर ब्लाक के गरौठा गुरुसहाय मार्ग से ग्राम कौरोखर को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग को डब्लू0 बी0 एम0 स्तर तक बनाये जाने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से कितना धन किस तिथि को आवंटित किया गया था तथा अब तक उसमें से कितना धन व्यय करके कितना मार्ग बनाया जा चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि धन उपलब्ध हो जाने के बाद भी अभी तक सम्पर्क मार्ग को पूर्ण न किए जाने के क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सम्पर्क मार्ग को अविलम्ब पूर्ण किए जाने तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

झांसी जनपद में बामौर ब्लाक के अंतर्गत गुरसहाय गरौठा मार्ग से कौरोखर गांव को जोड़ने हेतु 5.00 कि0मी0 लम्बा सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 1-6-87 तथा 10-10-88 को क्रमशः 1.41 लाख रुपये एवं 3.90 लाख रुपये दिये गये अर्थात 5.31 लाख रुपये कुल ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को उपलब्ध कराये गये जिसके विपरीत 5.29 लाख रुपये व्यय करके ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने 5.00 कि0मी0 पर इन्टरकोट, 1 पुलिया एवं 3.25 कि0मी0 पर टापकोट स्तर तक का कार्य पूर्ण कराया गया ।

निर्माण सामग्री की आपूर्ति समय से न होने तथा रोड रोलर खराब होने के कारण निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ ।

चूंकि कोई भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपद स्तरीय, बेसिक शिक्षा परिषदीय कार्यालयों में अध्यापकों के अनुपात में लिपिकों की नियुक्ति की मांग

120–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद स्तरीय बेसिक शिक्षा परिषदीय कार्यालयों में अध्यापकों के अनुपात में लिपिकों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कमी दूर की जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि पर देय ब्याज की जानकारी के सम्बन्ध में

121–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पर राजकीय कर्मचारियों की भांति ही देय ब्याज की गणना की जाती है ? यदि हां, तो श्री जयकरन नाथ सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को किये गये सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान में कितने प्रतिशत ब्याज की गणना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

5 प्रतिशत की दर से की गयी है । क्योंकि इनका विकल्प पत्र उपलब्ध न होने के कारण परिषदीय अंशदान निर्धारित समय के अन्दर जमा नहीं किया जा सका था ।

जनपद बांदा के कर्वी सम्भाग में भरतकूप मड़फा मार्ग में ग्राम मानपुर के काश्तकारों के अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी

122–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी सम्भाग में भरतकूप मड़फा मार्ग में ग्राम मानपुर के काश्तकारों की भूमि सन् 1974 में अधिगृहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मानपुर के किसानों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब के दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं तथा काश्तकारों को मुआवजा की धनराशि कब तक अदा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

उक्त मार्ग में प्रयुक्त भूमि का मुआवजा अभी कृषकों को नहीं दिया गया है । कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने की कर्य्यवाही अन्तिम स्तर पर चल रही है ।

इस विलम्ब के सर्वश्री एस0 के0 गुप्ता, तत्कव्लीन कार्य अधीक्षक, श्री मनोज कुमार गुप्ता, तत्कालीन स्थानिक अभियन्ता श्री मनोराम तिवारी, तत्कालीन स्थानिक अभियन्ता एवं श्री अमृतलाल त्रिपाठी, तत्कालीन स्थानिक अभियन्ता तथा श्री छोटे लाल तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं श्री आर0 एल0 मिश्रा व निवर्तमान अवर अभियन्ता तथा वी0 के0 शुक्ला अवर अभियन्ता को जिम्मेदार पाया गया है । कृषकों को मुआवजे का भुगतान 15-7-90 तक कर दिये जाने के आदेश विभाग द्वारा दे दिये गये हैं ।

डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी

123–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना लागू होने के बाद डी0 आर0 डी0 ए0 के अन्तर्गत बनने वाले सम्पर्क मार्गों व छोटे पुलों के निर्माण आदि की परियोजना समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी नहीं ।

वर्ष 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना के लागू होने के फलस्वरूप जनपद को आवंटित कुल परिव्यय में से इन्दिरा आवास योजना हेतु मात्राकृत धनराशि को घटाने के बाद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर 20 प्रतिशत धनराशि क्रमशः 10 प्रतिशत अनुरक्षण कार्यों 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा शेष 5 प्रतिशत पूर्व के निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय हेतु रोकी जाती है । शेष धनराशि ग्राम सभाओं को आवंटित कर दी जाती है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्तर पर रोकी गई धनराशि में से यदि कोई अधिशेष धनराशि उपलब्ध हो तो अन्तर्ग्राम सभा तथा अन्तर्ब्लाक के महत्व के कार्य लिये जा सकते हैं । जनपद स्तर के सम्पर्क मार्ग तथा छोटे पुलों आदि के निर्माण इसी श्रेणी में लिये जा सकते हैं ।

जनपद मेरठ के बागपत क्षेत्र में स्थित पृथ्वीराज चौहान डिग्री कालेज को मान्यता प्रदान करने की मांग

124–श्री साहब सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के बागपत के एक मात्र पृथ्वीराज चौहान डिग्री कालेज को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो छात्रों के भविष्य एवं इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इसे मान्यता शीघ्र दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मेरठ विश्वविद्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बागपत है, की सूचना के अनुसार इस नाम का डिग्री कालेज बागपत में नहीं है । न ही विश्वविद्यालय को इस नाम के कालेज से सम्बद्धता हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में स्थित ग्राम हथौड़ा व ग्राम बटिकरेहक के आम रास्ते को वन विभाग द्वारा बन्द करने से उत्पन्न समस्या

125–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में ग्राम हथौड़ा व ग्राम बटिकरेहक में वन विभाग द्वारा गड्ढे खोदकर आम रास्ते को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो आम जनता को कोई नया रास्ता सुलभ कराये जाने पर विचार किया गया है ? यदि हां, तो रास्ता कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई वन क्षेत्र के अन्तर्गत हथौड़ा नाम का कोई गांव स्थित नहीं है, ग्राम पचौड़ा वन ब्लाक में विभाग द्वारा वर्ष 1990 में वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदे गये हैं तथा पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा जो आम रास्ता प्रयोग किया जा रहा था उसे छोड़ दिया गया है । बटिकरेहक ग्राम में गड्ढों का खुदान नहीं किया गया, केवल ग्राम के समीप स्थित जोगियापुर वन भूमि पर गड्ढे खोदे गये हैं । तीन आम रास्ते जो वन भूमि से होकर गुजरते हैं, उन्हें ग्रामवासियों को आने जाने के लिए छोड़ दिया गया है ।

जनपद गाजीपुर के जमानियां विधान सभा क्षेत्र में डेरेथा जमुरना के बीच नाले पर सेतु बनाये जाने की मांग

126–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जमानियां विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर में डेरेथा-जमुरना के बीच नाले पर सेतु निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सेतु का निर्माण कब तक करवा लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी, नहीं । इस समय यह शासन के विचाराधीन नहीं है । यह एक लघु सेतु है जो ग्रामीण मार्ग पर पड़ने के कारण जिला योजना के अन्तर्गत आता है । इसके निर्माण की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री रामसूरत सिंह के सेवामुक्ति के उपरान्त भी सरकारी आवास न खाली करने की शिकायत

127–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलसचिव रामसूरत सिंह को शासनादेश द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया है इसके बावजूद वह आवास पर कब्जा जमाये हुए हैं तथा कुल सचिव की हैसियत से कार्य घर में बैठे-बैठे जबरिया कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कुल सचिव रामसूरत सिंह को आवंटित सरकारी आवास उनसे खाली करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128–श्री रामस्वरूप वर्मा–

[3 रे सोम के लिये स्थगित]

जनपद गोण्डा में वर्ष 1982-83 में बने स्कूल भवनों के अद्यतन स्थिति की जानकारी

129–श्री दशरथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोण्डा द्वारा गोण्डा जिले में कुल कितने स्कूल भवन बनाये जाने का प्रस्ताव सन् 82-83 में किया गया था ? उसमें से कितने भवन बनकर तैयार किए गए कितने अभी तक नहीं बनाए जा सके ? क्या इस संदर्भ में पूर्व ब्लाक प्रमुख बभन जोत के कोई शिकायती पत्र दिनांक 28-7-83 अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोण्डा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किससे कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

गोण्डा जिले में वर्ष 82-83 में कुल 4 प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण का प्रस्ताव था, जिसमें से चारों भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है, उक्त वर्ष का कोई भी प्राइमरी पाठशाला भवन निर्मित होना अवशेष नहीं है, इस संदर्भ में पूर्व ब्लाक प्रमुख, बभन जोत का कोई शिकायती पत्र दिनांक 28-7-83 अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोण्डा के कार्यालय में प्राप्त नहीं है अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

जनपद गोण्डा एवं बस्ती के बार्डर पर चन्द्रदीप घाट के बिसूही नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

130–श्री दशरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बिसूही नदी पर स्थित चन्द्र दीप घाट पुल जो जिला गोण्डा व जिला बस्ती के बार्डर पर है, निर्माण हेतु स्वीकृत हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत हो जावेगा ?

श्री बैनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुल की स्वीकृति वरीयता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद वाराणसी के उप विद्यालय निरीक्षकों के टी0 ए0 बिल के भुगतान की मांग

131–श्री अमरनाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद में प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का 48 माह से टी0 ए0 का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा विलम्ब का दायित्व किसका है ? भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं । केवल 11 माह के यात्रा बिलों का भुगतान शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस मद में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ । अवशेष बिलों का भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

निवर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में किए गए घोषणाओं के पूर्ति की मांग

132–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या निवर्तमान मुख्य मंत्री ने 2-4-89 को बरेली में रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षकों के 24 नये पद सृजित जाने व नेहरू केन्द्र के लिए 39 लाख रुपये का अनुदान दिलाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा का अनुपालन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं, निवर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1989 को रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में नेहरू सेन्टर के शिलान्यास के अवसर पर निम्नलिखित घोषणायें की गई थी :–

(1) विश्वविद्यालय के सातों विभागों में जो पद सृजित किये जाने हैं उनकी स्वीकृति शासन द्वारा एक माह के अन्दर प्रदान कर दी जायेगी ।

(2) नेहरू सेन्टर को इस वर्ष बीस लाख रुपये तथा अगले वर्ष दस लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जायेंगे ।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में सातों विभागों में प्रवक्ता के एक-एक पद सृजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । नेहरू सेन्टर के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की प्रथम किश्त अनावर्तक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है । प्रथम किश्त के उपयोग की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही दूसरी किश्त स्वीकृत करने का प्रश्न उठेगा ।

जनपद आगरा के कतिपय सीनियर बेसिक शिक्षकों के अवशेष वेतन भत्तों के भुगतान की मांग

133–श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के छः सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों का अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 तक वेतन भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में 17 मार्च, 1988, 16 अगस्त, 88 तथा 3 नवम्बर, 88 को शासनादेश भी निर्गत किया जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र भुगतान के आदेश नहीं थे बल्कि बजट की व्यवस्था से संबंधित थे ।

आवश्यक धनराशि आवंटित की जा चुकी है । पी0 एल0 ए0 से धन निकालने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

जनपद इटावा में सामुदायिक विकास केन्द्र दिलीपपुर एवं ताखा के निर्माण एवं उसके निर्माण पर व्यय की जानकारी

134–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा में सामुदायिक विकास केन्द्र दिलीप पुर एवं ताखा का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इटावा द्वारा पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई है एवं उक्त कार्य की निर्धारित व्यय सीमा क्या थी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां । सामुदायिक विकास केन्द्र दिलीपपुर एवं ताखा का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, इटावा द्वारा पूर्ण करा दिया गया है । उक्त भवनों के निर्माण में रुपया 2,11,735.50 पैसा व्यय किया गया है । उक्त कार्यों की निर्धारित व्यय सीमा 2 लाख रुपये थी ।

जनपद जौनपुर में लुम्बिनी-ददधी राज मार्ग संख्या–5 पर मडियाहूं बाईपास निर्माण कराये जाने की मांग

135–श्रीमती सावित्री देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेक्टर योजना वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत, जनपद जौनपुर में लुम्बिनी ददधी राज्य मार्ग संख्या–5 पर मडियाहूं बाईपास निर्माण कराये जाने हेतु प्रजेक्ट मुख्य अभियंता सा0 नि0 वि0 वाराणसी द्वारा 17-3-90 को विशेष सचिव सा0 नि0 नि0 अनुभाग–11 उत्तर प्रदेश शासन तथा प्रमुख अभियंता मुख्यालय प्रथम, सा0 नि0 वि0 लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है और निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

95 लाख रुपये वर्ष 1989-90 में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इसकी स्वीकृति देना सम्भव नहीं हो सका और आगे भी इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

136-137–श्री गेन्दन लाल गंगवार–

[मा0 सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण निरस्त]

जनपद ललितपुर के ब्लाक वार के ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना के धन की उपयोगिता की जानकारी

138–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ब्लाक वार जनपद ललितपुर के किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सा कार्य अभी तक हुआ है ? क्या मंत्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड वार ललितपुर की 67 ग्राम सभाओं में कुल 33.92 हेक्टेयर वनीकरण, 20 कुप, 2 बंधी, 33.75 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, 2.25 कि0 मी0 ग्रामीण मार्ग पक्के, 5.60 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग मरम्मत, 9 स्कूल मरम्मत, 10 स्कूल बाउन्डी, 3 हरिजन चौपाल, 42 कुप मरम्मत, 1.345 कि0मी0 खडन्जा, 1.340 कि0मी0 नाली निर्माण, 7 चैकडैम, 27 पुलिया, 1.875 कि0मी0 सिंचाई बंधी/नाली, 4 पेशाबघर, 9 तालाब गहराव, 2 पंचायतघर मरम्मत, 2 हरिजन कुप पुनः निर्माण, 1 सामुदायिक केन्द्र मरम्मत, 8 पशुपेय जल चरई, 3 सिंचाई कुप, 1 विद्युतीकरण, 1 स्कूल भवन निर्माण, 0.100 कि0मी0 ग्रामीण कच्चा मार्ग, 3 बोरिंग एवं आवास निर्माण कार्य कराये गये ।

ग्राम सभा वार विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद ललितपुर के ब्लाक महरौनी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत किए गए कार्यों की जानकारी

139–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महरौनी ब्लाक जनपद ललितपुर के किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सा कार्य अभी तक हुआ है ? क्या मंत्री जी उसका विवरण पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत विकास खण्ड महरौनी ललितपुर की 67 ग्राम सभाओं में कुल 37.216 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, 64 पुलिया, 19 बन्धी/तालाब, 8 कूप, 3.10 कि0मी0 नाली, 30 मीटर खड़न्जा, 1 तलैया, समतलीकरण, 1 पंचायतघर मरम्मत, 75 कूपों की मरम्मत. 141 निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कार्य कराया गया है ।

ग्राम सभावार विवरण विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद ललितपुर के ब्लाक मडावरा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत किए गए कार्यों के विवरण की मांग

140–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मडावरा ब्लाक जनपद ललितपुर के किन-किन गांवों में कौन सा कार्य अभी तक हुआ है ? क्या मंत्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत विकास खण्ड मडावरा की कुल 61 ग्राम सभाओं में 85 हेक्टेयर बनीकरण, 20 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, 85 मीटर गूलें, 16 पुलिया, 10 स्कूल बाउन्ड्री, 5 पंचायत घरों की मरम्मत, 3 बंधी, 6 तालाब मरम्मत, 8 कूप. 1.80 कि0मी0 खड़न्जा, 1.60 कि0मी0 नाली, 1.20 कि0मी0 सैर, 80 आवास, 10 दुकानें, 10 स्कूलों की मरम्मत एवं 20 कूपों की मरम्मत का कार्य कराया गया है ।

ग्रामसभा वार विवरण विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

स्वामी रामानन्द इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की मांग

141–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी रामानन्द इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद में गम्भीर अनियमितताओं के कारण साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने हेतु दो नोटिस दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इस संस्था में साधिकार नियंत्रक नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक विभाग साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर देगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रबन्ध तंत्र द्वारा 13 में से 11 अनियमितताओं का निराकरण कर दिये जाने के कारण साधिकार नियंत्रक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के नियमित पेंशन भुगतान की मांग

142–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को नियमित पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप इन अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस देरी के लिए दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उन्हें नियमित पेंशन के भुगतान की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त (सेवा निवृत्त) कर्मचारियों को जनवरी, 1990 तक की अवधि के पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ।

जिला परिषद् के आय स्रोत कम होने के कारण बढ़ी हुई दरों पर पेंशन भुगतान नियमित रूप से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । परिषद् द्वारा अवशेष पेंशन भुगतान की व्यवस्था हेतु प्रयास किया जा रहा है । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जनपद बिजनौर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव

143–श्री सुखवीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजनौर जनपद के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नये हाई स्कूल, इण्टर कालेज, खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

नहीं ।

क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बालकों के लिये नवीन हाईस्कूल खोलने की योजना नहीं है तथा सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की भी कोई योजना नहीं है ।

बेसिक कन्या विद्यालय मिध्गान-बिजनौर के जीर्णोद्धार हेतु धन की मांग

144–श्री सुखवीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक कन्या विद्यालय मिध्गान-बिजनौर के भवन की मरम्मत विगत कितने दशकों से नहीं हुई है ? क्या उक्त जर्जर भवन की मरम्मत के लिए विगत वर्षों में कोई धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो अब तक भवन मरम्मत का कार्य क्यों नहीं हुआ ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

लगभग दो दशकों से प्रश्नगत भवन की मरम्मत नहीं हुई थी ।

वर्ष 1988-89 में रु0 20,000/- की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

दुधवा नेशनल पार्क पर लगे बैरियर को हटाये जाने की मांग

145–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क पर लगे बैरियर के प्रतिबन्धों को समाप्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर लगे बैरियर के प्रतिबन्धों को समाप्त किये जाने विषयक माननीय विधायक का पत्र दिनांक 14-12-89 प्राप्त नहीं हुआ है । दुधवा पार्क में बैरियर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 35 (8) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए बने नियमों के अन्तर्गत वन्य जीवों एवं वन उपज की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है । दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बैरियर लगाना केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी आवश्यक है, अतः इसे समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

146–श्री हनुमन्त सिंह–

[1लें बुध में असा0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली एवं शाहजहांपुर के मध्य ग्राम चरिउना के पास कन्हानी नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

147–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के कस्बा फतेहगंज पूर्वी से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क ग्राम गढ़या रगी जनपद शाहजहांपुर को जाती है ? क्या उक्त सड़क से ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर को जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर ग्राम चरिउना के पास कन्हानी नाला पर पुल निर्माण की स्वीकृति गत वर्षों शासन द्वारा दी जा चुकी है और धन का आवंटन भी हो चुका है ? यदि हां, तो उस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हा ।

प्रश्नगत सेतु निर्माण हेतु किए गये विस्तृत सर्वेक्षण के अनुसार उक्त सेतु का स्थान कम से कम 54 मीटर रखना होगा जिसे देखते हुये पूर्व स्वीकृति को संशोधित किये बिना सेतु का निर्माण प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक धौलाना एवं धौलाना (भोजपुर) के कतिपय ग्रामों के लिए आवंटित जवाहर रोजगार योजना के धन की उपयोगिता की जानकारी

148–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में ब्लाक धौलाना व ग्राम नरायणपुर तथा धौलाना (भोजपुर) ब्लाक के ग्राम दत्तड़ी, कीनापुर, पीपलाबन्दपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना रुपया आवंटित किया गया ? उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड धौलाना में ग्राम सभा धौलाना के लिए 217313.95 रु0 तथा ग्राम सभा नरायनपुर को 75980.00 रु0 आवंटित किया गया ।

विकास खण्ड भोजपुर के ग्राम दत्तड़ी का नाम वर्तमान में औरंगाबाद दत्तड़ी तथा ग्राम कीनापुर का नाम मुकीमपुर हो गया है ।

ग्राम सभा औरंगाबाद दत्तड़ी को 33950.00 रु0, ग्राम सभा मुकीमपुर को 131759.00 रु0 एवं ग्राम सभा पीपलाबन्दपुर को 33950.00 रु0 आवंटित किया गया ।

उपरोक्त ग्राम सभाओं में आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण विस्तृत होने से मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम स्यालीमाला के प्राइमरी स्कूल भवन की निर्माण की मांग

149–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 31 कुन्दरकी में ग्राम स्याली माला, तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में जिला परिषद् द्वारा 20 वर्षों से चलाये जा रहे प्राइमरी स्कूल के नाम लगभग 3 एकड़ जमीन है जिसकी आमदनी तो जिला परिषद् मुरादाबाद लेती है परन्तु 20 साल से उस स्कूल की खाली दीवारें खड़ी हैं और उस पर छत नहीं डाली गयी ? यदि हां, तो उक्त स्कूल की छत न डलवाये जाने का क्या कारण है ? यह कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

दीवारें नाम मात्र की हैं उन पर छतें नहीं डलवायी जा सकती । भवन का नया निर्माण किया जाना है ।

भवन निर्माण इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की आशा है ।

शहीद इण्टर कालेज मधुबन, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य को न्यायालय के आदेशों के विपरीत भुगतान की शिकायत

150--श्री सुबास--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज मधुबन जनपद मऊ के प्रधानाचार्य को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं शर्तों के विरुद्ध वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

151--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीसलपुर के शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1988 जुलाई के रुके वेतन की भुगतान सम्बन्धी जानकारी

152--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत के शिक्षणेतर कर्मचारियों को माह जुलाई, 1988 का वेतन प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान के विलम्ब में दोषी अधिकारियों को अभी तक दण्ड दिया गया है और कब तक उक्त भुगतान कर्मचारियों को प्राप्त हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं ।

दिनांक 1 अगस्त, 1988 को महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक-कम-लेखाकार जब स्टेट बैंक से वेतन का भुगतान लेकर कालेज आ रहे थे तो रास्ते में वेतन चोरी हो गया जिसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट उसी दिन कोतवाली बीसलपुर में दर्ज करा दी गयी थी । पुलिस ने विवेचना उपरान्त दिनांक 30-11-1988 को अंतरिम रिपोर्ट दी जिसमें चोरी का कोई सुराग नहीं लगा । पुलिस की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी के बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेंशन स्वीकृति की मांग

153--श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् वाराणसी जनपद में 30 जून, 1989 को कितने अध्यापक सेवा निवृत्त हुए ? उनमें से कितने अध्यापकों की पेंशन स्वीकृत की गयी ? शेष अध्यापकों की पेंशन स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

162

138

शेष अध्यापक पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अपनी पेंशन चाहते हैं । अतः पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन निर्धारण हो जाने के उपरान्त ही उनकी पेंशन स्वीकृत हो सकेगी ।

श्री उमाशंकर मिश्र सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा वर्ष 1989 में मण्डल एवं स्टेट रैली के लिए प्राप्त धन की उपयोगिता के विरुद्ध जांच की मांग

154–श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएँगे कि सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल वाराणसी श्री उमाशंकर मिश्र ने वर्ष 1989 में मण्डल रैली एवं स्टेट रैली के लिये मण्डल के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों से (20,000) बीस हजार रुपयों का अंशदान लिया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि किन-किन मदों में खर्च की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर तथा गाजीपुर से रु0 26,000/- प्रति जनपद की दर से तथा रु0 20,00/- बलिया से अंशदान के रूप में लिया गया है ।

निम्नांकित मदों पर व्यय की गयी :–

1–क्रीड़ा मैदान की तैयारी
2–शामियाना माइक आदि
3–कुर्सी, मेज, दरी, चारपाई आदि
4–सांस्कृतिक कार्यक्रम, पण्डाल आदि
5–उद्घाटन समारोह
6–छात्र मिष्ठान वितरण
7–पुरस्कार वितरण आदि
8–बैज्रेज
9–वाहन डीजल, पेट्रोल आदि
10–प्रमाण पत्र, निमंत्रण कार्ड आदि
11–बुकलेट
12–निर्णायकों एवं अतिथियों की व्यवस्था
13–स्टेशनरी
14–आवासीय व्यवस्था
15–चिकित्सा व्यवस्था
16–खेलकूद उपकरण
17–विविध (फोटो आदि) ।

जनपद वाराणसी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत विगत वर्ष सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों के बकाये पेंशन के भुगतान की मांग

155–श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी जनपद के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु धन आवंटित हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के 39वां वृत्त के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 में कार्यरत अस्थायी मस्टररोल कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

156–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 39वां वृत्त के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 में कार्यरत पम्पचालक चार या पांच वर्षों से अस्थायी मस्टररोल में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन लोगों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान या स्थायी मस्टररोल में कब तक रख दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में वर्ष 1986 से हुई वृद्धि की जानकारी

157–श्री श्रीराम चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में नया वेतनमान लागू होने के बाद दैनिक वेतन पाने वाले पम्प चालक कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उत्तर भाग में स्थिति यह है कि पम्प चालकों की दैनिक मजदूरी को दर से वृद्धित की गयी है । यह वृद्धि दिनांक 1-1-87 से रु0 8.50 प्रतिदिन तथा पुनः दिनांक 26-7-89 से रु0 2.00 प्रतिदिन की गयी है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम रिगौली (क्षेत्र पनियरा) अन्तर्गत इस्लामिया प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति

158–श्री गनपति सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पनियरा जनपद गोरखपुर ग्राम रिगौली में इस्लामिया प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में एक कन्या विद्यालय खोले जाने की मांग

159–श्री गनपति सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद गोरखपुर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई कन्या विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या भू0पू0 मुख्य मंत्री स्व0 वीर बहादुर सिंह ने कोई आदेश उक्त के संबंध में जारी किया था ? यदि हां, तो उसे अब तक कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह ने इस संबंध में घोषणा की थी । उक्त घोषणा के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है ।

जनपद हरदोई के नगर क्षेत्रों में स्थित बेसिक विद्यालयों के निरीक्षण आदि कार्यों की जानकारी

160–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के नगर क्षेत्रों में स्थित बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं अन्य कार्यों का निस्तारण शिक्षा अधीक्षकों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कार्य शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत ? क्या सरकार अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्रांक 7900-8162/5(1)/82-83, दिनांक 7-6-82 का अनुपालन हरदोई जनपद में कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

अप्रैल, 1990 से । प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनी नगर स्थित रसूलपुर कजरा भटगांव के प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण में अनियमितता की शिकायत

161–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताऐंगे कि प्राइमरी पाठशाला भवन, रसूलपुर कजरा भटगांव, विकास खण्ड सरोजनी नगर, जिला लखनऊ जिला परिषद् द्वारा बनवाया जा रहा है ? क्या उक्त भवन का फाउन्डेशन स्वीकृत मानक एवं आगणन के अनुसार नहीं बनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भवन जिस स्थान पर स्वीकृत हुआ वहां नहीं बनवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग खंड नं0 2 लखनऊ में एच0 एम0 पी0-37 पर प्रयुक्त सामग्री में की गयी गड़बड़ी की शिकायत

162–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक नि0 मंत्री की जानकारी में है कि रा0 मा0 खण्ड नं0-2 लखनऊ में एच0 एम0 पी0-37 पर ली गयी सामग्री की ओवर साईज एवं अन्डर साईज के संबंध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 19-12-88 प्रमुख अभियन्ता, रा0 मा0 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, श्री रमेश चन्द्र ने दिनांक 20-12-88 को रा0मा0-24 का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

मुख्य अभियंता, रा0 मा0 द्वारा उक्त सन्दर्भ में दिनांक 20-12-88 को रा0 मा0-24 का निरीक्षण नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वृत्तीय एवं खण्डीय आशुलिपिकों के मध्य वेतनमान की असमानता दूर किए जाने की मांग

163–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मुख्य अभियंता (मु0) सा0 नि0 वि0 ने पत्रांक 182 व्यख/12 व्यख/85, दिनांक 18-1-89 द्वारा वेतनमान 515-860 पर रु0 470-735 के वृत्तीय आशुलिपिकों की पदोन्नति की ? यदि हां, तो रु0 470-735 के खण्डीय आशुलिपिकों को पदोन्नति में शामिल न करने के क्या कारण हैं ? क्या समान वेतनमान रु0 470-735 में खण्डीय आशुलिपिकों की तैनाती वृत्तीय कार्यालयों में नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

एक ही वेतनमान के आशुलिपिकों के खण्डीय तथा वृत्तीय कार्यालयों में तैनाती के आधार पर पदोन्नति किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्डीय आशुलिपिकों की तैनाती वृत्तीय कार्यालयों में केवल पदोन्नति पर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बन्धित सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अंतर्गत खण्डीय एवं वृत्तीय कार्यालय के विभिन्न श्रेणी के संवर्गों को प्रशासनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अलग-अलग रखा गया है । यही कारण है कि खण्डीय संवर्ग के एक ही वेतनमान के आशुलिपिकों को वृत्तीय संवर्ग के आशुलिपिकों के पदों पर ज्येष्ठता क्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति की जाती है ।

मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, सा0 नि0 वि0 द्वारा ठेकेदारों के पंजीकरण के पूर्व विविध राय लिए जाने संबंधी आदेश दिया जाना

164–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, सा0नि0वि0, आगरा ने अपने पत्रांक 9069/122 सीई0 आगरा/88, दिनांक 11-10-88 द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण रजिस्टर का रख-रखाव आशुलिपिक से कराये जाने के आदेश के साथ-साथ पंजीकरण से पूर्व उसका विधि अधिकारी से परीक्षण कराये जाने के आदेश जनहित/शासन हित में पारित किए थे ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के आदेश अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जारी किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह ठीक है कि मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा के पत्रांक-9069/122 सीई0-आगरा-88, दिनांक 11 अक्टूबर, 1988 द्वारा अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंताओं तथा अधिशासी अभियंताओं को लीगल मामलों में आदेश दिए गये, जिसके द्वितीय पैरा में यह उल्लेख किया गया था, कि ठेकेदारों का पंजीकरण करते समय अभिलेखों का परीक्षण विधि अधिकारी से भी कराया जाय तथा इसका रजिस्टर शिविर सहायक (स्टैनों) के पास रहेगा ।

इस विषय पर अन्य क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से विचार-विमर्श के अनुसार मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र के आदेशों को व्यावहारिक नहीं पाया गया और प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया । अतः इन आदेशों को अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

165–श्री यदुनाथ सिंह–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर निर्वाचन क्षेत्र में अधूरी बनी सड़कों पर लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

166–श्री यशवन्त सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कौन-कौन से मार्ग हैं, जिनका लेपनस्तर तक कार्य नहीं हुआ है ? इनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है ? इन पर कब तक लेपन कार्य करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्तर तक निर्मित लम्बाई सहित निम्नवत् मार्ग हैं :–

क्रम सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)
1	ईहा-चक्कपानपुर मार्ग	4.00
2	आजमगढ़-गाजीपुर मार्ग से मित्तपुर मार्ग	3.00
3	जहानागंज-सठियांव से महुआमुराद मार्ग	2.00
4	जहानागंज-सठियांव से सीही मार्ग	1.00
5	जहानागंज-धरवारा अकबेलपुर मार्ग	8.50
6	जहानागंज-धरवारा अकबेलपुर मार्ग से सुन्दरचक-कोल्हौरे	2.00
7	चक्कपानपुर-दौलताबाद भुजही मार्ग	7.50
8	चक्कपानपुर-दौलताबाद भुजही मार्ग-जिगरसण्डी	2.50
9	चक्कपानपुर-दौलताबाद भुजही से लपसीपुर	1.00
10	आजमगढ़-गाजीपुर से मन्दे मार्ग	2.00
11	जियनपुर-मुबारकपुर से पाही जमीन पाही	2.00
12	सठियांव मुबारकपुर से नैथी मार्ग	3.00
13	पूरादुल्हन हरिजन बस्ती होते हुए उदयभानपुर	0.8
14	शेरपुर बड़हल मार्ग	4.00
15	जहानागंज सठियांव मार्ग	9.30
16	जहानागंज बाईपास मार्ग ।	0.70

उपरोक्त मार्गों में से क्रमांक 14 व 16 पर वर्णित मार्ग जिनकी लम्बाई क्रमशः 4 कि0मी0 व 700 मीटर है, पूरी लम्बाई में लेपन स्तर तक स्वीकृत है और जिन पर क्रमशः 2.50 कि0मी0 तथा 500 मीटर में लेपन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष भागों में न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके हैं । स्थगनादेश समाप्त होने के उपरान्त तथा धन की उपलब्धता पर पूर्ण किया जाना निर्भर है ।

क्रमांक–15 पर उल्लिखित मार्ग की कुल लम्बाई 9.30 कि0मी0 में से केवल 2.00 कि0मी0 लम्बाई में लेपन का कार्य स्वीकृत है । जिसे पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

शेष क्रमांक–1 से 13 तक वर्णित मार्गों पर लेपन के कार्य की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद इटावा के ब्लाक विधूना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभाओं द्वारा जवाहर रोजगार योजना के जनपद इटावा के विकास खण्ड विधूना में जवाहर रोजगार योजना में धन के दुरुपयोग की शिकायत

167–श्री धनीराम वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद इटावा की तहसील विधूना, ब्लाक विधूना की ग्राम सभा भदौरा हदूं, धरमगदपुर, लाखी एवं ब्लाक शहार की ग्राम सभा पूर्वादानशाह, सहवाजपुर डूंगर्रा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत क्या-क्या काम किये गये हैं ? क्या सरकार ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद इटावा की तहसील बिधूना के ब्लाक बिधूना की ग्राम सभा भदौरा हर्दू में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निम्न कार्य कराये गये :–

वृक्षारोपण भदौरा-राठौरी सम्पर्क मार्ग, भदौरा-झवरा सम्पर्क मार्ग प्राइमरी पाठशाला भवन मरम्मत हैण्ड पम्प खड़ंजा निर्माण हेतु ईंटों का क्रय निर्बल वर्ग आवास हेतु धन का हस्तानान्तरण धरमंगदपुर में तालाब निर्माण. गोपालसिंह के दीवाजे से बम्बा तक आने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण रूपपुर से नन्दपुर तक सड़क निर्माण निर्बल वर्ग आवास हेतु धन का हस्तानान्तरण आदि कार्य कराये गये । लाखी में माखनपुरवा से जलैया तक नाला सफाई, लाखी माखनपुरवा स्कूल सामुदायिक विकास केन्द्र की भूमि पर वृक्षारोपण बम्बा से जलैया तक, लाखी से बम्बा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण, लाखी व माखनपुरवा गांव की गली में मिट्टी भराई, लाखी सम्पर्क मार्ग निर्माण, निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु धन का हस्तानान्तरण आदि कार्य कराये गये ।

ब्लाक सहार की ग्राम सभा पूर्वादानशाह में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत कार्यालय भवन, खड़ंजा निर्माण हेतु ईंटों का क्रय, पूर्वादेवीदास में सम्पर्क मार्ग, सम्पर्क मार्ग लेजनारायन के दरवाजे से मन्नूलाल के दरवाजे तक सम्पर्क मार्ग डामर रोड से राम अौतार के दरवाजे तक, सम्पर्क मार्ग राम सेवक के दरवाजे से राम प्रकाश के दरवाजे तक एवं लौटन के दरवाजे से रहीम के दरवाजे तक सम्पर्क मार्ग किशोर के दरवाजे से ओम प्रकाश के दरवाजे तक एवं छोटे लाल के दरवाजे से प्रधान के दरवाजे तक, सम्पर्क मार्ग डेरा से श्री राम के दरवाजे तक एवं बस स्टैण्ड से चन्द्रभान के दरवाजे तक निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु धनराशि की हस्तानान्तरण आदि कार्य कराये गये । शहवाजपुर में वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग, पुर्वा वाले सम्पर्क मार्ग भूलाहार सम्पर्क मार्ग, पूर्वा ललऊ, सम्पर्क मार्ग कुअरपुर. सम्पर्क मार्ग पूर्वातिरा, निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु धन का हस्तानान्तरण आदि कार्य कराये गये ।

डूंगरा में वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग निर्माण, खड़ंजा निर्माण, खड़ंजा मरम्मत मिट्टी भराई, निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु धन का हस्तानान्तरण आदि कार्य कराये गये ।

उक्त ग्राम सभाओं द्वारा जवाहर रोजगार योजना क अन्तर्गत कराये गये कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन विकास खण्ड के तकनीकी अधिकारी द्वारा कराया गया तथा जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा भी निर्माण कार्य देखे गये जिसमें कोई तकनीकी कमी नहीं दिखायी पड़ी । अतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

168–श्री रविदास मेहरोत्रा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इटावा के ब्लाक नरैनी ग्राम बदौसा में विगत वर्षों में अधूरे बनाये गये निर्बल आवास एवं इन्दिरा आवास को पूरा करने एवं उसके जांच की मांग

169–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के गांव बदौसा में वर्ष 1988-89 एवं वर्ष 1989-90 में कितने निर्बल आवास तथा कितने इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया ? इन दोनों प्रकार के आवासों में कितने आवास पूरे बन गये तथा कितने आज भी अधूरे पड़े हैं ? इन आवासों का निर्माण समय से पूरा न कराने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी के ग्राम बदौसा में विभिन्न वर्षों में निम्नानुसार आवासों का निर्माण कराया गया है :–

वर्ष	आवासों का प्रकार	स्वीकृति संख्या	पूर्ण हुए
1988-89	इन्दिरा आवास	8	8 पूर्ण
1988-89	निर्बल वर्ग आवास	12	3 पूर्ण
1989-90	निर्बल वर्ग आवास	6	X

उपरोक्त आवासों का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0से0) को जिम्मेदार बनाया गया था । जो समय से काम पूरा नहीं करा सके । इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

170–श्री राम बचन धूसिया–

[3रे सोम के लिये स्थगित]

171–श्री राजकिशोर सिंह–

[3रे सोम के लिये स्थगित]

काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यापकों आदि के भविष्यनिधि, अनिवार्य जीवन बीमा निधि, ग्रेच्युटी आदि की धनराशि उनके खाते में जमा न करने संबंधी शिकायतें

172–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यापकों व प्राध्यापकों की मार्च, 1989 तक की भविष्य निधि, अनिवार्य जीवन बीमा और ग्रेच्युटी की धनराशि विद्यापीठ द्वारा अध्यापकों/प्राध्यापकों के खाते में जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की कटौतियों की धनराशि संबंधित खातों में जमा की जा चुकी है । अनिवार्य जीवन बीमा की 31-3-89 तक की कटौतियों की धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है । ग्रेच्युटी की धनराशि को खाते में सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की भांति जमा कराने की व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में ढढनी मलसा बाई पास मार्ग हेतु ली गयी किसानों के भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

173–श्री राज किशोर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में सुहवल ढढनी मलसा बाई पास मार्ग मौजा रसूलपुर, गाजीपुर (जिला) में बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग में ली गई काश्तकारों की जमीनों का मुआवजा दिलाया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मुआवजा दिया जायेगा ? क्या सरकारी विलम्ब करने वाले दोषी कर्मचारी व अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त बाईपास मार्ग की स्वीकृति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश वर्तमान सडक पुनर्निर्माण एवं सुधार योजना के अन्तर्गत, हुई थी । मार्ग हेतु प्रयुक्त भूमि कृषकों से बिना मूल्य प्राप्त हो गई थी, अतएव भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव

174–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र 31 कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में कोई राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

यह प्रकरण सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम बिलारी खास के 5.45 एकड़ भूमि को मानव चिकित्सालय खोलने हेतु प्राप्त करने का प्रस्ताव

175–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि परगनाधिकारी बिलारी, जनपद मुरादाबाद ने दिनांक 9-10-1989 को ग्राम बिलारी खास में वाद सं0 5 धारा 33/39 एल0 आर0 एक्ट के अंतर्गत 5.45 एकड़ भूमि को खाता नं0 13 किता 13 पर अंकित तहसील स्कूल को खारिज कर उस स्थान पर फार्म जिला परिषद् दर्ज किया है ? क्या यह भी सच है कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, मुरादाबाद ने उक्त भूमि को स्वास्थ्य विभाग को मानव चिकित्सालय हेतु हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के हस्तान्तरण में अनावश्यक विलम्ब किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर भूमि स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही एक माह के भीतर करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्ताव उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961/उ0 प्र0 जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, 1965 के प्राविधानों के अंतर्गत नहीं था । अतः मण्डलायुक्त, मुरादाबाद से पुनरीक्षित प्रस्ताव मय शिक्षा विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ भेजने हेतु लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जैसा ऊपर दर्शाया गया है मण्डलायुक्त से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के वन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

176–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 583/ज0 पा0/89 दिनांक 20 जून, 1989 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित था श्री दिवातन कुमार, प्रोपराईटर सर्वोदय बग्गी एण्ड कृषि यन्त्र उद्योग बुलन्दशहर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 मई, 89 के साथ जिसमें वन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गयी हैं, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों पर दिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों का परीक्षण किया गया तथा शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक प्रमुख भीटी के विरुद्ध लगाए गए गम्भीर आरोपों के जांच की मांग

178–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 975/जद/89 दिनांक 26 दिसम्बर 89 तथा दिनांक 25-1-90 शासन को मिल गया है, जिसमें फैजाबाद जनपद में स्थित ब्लाक भीटी के ब्लाक प्रमुख द्वारा अपने पद और प्रभाव के दुरुपयोग की गम्भीर शिकायतें की गयी है ? क्या यह भी सही

है कि असिस्टेंट कमिश्नर विकास ने जो लखनऊ से फैजाबाद जिला मुख्यालय पर उन शिकायतों की जांच के लिए 19 एवं 20 जनवरी 90 को उपस्थित थे, अपनी जांच में शिकायतों को सही पाया है ? यदि हां, तो सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर मुकदमा पजीकृत कराने और प्रश्नकर्ता की शिकायतों तथा जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में सरकार क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

सहायक आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा की गई जांच में कतिपय कमियां पायी गयी, जिस पर पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं । मामले में अभी जांच चल रही है ।

जनपद व नगर फिरोजाबाद के विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूल बनाये जाने की मांग

179–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताऐंगे कि सरकार नगर फिरोजाबाद के शिक्षा रहित और शिक्षा से उपेक्षित मो0 हाजीपुरा, गासिब नगर, कश्मीरी गेट आदि के मध्य राजकीय इण्टर कालेज स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

नहीं ।

क्योंकि सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के स्थानान्तरण की मांग

180–श्री यशवन्त सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक गोरखपुर सप्तम मण्डल गोरखपुर में सन 1985 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक गोरखपुर को अन्यत्र स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

प्रश्नगत मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के स्थानान्तरण का आदेश जारी किया जा चुका है ।

181–सैय्यद लियाकत हुसैन–

[दिनांक 15-6-90 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुरादाबाद में हरिजन एवं निर्बल आवास निर्माण में की गयी अनियमितता की शिकायत

182–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मुरादाबाद में कुल कितने हरिजन एवं निर्बल आवास अब तक बनाये जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि कन्दरकी (डींगरपुर) विकास खण्ड में केवल 12 आवास बनाये गये हैं और सरकार को प्रेषित सूचना में 18 की संख्या दर्शायी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जनपद मुरादाबाद में 1-4-90 तक कुल 7052 हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास बनाये गये ।

जी नहीं । इस विकास खण्ड में 388 आवास बनाए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नोत्तर प्रहर में लगातार दो दिनों से पत्रकारों द्वारा प्रेस दीर्घा का बहिष्कार किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुईद अहमद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, परसों जो प्रश्नकाल में समाचार-पत्र दीर्घा खाली रही उसके बारे में अभी कुछ नहीं बतलाया गया है । परसों शाम को 4 बजे आपने कहा था कि जानकारी कर लें किन्तु 4 बजे किसी ने नहीं इसको उठाया । मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि परसों प्रेस गैलरी क्यों खाली रही ?

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सम्मानित पत्रकार सदन में क्यों नहीं आये । क्या आपने इसका पता लगाया और यदि पता लग लिया है तो कृपया इसके कारणों को सदन को बताने की कृपा करें । मान्यवर आपसे यह अनुरोध किया गया था कि आप इनके न आने के कारणों का पता लगायें और सदन को भी उसे बतायें । यदि आपने इसका पता नहीं लगाया तो कृपया इसके कारण पता लगाकर बतायें ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान)

कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और किसी की बात स्पष्ट नहीं हो सकी)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय –

प्रश्नों के संबंध में हमने औचित्य का प्रश्न उस समय उठाया था और यह जानकारी चाही थी कि सम्मानित पत्रकार सदन में क्यों नहीं आये । इस जानकारी का उत्तरदायित्व आपके ऊपर था और इसका निर्णय आपकी पीठ पर छोड़ दिया गया था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 अध्यक्ष आज शाम को आ रहे हैं । आज आते ही हम उन्हें अवगत करा देंगे । सम्मानित पत्रकारों को उनके सामने बुलाकर हम उनसे बात करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर अभी दो दिन तक सदन चला है और दोनों ही दिन पत्रकार लोग नहीं आये हैं इससे हम अपने मौलिक अधिकार से वंचित रहे । पत्रकारों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण था । इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है । इसका क्या कारण था कृपया आप बता दें ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

किसी की बात नोट न की जाय । कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है । एक-एक करके मा0 सदस्य बोलें तो उनकी बात सुनाई भी दे सब लोग एक साथ बोलने लगें तो कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ेगा।

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है । यह परसों सवाल उठाया गया था और प्रश्नोत्तर काल से भी पहले उठाया गया था । औचित्य के प्रश्न के रूप में भी यह उठाया गया । उसके बाद आपने यह निर्णय लिया कि मा0 अध्यक्ष जी आ जायेंगे तब कारणों का पता लगा लेंगे । यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है । आपकी पीठ से जब आप वहां पर विराजमान हों तो हम आपसे ही निर्णय चाहेंगे ।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने से व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । बैठ जायं । माननीय भोला पांडे जी, माननीय सुरेन्द्र शर्मा जी, कृपया बैठ जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह बता दें कि आपने बोलने की इजाजत दी है ।

एक सदस्य–

आप बैठ जायं . . . (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार–

आपको मुझे बैठाने का अधिकार नहीं है । आप कानून सीखिये । नियमावली पढ़िये और उसके बाद हाउस में बैठिये ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । आपने कहा कि पत्रकार लोग नहीं आये । इस सम्मानित सदन में जो बात कही जाती है वह सदन की कार्यवाही में लिखी जाती है और वह सदन की सम्पत्ति बन जाती है । मान्यवर, मैंने स्वयं लिखित रूप में सूचित किया था कि आप उन कारणों का पता लगायें जिनसे कि पत्रकार लोग प्रश्नोत्तर काल में यहां पर नहीं आये और अनुपस्थित रहे । आपने इस सम्बन्ध में एक बात कह कर इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया और कहा कि अध्यक्ष महोदय जी आ गये हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा कि आज शाम तक वे पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जब वे आयेंगे । मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जो व्यक्ति उस पीठ पर बैठेगा उससे हम उस विषय पर उठे प्रकरण पर निर्णय चाहेंगे । लेकिन आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय आज शाम तक पहुंचने वाले हैं । हम चाहते हैं कि परसों यह मामला उठा था । आपने इस सम्बन्ध में कोई जांच की होगी । वह क्या है, क्या कारण है जिससे पत्रकार लोग सदन में अनुपस्थित रहे । मान्यवर, हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि उस पीठ पर उस वक्त जो अधिकारी पीठासीन होगा, उसी से हम उस प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय भी चाहेंगे । नियमतः माननीय अध्यक्ष या अन्य किसी को उस प्रकरण में हो रही बहस के दौरान उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए जो यहां पर उपस्थित नहीं थे । मान्यवर, यह साधारण घटना नहीं है । यह ऐसा विषय है जिसमें पत्रकारों ने बहिष्कार किया है और दो दिन तक वे यहां पर अनुपस्थित रहे । जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जिन कारणों से पत्रकार बन्धुओं ने प्रश्नोत्तर काल का बहिष्कार किया है और जो कि लोकतंत्र की चौथी कड़ी है, उनके ऊपर अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मान्यवर, उस व्यक्ति को चाहे वह कितनी ही ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो उसको अवश्य दण्डित किया जाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तक यहां पर उपस्थित न रहें जब तक इस सम्बन्ध में सदन कोई निर्णय नहीं ले लेता है । . . . (व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आपने क्या निर्णय लिया है । हम आपसे आशा करते हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आज शाम को किसी वक्त बैठकर बात कर लेंगे । पांच बजे के बाद किसी वक्त बैठकर हम लोग बात कर लेंगे । अब कृपा करके एजेन्डा आगे चलने दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद चमोली में पशुओं की खुराक बीमारी के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 की कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका के अनुसार निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी की जनपद चमोली में खुरपका रोग से पशुओं की मौतों के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री असगर अली की उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानकी में पांच से दस वर्षों तक कार्य करने वाले दैनिक कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद पौड़ी गढ़वाल में भयंकर आंधी तूफान के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री तीरथ राज की जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के ग्राम बहरेला डीह स्थित चक संख्या 201 को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में पांचवीं सूचना श्री पंचानन राय की जनपद मऊ के विभूति नारायण इन्टर कालेज सूरजपुर के अध्यापकों के वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा बाई पास रोड पर जानलेवा दुर्घटनाओं के कारण उसे चौड़ा करके एक तरफ यातायात योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा सातवीं सूचना श्री शिव बहादुर सक्सेना की जनपद नैनीताल में काशीपुर स्थित इण्डिया ग्लाइकोल फैक्ट्री द्वारा कोसी नदी के जल को दूषित करने के सम्बन्ध में है । मैं चाहूंगा कि इसमें अगर सभी माननीय सदस्यों की राय हो तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय जिससे हम और विषयों को ले सकें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी क्या सभी लोग हैं जिनका आपने नाम पुकारा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी हैं ।

(पढ़ी हुई मानी गयी)

***श्री कुंवर सिंह नेगी–**

[मान्यवर, गत अप्रैल से जनपद चमोली में पशुओं की खुरपका बीमारी का भीषण प्रकोप जारी है, इस बीमारी से जनपद का सारा क्षेत्र प्रभावित है । और हजारों की संख्या में पशु बीमार पड़ रहे हैं । और सैकड़ों की संख्या में इस बीमारी से पशु मर गये हैं ।

इसका सबसे अधिक प्रकोप वर्तमान में थराली, नारायण बगड़ एवं देवाल विकास खण्डों में है । पशु पालन विभाग बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है । विभाग के डाक्टर्स एवं कम्पाउन्डरों की अकर्मण्यता के कारण तथा दवाइयों की उपलब्धता न होने से इस बीमारी की रोकथाम नहीं हो पा रही है और इसका प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है ।

पशुओं की भारी पैमाने पर क्षति होने से लोग अत्यधिक परेशान हैं, पशुपालन विभाग की निष्क्रियता से लोगों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय पशुपालन मंत्री जी से इस बीमारी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही शीघ्र करने की मांग करता हूं ।]

उत्तर प्रदेश में वन विभाग सामाजिक वानिकी में 5 से 10 वर्षों तक काम करने वाले दैनिक कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री असगर–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण कुल महत्व का विषय सदन संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

"वन विभाग सामाजिक वानिकी 5 से 10 वर्ष तक काम करने वाले दैनिक कर्मचारियों को एक मार्च 90 से छटनी कर हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया गया है । जिससे इन कर्मचारियों तथा अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है । जनता दल के घोषणा पत्र में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को कही गई थी । परन्तु उसके ठीक विपरीत काम पर लेने को बेरोजगार बना दिया गया है । उ0 प्र0 वन कर्मचारी यूनियन एवं जिला वन कर्मचारी यूनियन देवरिया ने 27-6-90 से मुख्यमंत्री के निवास पर धरना चलाने का फैसला किया है । इस संबंध में माननीय सदन से आवश्यक कार्यवाही करने का मांग कर रहा हूं ।"]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में भयंकर आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त लोगों की राहत दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत--

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हाल ही में आये भयंकर तूफान एवं आंधी आने से सरकारी एवं गैर सरकारी मकानों की छतें उड़ जाने से काफी बड़ी संख्या में मकान क्षति ग्रस्त हुए हैं । विद्युत एवं टेलीफोन की लाइनें बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से विद्युत एवं संचार व्यवस्था अवरुद्ध हो गयी है । अस्पतालों एवं विद्यालय भवनों की व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है जिससे मरीजों एवं छात्रों को भारी असुविधा हो रही है । काफी बड़ी संख्या में लोग बेघर बार हो गये हैं, सारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । शासन ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की है । क्षतिग्रस्त लोगों को कोई राहत नहीं दी गयी है । लोगों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतः मैं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम बहरैला डीह स्थित चक सं0 201 को अवैध कब्जे से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तीरथ राज--

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से लोक महत्व की सूचना को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं जनपद बाराबंकी तहसील रामसनेही घाट परगना सूरजपुर ग्राम बहरैला डीह स्थित चक मार्ग सं0 201 जो कि हरिजन बस्ती राम अधार के पुरवा के आवागमन का एक मात्र रास्ता है । 28 वर्ष की अवधि से ग्राम के सामन्तवादी तत्वों ने बन्द कर रखा है । स्थानीय प्रशासन ने अब तक चक मार्ग सं0 201 को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु जितने भी प्रयास किये हैं सभी सामन्तवादी तत्वों द्वारा जनबल एवं बाहुबल से विफल कर दिये हैं । अब ग्राम बहरैली-डीह में सन्दर्भित चक मार्ग को लेकर वर्ग संघर्ष एवं शान्ति भंग की आशंका है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शासन से मेरी प्रबल मांग है कि पुलिस बल एवं राजपत्रित राजस्व अधिकारी के सहयोग से चक मार्ग सं0 201 को अवैध कब्जे से मुक्त कराके अविलम्ब मेड़ बन्दी करा दिया जाय ताकि सन्दर्भित चक मार्ग आवागमन हेतु प्रयुक्त हो सके । एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध आवश्यक शासकीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।]

जनपद मऊ के विभूति नारायण इण्टर कालेज के अध्यापकों को अवशेष वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

[मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान विभूति नारायण इण्टर कालेज सूरजपुर जनपद मऊ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर जनपद मऊ के दो अध्यापकों का वेतन प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मनमाने तरीके से 1983 से रोक दिया गया है । 2 अक्टूबर 84 से उन्हें निलम्बित किया गया उसके बाद अनियमित तरीके से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मनमाने तरीके से उन्हें अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है । वेतन वृद्धियां नहीं दी जा रही हैं । शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं । विभागीय अधिकारियों को उन्होंने अनेक पत्र लिखे तथा मिलकर भी अनुरोध किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

हमारी मांग है कि इस शिक्षकों का अवशेष का तत्काल भुगतान कराया जाय । वेतन वृद्धियां दी जायं तथा नये वेतन मान में वेतन निर्धारित किया जाय ।]

जनपद आगरा में गुरु का ताल से कृषि समिति तक की बाई पास रोड को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश "विकल"–

[मान्यवर, आगरा महानगर में गुरुद्वारा गुरू कातपाल से कृषि मण्डी समिति तक की 10 कि0मी0 लम्बी बाई पास रोड पर प्रत्येक दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसमें प्रति माह दर्जनों लोग घायल होते हैं व चार छः अमूल्य जीवन समाप्त हो जाते हैं । इस बाई पास रोड के दोनों ओर लायर्स, कालोनी कौशलपुर, नगलापढ़ी, सूर्यनगर, न्यू आगरा, नेहरूनगर कमलानगर, बलकेश्वर कालोनी. विजय नगर, लंगड़े की चौकी व ट्रांस यमुना कालोनी आदि अत्यधिक घनी बस्तियां हैं जिनकी आबादी डेढ़ लाख से भी ज्यादा है । इस मार्ग पर भारी वाहन व अन्य वाहनों का प्रवाह अनवरत चलता है जिससे मार्ग चलते नागरिक प्रायः दुर्घटना ग्रस्त होकर काल कलवित हो जाते हैं हजारों की संख्या में प्रतिदिन जाने वाले छात्र छात्राएं व बच्चे जब तक स्कूल से घर वापस नहीं आ जाते, उनके परिवारी जन घोर दुश्चिन्ता ग्रस्त रहते हैं ।

आम जनता की सुरक्षा व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अत्यावश्यक है कि इस मार्ग को चौड़ा करके बीच में चैनल डालकर इसे एक तरफा यातायात योग्य बनाया जाय । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के अन्तर्गत आने वाले इस मार्ग में यदि केन्द्रीय सरकार का सहयोग आवश्यक हो तो उसके लिये सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस ज्वलन्त विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं शासन से मांग करता हूं कि वह उक्त बाई पास रोड को चौड़ा करके इसे सुरक्षित आवागमन योग्य बनाने के लिये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें ।]

जनपद नैनीताल में काशीपुर में लगी इण्डिया ग्लाइकोल फैक्ट्री द्वारा निकलने वाले प्रदूषित पानी को कोसी नदी में गिरने से रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[मान्यवर, जनपद रामपुर में मुख्य नदी कोसी बहती है जिससे चार बड़ी सिंचाई की नहरें निकलती हैं जिन नहरों से लगभग 1000 (एक हजार) गांवों में सिंचाई होती है । उक्त कोसी नदी के किनारे लगभग 200 (दो सौ) गांव बसे हैं । जिसके नागरिक इसी नदी से मछली आदि पकड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं । गंगा स्नान के पवित्र पर्व पर इस नदी के किनारे जनपद में चार स्थानों पर भारी मेला लगता है जिसमें लगभग दो लाख भक्त स्नान करके धर्म लाभ लेते हैं ।

ऐसी पवित्र नदी का पानी आज बिल्कुल काला एवं जहरीला हो गया है और यह प्रदूषण जनपद नैनीताल में काशीपुर में लगी "इण्डिया ग्लाइकोल फैक्ट्री" ने अपना प्रदूषित पानी डालकर किया है । जिससे उक्त नदी ऊपर लिखे सभी कार्यों में न आने से जनता परेशान है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि यह जहरीला काला पानी तुरन्त रोका जावे ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर समय से न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने एक लिखित सूचना दी है माननीय मंत्री जी के संबंध में ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें । आज औचित्य के प्रश्न की 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । अतः इन्हें अस्वीकार किया जाता है । श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री पंचानन राय की नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का समय से उत्तर न देने के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष

इसके बाद अपनी बात रखें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, एक मिनट हमारी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना पर और श्री कुंवर सिंह नेगी जी की सूचना पर हमने संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ठ कर दिया है और कहा है कि आगे इस तरह से नहीं होना चाहिये माननीय सदस्यों को समय से उत्तर मिल जाना चाहिये । (व्यवधान)

*श्री पंचानन राय–

आपकी पीठ से 301 के संबंध में जो निर्देश जारी हुये हैं उसमें यह है कि एक सप्ताह के अन्दर अन्तरिम उत्तर और एक माह के अन्दर पूरा उत्तर दे दिया जायेगा । मैंने औचित्य का सवाल उठाया है कि इस नियम का उल्लंघन हुआ है और 7 मार्च को जो सूचना दी गयी थी उसका आज तक उत्तर नहीं आया है तो इससे ज्यादा औचित्य का दूसरा कोई सवाल नहीं हो सकता है । तो 7 मार्च को जो सूचना दी गयी उसका उत्तर एक सप्ताह में नहीं आया और न ही एक महीने में उसका उत्तर आया । पिछली बार भी यही बात हुई थी आज फिर वही बात हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राय साहब इसमें कोई तर्क की बात नहीं है आपकी बात स्वीकार कर ली है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह नियमावली का उलंघन क्यों हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात जायज है इस ओर मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है आपके अलावा माननीय कुंवर सिंह नेगी का भी । अब इसमें बहस की बात नहीं है ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय राय साहब को अब जिद नहीं करनी चाहिए । इसमें विलम्ब हुआ है लेकिन विलम्ब की परम्परा यही बोग डाल गये हैं । जितनी सूचनायें पिछले सत्र में प्राप्त हुई हैं 301 की उनके उत्तर अब दे दिए गये हैं । विलम्ब जरूर हुआ है इसको हम मानते हैं । भविष्य में विलम्ब न हो इसके सभी विभागों को निर्देश दे दिए गये हैं । (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

भविष्य में ऐसा नहीं होगा उन्होंने कह दिया है ।

श्री पंचानन राय–

उनका कहना है कि सभी सूचनाओं का उत्तर दे दिया गया है । मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला इनके कहने से अब और जटिलता पैदा हो गयी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हो सकता है आपकी बात जो कह रहे हैं लेकिन हमारी जो सूचना है उसमें सभी सूचनाओं के उत्तर दे दिए गये हैं, विलम्ब जरूर हुआ है यह मैं मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप भविष्य के लिए नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनायें आती हैं औचित्य के प्रश्न के रूप में उनका उत्तर एक सप्ताह में माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए ऐसा करने के लिए आप मंत्रियों से सुनिश्चित करें क्योंकि एक-एक दो-दो महिने श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री पंचानन राय की सूचनाओं का उत्तर अभी तक उनको नहीं मिला है इसको आप सुनिश्चित करें और भविष्य में इसमें देर न हो । (घोर व्यवधान)

मद संख्या–3 . (व्यवधान)

श्री नेगी और श्री पंचानन राय के अलावा और सूचनाओं को मैंने अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वह औचित्य के प्रश्न के अंतर्गत नहीं आती हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । शान्त रहें । श्री पंचानन राय कृपया आप बैठ जायं ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अंतर्गत दी गयी सूचनाओं का उल्लेख सदन में न किए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

(व्यवधान के मध्य) गरीबों के रास्ते बंद कर दिए गये हैं । मैंने सूचना दिया है, उसमें आप बतायें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियमों के अंतर्गत सूचना दें तभी सदन में आप बोलें । मिश्र जी आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

मंत्री जी के आचरण का सवाल है, इसलिए आप हमें अपनी बात कहने के लिए समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय आप बैठ जांय, आपको समय दे देंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

(व्यवधान के मध्य) श्री सुंदर लाल दीक्षित के ऊपर आरोप लगाया गया कि पैसा लेकर ट्रान्सफर के लिए आते हैं अखबारों में छपा था . . . (व्यवधान) अब यह हुआ कि सदन में कोई बात कही जायेगी, तो अगले दिन उस पर बयान दिलाया जाएगा, तो इससे पूरे प्रदेश के विधायकों की प्रतिष्ठा की आंच आई है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । देखिए, गुप्त जी अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, इसे उन्होंने उठा रखा है । उस पर उन्हें बोलने की मैंने अनुमति दे दी है । उसके बाद आप (श्री शतरूद्र प्रकाश) तुरन्त बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । अभी नियम 300 में कुछ सूचनाएं आपके संज्ञान में दी गई , आपने उन सूचनाओं का यहां उल्लेख नहीं किया । हमारे यहां नियम 300 में व्यवस्था यह है कि ऐसे मामले जो सदन के संज्ञान में हैं और सदन के किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, उसमें नियम 298 का भी प्रतिपालन किया जाएगा । तो मैंने नियमानुसार मोहम्मद आजम खां को उसकी सूचना दे दी है । . . . (घोर व्यवधान) (और घोर व्यवधान के मध्य एक स्वर) (पूरे मंत्रिमंडल में [xxx] की संख्या ज्यादा बढ़ गई)

(घोर व्यवधान और उसके मध्य)

श्री भोला पाण्डेय–

इनकी सरकार के एक मंत्री ने लखनऊ के अतिथिगृह में वहां के एक व्यवस्था अधिकारी के साथ बड़ा बदसलूक और बड़ी [xxx] की है, जिसको लेकर मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया है. . (घोर व्यवधान)

श्री शारदानंद अंचल–

इस सदन के बारे में अखबारों में जनता की जानकारी के लिए लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो विधान सभा है, उसमें उसके सदस्य क्या कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है । गुप्ता जी ने जो व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है, वह लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है । यह साम्प्रदायिक लोग जो प्रदेश में साम्प्रदायिकता का वातावरण भड़काना चाहते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं । यह लोग साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए अनाप सनाप आरोप लगाने की कोशिश करते हैं । यह सदन की मर्यादा घटाते और सदन के वातावरण को विषाक्त करते हैं । इसकी इजाजत मान्यवर, उनको नहीं मिलनी चाहिए ।

श्री भोला पाण्डेय–

अभी गुप्त जी व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे थे, उनको आपने इजाजत भी दी थी, उसके बीच में यह कैसे बोलने लगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलने का अवसर दिया है । उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की मैंने इजाजत दी है, उस पर उनको बोलने दीजिए ।

कृपया आप आसन ग्रहण करें । मा0 गुप्ता जी को बोलने दीजिए । मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मा0 गुप्ता जी को बोलने दीजिए । उसके बाद मैं आपको समय दूंगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत मैं विनम्रता के साथ आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं । मैंने नियम 300 के अंतर्गत सूचना भी दी है । संसदीय मान्यताओं के अनुसार मा0 सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार के लिए कुछ संगत नियम बनाये गये हैं । मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, कौल और शकधर की पुस्तक ''संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'' एवं विधान सभा के सदस्यों के लिए नियमों की जो हस्तपुस्तिका है उसके अध्याय-3 को आप देखने की कृपा करें । माननीय सदस्यों से ऐसे आचरण की उम्मीद की जाती है, सदन के बाहर तथा भीतर, जिससे सदन की गरिमा में कमी न आने पाये । अगर कोई एक सदस्य कहीं अभद्रता का आचरण करता है, अशिष्ठता का आचरण करता है तो उससे सम्पूर्ण सदस्यों की गरिमा गिरती है और सभी माननीय सदस्य लांक्षित होते हैं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विगत दिवस उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने स्टेट गेस्ट हाउस के कुछ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । यह साम्प्रदायिकता की बात उठाकर शान्ति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो इन्होंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं है ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय गुप्ता जी ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर दिया और व्यवस्था के प्रश्न पर भाषण कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं ग्राह्यता के संबंध में तीन बातें कहना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री हमारे पुराने साथी हैं । मैं उनकी विद्वता को भली भांति जानता हूं । लेकिन वह अपनी विद्वता का लाभ माननीय सदस्यों का मुंह बन्द करने के लिए न करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न संक्षेप में होना चाहिए । वह उन्होंने उपस्थित कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मोहम्मद आजम खां ने रटेट गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे साम्प्रदायिकता की आग भड़के ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अगर श्रम मंत्री बोलना चाहते हैं, तो उनको रोक नहीं सकते हैं लेकिन पहले संसदीय कार्य मंत्री को बोलने दीजिए ।

(घोर व्यवधान)

मैं हाउस को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

इस समय 12 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 22 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजकर 22 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 52 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 52 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक और बढ़ा दिया है ।

तत्पश्चात सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे से श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें, मैंने भोला पाण्डेय जी को बुलाया है ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मौके पर बोलने का अवसर दिया . . .

श्री गोपी नाथ वर्मा–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो मेरी आज्ञा के बगैर बोलेगा, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मंत्रियों को भी न्यायिक प्रक्रिया के अन्दर रखना चाहते हैं लेकिन इन मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

(अनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे, जिनके कारण कुछ भी सुनाई नहीं दिया और घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(श्री मयंकर सिंह, श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी), श्री रविकान्त वर्मा, श्री शिव प्रसाद शुक्ला एवं अन्य अनेक सदस्यगणों के सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

18 जून, 1990

भान चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

(1) उन 17 काश्तकारों की सूची जिनके प्रतिकर का भुगतान 31 मार्च, 1990 तक कर दिया गया है :---

क्रमांक	नाम काश्तकार	ग्राम का नाम
1	श्री झब्बू पुत्रगण चिथरू	भुवना बुजुर्ग
2	श्री छोटक ,,	,,
3	श्री जवाहिर ,,	,,
4	श्री अनिल कुमार ,,	पट्टी
5	श्री शशि कुमार पुत्रगण शम्भू	,,
6	श्री सूर्य कुमार ,,	,,
7	शम्भू पुत्र शंकर ,,	,,
8	श्री मिताऊ पुत्रगण झूरी	चगईपुर
9	श्री वासदेव	,,
10	श्रीमती जानकी जौजे वनपत	,,
11	श्रीमती जरिया जौजे बुधई	,,
12	श्री फेकू पुत्र मुनेसर	,,
13	श्री नरेश पुत्र श्री दलोप	,,
14	श्री बलजोर पुत्रगण मकरी	,,
15	श्री शिवजोर ,, ,,	,,
16	श्री लुरखुर	,,
17	श्री निर्मल पुत्र जवाहिर	,,

ह0 अपठनीय

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,

आजमगढ़।

2. "रिपेमेन्ट आर्डर आन बुक" उपलब्ध न हो पाने तथा काश्तकार स्थल से सम्बन्धित विवाद न्यायालय में लम्बित होने के कारण जिन कृषकों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है उनकी सूची :-

1---सभाजीत पुत्र कन्हैया
2---त्रिवेनी पुत्र वीपत
3---श्री जगवर पुत्र जगरनाथ
4---श्री वंशी पुत्र अकलू
5---श्री पल्टन पुत्र कतवारू
6---श्री नशीम अहमद पुत्र इलियास
7---दुखन्ती पुत्र देनराज
8---हुसेनी पुत्र सम्मारू
9---श्री बरसाती पुत्र रमेसर

नत्थी 'ख'

(देखिए अता 0 प्र 0 सं 0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर।)

जिन व्यक्तियों के पशु मारे गये उनका विवरण

वर्ष 1988

1---श्री शेर सिंह पुत्र गुलाब सिंह, ग्राम पापलखण्ड	1	गाय
2---श्री खड़क सिंह पुत्र कुंवर सिंह, मगचौड़ा	1	बैल
3---श्री भुवनचन्द पुत्र नन्दकिशोर, डढ़ेल	1	गाय
4---श्री भूपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह, नावली	1	बैल
5---श्री अब्दुल रहमान सदरबाजार, रानीखेत	3	बकरी
6---श्री डोल सिंह पुत्र गंगा सिंह, रानीखेत	1	गाय
7---श्री प्रेम बल्लभ पुत्र भवानीदत्त, छतेणा	1	बैल
8---श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह, मकड़ा	1	गाय
9---श्री दीवान सिंह पुत्र प्रेमसिंह, नौसार	2	बैल
10---श्री खड़क सिंह पुत्र कुंवर सिंह, मगवाड़ा	1	बैल
11---श्री मानसिंह पुत्र शेर सिंह, जाख	1	बैल
12---श्री शंकर श्याम पुत्र देवराम, कारचूली	1	गाय
13---श्री बहादुर राम पुत्र शेरराम, रियूनी	1	गाय
14---श्री गोपालराम पुत्र कूमवराम, मलड़ा	1	गाय
15---श्री विद्यासागर पुत्र सरदराम, रानीखेत	1	गाय
16---श्री कुंवर राम पुत्र मोहनराम, चौकुनी	1	बैल
17---श्री राजेन्द्र पुत्र राम प्रसाद, बिशुवा	1	गाय
18---श्री उत्तमसिंह पुत्र जसौद सिंह, चौबरिया	1	सांड़
19---श्री ध्यान सिंह पुत्र खीमसिंह, रियूनी	1	गाय
20---श्री कुशालसिंह पुत्र दीवान सिंह, नैल	1	गाय
21---श्री जौहरसिंह पुत्र भीमसिंह, मटीला	1	बैल
22 श्री गोपाल सिंह, पुत्र खीमसिंह, नैणी	1	गाय
23---श्री शेर सिंह पुत्र प्रेमसिंह, रानीखेत	2	बैल
24---श्री बालादत्त पुत्र धर्मानन्द, ऐराड़ी	1	गाय
25---श्री फकीर सिंह पुत्र कालूसिंह, पातसी	1	गाय
26---श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गासिंह, ऊणी	2	बकरी
27---श्री टीकासिंह पुत्र भीमसिंह, दुगणा	1	गाय
	32	

वर्ष 1989

1---श्री कमलसिंह पुत्र दीवान सिंह, जैनोली	1	बैल
2---श्री भगवान सिंह पुत्र हुकुम सिंह, जैनोली	1	गाय
3---श्री देवीराम पुत्र पुनराम, बलना	2	गाय
4---श्री खीमराम पुत्र प्रेमराम रायस्टेट	1	गाय
5---श्री बहादुर सिंह पुत्र पानसिंह, रायस्टेट	2	गाय
	7	

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

उन अध्यापिकाओं का सूचा जिनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

क्रमांक	अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम
1	सुश्री मीना पन्त	उत्तरठिया
2	सुश्री तस्मीन कौशल	तरहिया
3	सुश्री राम रती देवी	भवानी पुर
4	सुश्री शोभा रानी	जगता पुर
5	सुश्री सरोजिनी पाल सिंह	मुरली का पुरवा
6	सुश्री सुधा देवी	सरैया
7	सुश्री गीता कुमारी शुक्ला	पहाड़ नगर
8	सुश्री शशि कला द्विवेदी	बीबीपुर
9	सुश्री रत्नो देवी	अस्ती
10	सुश्री सुमन लता	अस्ती
11	सुश्री अरुण बाला	अस्ती
12	सुश्री सरोजिनी देवी	अचरा मऊ

उन अध्यापिकाओं की सूची जिन्हें सी0 एम0 ओ0 द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया गया

क्रमांक	अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय
1	सुश्री कृष्णा कुमारी श्रीवास्तव	करीमाबाद
2	सुश्री असगर जहां	करहन
3	सुश्री मल्कावी	उजरियांव
4	सुश्री कश्मीरा यादव	नरायनपुर
5	सुश्री बिशुन लता शर्मा	मरोसा
6	सुश्री मणि बाला बाजपेयी	कनार
7	सुश्री शैल शुक्ला	मोहन लाल गंज
8	सुश्री मीना श्रीवास्तव	मोहन लाल गंज
9	सुश्री ऊषा सक्सेना	गौरा
10	सुश्री किरन पाण्डे	खुर्रम नगर
11	सुश्री निर्मला बाजपेयी	उतरठिया
12	सुश्री शमशाद जहां	रहीमाबाद
13	सुश्री शांति देबी	समेसी
14	सुश्री अफरोज बीबी	पुरैना
15	सुश्री उर्मिला शर्मा	छदोइया
16	सुश्री शिव देबी सिंह	अर्जुनपुर
17	सुश्री सुदेश	बन्धरा
18	सुश्री प्रभा मिश्रा	चंदिवा मऊ
19	सुश्री चन्द्रवती गुप्ता	बमरौली शाहपुर
20	सुश्री कुमदिनी बाजपेयी	मिश्रपुर
21	सुश्री पुष्पा मिश्रा	हरौनी
22	सुश्री जानकी सेन	पैकरा मऊ
23	सुश्री यासीन बानो	चिनहट
24	सुश्री रुखसाना खातून	खाउता
25	सुश्री राम मोहनी	मौरा
26	सुश्री कमला देवी	हरिकेश मढ़ी
27	सुश्री ऊषा मनोचा	खारगपुर फरीदीनगर
28	सुश्री दानपति तिवारी	बेहटा

पी0 एस0 यू0 पी0—एच0 241 वि0 सभा (413)—1990—813 ।